खण्ड-289, अंक-1
सोमवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1893
(12 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३५
सदन द्वारा पारित बंगला देश सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था का प्रश्न ..	३५–३६
भतपूर्व सदस्य सर्वश्री त्रिवेनीसहाय, आनन्द ब्रह्म शाह, खुशीराम, बालकराम वैश्य, जगत सिंह, बंशगोपाल तथा भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश के निधन पर शोकोद्गार	३६–४१
सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के बावजूद भारत सरकार द्वारा बंगला देश को मान्यता न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	४२
सीटों के आबंटन के सम्बन्ध में शिकायत	४३
पंचायत मंत्रियों की गिरफ्तारी तथा विभिन्न बांधों के टूटने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४३–४५
छितौनी बांध के टूटने और वर्षा तथा बाढ़ से हुई क्षति पर चर्चा करने के लिये समय की मांग	४५–४६
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबंध) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	४६
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	४६
उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	४६
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	५१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी)	५१
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौथा संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन की पटल पर रखी गयी)	५१
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५१
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५१
लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९७ › (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	५२
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (शुल्क) (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली , १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, १९७१. . . (सदन के पटल पर रखी गयी)	५२
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	५२
वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां (सदन की पटल पर रखी गयी)	५३
धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन सम्बन्धी पत्र (पढ़ कर सुनाय गया)	५३
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	५३
श्री गोविन्द सिंह की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	५४–५६
पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का नवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५६
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के संशोधन हेतु याचिका (उपस्थित की गई)	५७
यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ में संशोधन हेतु याचिका (उपस्थित की गई)	५७
विभागाध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिये ओमवड्समैन की संस्था की स्थापना हेतु अधिनियम बनाने हेतु याचिका (उपस्थित की गयी)	५७
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव [स्वीकृत] ..	५७–५९
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५९
छितौनी बांध के टूटने के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)	५९–६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्थगित)	६०–६१
छितौनी बांध के टूटने के सम्बन्ध में चर्चा	६१–८९
१९७१-७२ का आय-व्ययक . . (प्रस्तुत किया गया)	९०–११८
१९७१-७२ के लिये द्वितीय लेखानुदान . . (प्रस्तुत किया गया) ..	११८–१२२
बंगला देश के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना	१२२
सीतापुर के पी० ए० सी० के सूबेदार की लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	१२२
नत्थियां	१२३–१२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार १२ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--३९६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री

ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त औझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव,' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह "कृष्ण," श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल , श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल याद , श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ श्री (जिल देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौ ती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी याद , श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय ,श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराज सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (श्री अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नवी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन सिंह)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अचध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री

रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही ,श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, सिंह श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शन्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार , श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिव राज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री

शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रताप सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट— पंचायत राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार १२ जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य की समस्याओं पर केन्द्र से विचार विमर्श

**१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने दिनांक १२ अप्रैल, १९७१ को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी और वित्त मंत्री श्री चव्हाण से राज्य की विभिन्न समस्याओं तथा वित्तीय सहायता पर विचार विमर्श किया ? यदि हां, तो वे प्रमुख समस्यायें कौन-कौन सी हैं और इनके समाधान के लिये केन्द्रीय सरकार से कौन-कौन आश्वासन प्राप्त हुए ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

केन्द्रीय सरकार से पिछले चार महीनों के अन्दर १०० करोड़ रु० और दुबारा ५० करोड़ रु० तदर्थ सहायता के लिये संस्तुति की गई थी। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से भी बात-चीत की थी। उपरोक्त सहायता क्रमश दो समस्याओं के सम्बन्ध में मांगी गई थी, पहला पिछड़े क्षेत्रों के विकास और दूसरा राज्य की वित्तीय स्थिति का सुधार। इनके समाधान के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी...(व्यवधान) कि उसने जो संस्तुतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं वे क्या हैं...(व्यवधान) ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमान्, यह प्रश्न महत्व का है, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री, केन्द्रीय सरकार, से जाकर मिले हैं, इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

उनकी आंख में कुछ तकलीफ है। इस कारण मैंने शोक प्रस्ताव भी रखने के लिये दूसरे को इजाजत दे दी है।

कई सदस्य—

उत्तर सुनाई नहीं दिया था, पुनः पढ़वा दीजिये।

(प्रश्न का उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो तदर्थ सहायता की संस्तुति की गई है वह मौखिक रूप से की गई है या लिखित रूप में की गई है ? यदि हां, लिखित रूप में की गई है तो राज्य सरकार का जो पत्र केन्द्र सरकार को भेजा गया है, उसमें क्या लिखा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मौखिक रूप से।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हमारे प्रदेश की विकास योजनाओं में जो वित्तीय कठिनाईयां हैं उनको दूर करने के लिए कितने रूपये की केन्द्र से मांग की गई है ? और जो दैवी आपत्तियां आ गई हैं, उसके लिए आप ने कितने रुपयों की मांग की है

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने १८१ करोड़ रुपये की सहायता के लिए केन्द्र से आग्रह किया था—उसमें सड़कों, पुलों के लिए ५२ करोड़, ईरीगेशन वर्क्स के लिए ८७.५० करोड़, फ्लड्स कन्ट्रोल के लिए ११ करोड़, लैन्ड रिक्लैमेशन के लिए १२ करोड़ और डेवलपमेन्ट आफ अर्बन एरियाज क लिए १८.५० करोड़ रुपये—इस प्रकार से कुल १८१ करोड़ रुपये की मांग की गई थी, उसी पत्र के क्रम में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए यदि इन मदों के लिए इतनी धनराशि सम्भव न हो सके तो उसे कम करके १०० करोड़ रूपया ही दिला दिए जाएं, तो उससे हम लोग काम कर लेंगे। तो १०० करोड़ रुपये की मांग १८१ करोड़ के समर्थन में ही एस्पेशल एकमोडेशन के रूप में की गई है। ५० करोड़ की तदर्थ सहायता चीनी मिलों के अधिनिकीकरण के लिए की गई थी और टयब वल्स वगरह जो हैं उनके लिए मांग की गई थी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

इस अवधि में प्रदेश में घोर असामयिक वर्षा हुई और करीब-करीब ५ सौ करोड़ रुपये के फसल की उससे किसानों को क्षति हुई है, जिसे मुख्य मंत्री और दूसरे उनके कैबिनेट के साथियों ने भी माना है, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस मद में भी कोई सहायता मांगने की चेष्टा की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां, इस प्रसंग में १०० करोड़ और ५० करोड़ रुपये के अलावा ६५ करोड़ रुपये की और मांग की गई है और इस हेतु केन्द्र सरकार ने एक टीम भी यहां पर छानबीन के लिए भेजी थी और उसके रिपोर्ट यहां से चली भी गई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जो संस्तुति की गई है वह मौखिक रूप से की गई है और मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है, तो क्या मैं मुख्य मंत्री जी से आशा करूं कि जो मौखिक रूप से मांग की गई है, उसका कुल विवरण वे सदन के सामने रखेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने यह पहले ही स्पष्ट किया है कि यह वार्तालाप मौखिक रूप से हुआ था और जो पहले १८१ करोड़ रुपये की मांग की गई थी उसी के क्रम में, उसी की पुष्टि में यह वार्ता की गई थी और अन्त में यह कहा गया था कि यदि १८१ करोड़ नहीं दे सकते हैं तो १०० करोड़ ही दे दिया जाए ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के लिए और अधिक सहायता जन संख्या के अनुपात से मांगने के लिए सरकार ने चेष्टा की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि १८१ से घटा कर १०० पर क्यों आ गये, और १०० करोड़ की जो मांग की है उसके बारे में कोई निश्चित आश्वासन मिला कि इस वक्त तक हम यह सहायता दे देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी नहीं । जैसा उत्तर में कहा गया है कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि चीनी मिलों को लेने के सम्बन्ध में कितनी धनराशि की मांग है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--

मान्यवर, चीनी मिलों के आधुनीकरण के लिए ५० करोड़ ५७ लाख रुपया मांगा गया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मंत्री जी ने कहा कि सब को मिला कर जिसमें ट्यूववेल वगैरह भी है ५० करोड़ रुपया है और उप मंत्री जी कह रहे हैं कि ५० करोड़ रुपया सिर्फ चीनी मिलों का है, तो मंत्री जी का या उप मंत्री का जवाब सही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

दोनों उत्तर सही हैं। पहला उत्तर १०० करोड़ रुपये की धनराशि के बारे में था। दूसरा उत्तर ५० करोड़ की धनराशि के बारे में था।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मांग केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गयी है उसमें विक्षिप्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ मांग की गयी है और उसमें अटामिक इनर्जी प्लांट बिठाने की भी मांग है ? यदि हां, तो उस पर केन्द्र ने क्या कहा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूं जिन मदों के लिए १८१ करोड़ की मांग की गयी थी उनका उल्लेख कर दिया गया है। उसके अलावा कोई मांग उस तारीख को, जिस तारीख का उल्लेख है, नहीं की गयी थी।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या २।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

पहले प्रश्न पर हम लोग बार-बार खड़े होते रहे। इतने महत्व का प्रश्न है, आपने अवसर नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष---

बहुत महत्व के प्रश्न बहुत से हैं। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर इतने पूरक प्रश्न नहीं होते।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह प्रश्न बड़े महत्व का है। सवाल से संतोष नहीं हो पाया है, सदन को संतोष नहीं हो पाया है। इस पर आधे घंटे की चर्चा अलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दे दें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

प्रोसीडिंग देख लीजिये, पचास करोड़ के सिलसिले में कहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज सही है। प्रोसीडिंग में देखें कि क्या कहा था।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा नहीं हुई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इस पर प्रश्न करने की इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

वह पहले जवाब में हो चुका है।

ग्राम प्रधान भदौली बुजुर्ग द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

**२---श्री शम्भू नारायण सिंह (जिला फैजाबाद)---

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम प्रधान, भदौली बुजुर्ग, तहसील व जिला फैजाबाद ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा कन्या पाठशाला भवन भदौली के निर्माण सम्बन्धी धन का गबन भी अभी हाल में किया है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

प्रधान गांव भदौली बुजुर्ग ने गांव समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर रखा है। कन्या पाठशाला भवन निर्माण संबंधी धन के उपयोग की जांच की जा रही है।

श्री शम्भू नारायण सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि ग्राम समाज की भूमि पर श्री कमलापति सिंह तथा एक दूसरे ने कब्जा कर रखा है जो वहां के ग्राम प्रधान के चाचा व भाई ह ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, स्थानीय जांच तहसील द्वारा करायी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि ग्राम सभापति ने कोई अवैध कब्जा किसी भूमि पर नहीं कर रखा है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि ग्राम प्रधान के रिस्तेदारों ने वहां की भूमि पर कब्जा कर रखा है, क्या मंत्री जी को इसका पता है ?

श्री अध्यक्ष---

क्या किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न में ग्राम प्रधान का ही जिक्र किया गया है अतः मेरे पास जो सूचना है उससे यह जाहिर होता है कि उस भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, श्री शम्भू नारायण सिंह जी का प्रश्न यह है कि उस प्रधान के भाई और चाचा का कब्जा उस जमीन पर है जो कि गैर कानूनी है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस विशेष चीज की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो दूसरा ही हुआ। उन्होंने उत्तर दे दिया कि किसी का वहां पर अवैध कब्जा नहीं है। (व्यवधान)

श्री बलदेव सिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे अभी कहा कि मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि ग्राम सभापति ने कोई अवैध कब्जा उस भूमि पर नहीं कर रखा है।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस ग्राम के निर्माण सम्बन्धी धन के गबन के सिलसिले में जो जांच हो रही है उसमें पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जा चुका है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी जांच जिलाधीश, फैजाबाद कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी.....(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सवाल माननीय शम्भू नारायण सिंह जी ने उठाया है वह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है किन्तु आप इस पर सवाल पूछने का मौका हमको नहीं दे रहे हैं । इसकी गम्भीरता को देखते हुये इसे आपने अल्प सूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया है और हम लोग इसमें और सवालात पूछना चाहते हैं अतः आप हमें सवाल पूछने का मौका दें...

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि जो प्रश्न पूछा गया था कि गांव समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है । यह शिकायत थी । इसका उत्तर आपको मिल गया कि अवैध कब्जा उस जमीन पर नहीं है.....

श्री बांके लाल---

मेरी व्यवस्था तो यह है कि प्रश्न को जिस गम्भीरता से देखते हुये आपने इस अल्प सूचित श्रेणी में रखा था किन्तु इसे आपने उतना मौका नहीं दिया है । प्रश्न-कर्त्ता ने यह सवाल पूछा था कि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से प्रधान का कब्जा है । वहां का प्रधान जो है वह एक बहुत बड़ा आदमी है और उसकी जमीन भी बहुत है ...

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

वह अवैध कब्जा नहीं है । उसका तो पट्टा भाई भतीजों बीबी के नाम कर दिया गया । पट्टा करके कब्जा किया हुआ है या नहीं, यह बताया जाय । अगर किया गया है तो क्या मंत्री जी उस पट्टे को खारिज करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं ।

श्री छांगुर राम--

इस प्रश्न के दो भाग है । एक कन्या पाठशाला भवन से संबंधित है और दूसरा जमीन के अवैध पट्टे से संबंधित है । डी० एम० जो इंक्वायरी कर रहे हैं वह कन्या पाठशाला वाले मामले में कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या उसके भाई भतीजों ने उस पर कब्जा कर रखा है, आप यह बता दीजिए ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न जिस तरह से पूछा गया था, उसका जवाब दे दिया गया । अब जो यह शिकायत की गयी कि उसके भाई भतीजों या रिश्तेदार ने उस में कब्जा कर रखा है, इसकी जांच करा ली जायगी ।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा डिग्री कालेजों के प्रोफेसरों के स्वीकृत ग्रेड

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों में प्रोफेसरों के लिये यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा स्वीकृत ग्रेड लागू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन ग्रेड्स को लागू कराने के लिये उचित आदेश देगी और व्यवस्था करेगी कि इन आदेशों का शिक्षा सत्र १९७१–७२ से पालन हो ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने डिग्री कालेजों में प्रोफेसर पद के लिये कोई वेतन-क्रम स्वीकृत नहीं किये हैं। वैसे १ अप्रैल, १९६६ से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा संस्तुत तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन-क्रम सहायता प्राप्त गैर-सरकारी महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत शिक्षकों के लिये १ अप्रैल, १९६६ से २५ अगस्त, १९६७ की राजाज्ञा के द्वारा लागू किये जा चुके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो १ अप्रैल, १९६६ की राजाज्ञा और २५ अगस्त, १९६७ की राजाज्ञा का जिक्र किया गया है, क्या ये दोनों अलग-अलग हैं अथवा एक ही हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

राजाज्ञा तो १९६७ की ही है, १९६६ से तो ग्रेड्स दिये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि उक्त राजाज्ञा के द्वारा जिन ग्रेड्स को रिवाइज किया गया है, उसको सब कालेजों ने दे दिया है या नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सामान्य नियम यह है कि जब किसी कालेज का एफीलीएशन होता है, उसके तीन साल के बाद उसको अनुदान दिया जाता है। जिनको तीन साल नहीं हुए उनको छोड़ कर सब जगह ग्रेड्स दिये जा रहे हैं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों का एक शिष्ट-मंडल वर्तमान वित्त मंत्री श्री नरायण दत्त तिवारी से मिला था और उन्होंने उनको १० मई, १९७० को कोई आश्वासन दिया था ? वह क्या था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आश्वासन यह दिया था कि सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्रीजी इस बात पर विचार करेंगे कि जितने जिले भी प्राध्यापक ग्रेड के अध्यापक हैं उन सब को लाभ नहीं मिल रहा है इसलिये क्या कोई ऐसी आज्ञा प्रसारित करने की कृपा करेंगे कि सब को लाभ मिल जाय ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह प्रश्न विचाराधीन है। अगर वित्तीय परिस्थितियां हमको आज्ञा देंगी तो ही इसको कर सकेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या शिष्ठ मडल को माननीय बित्त मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक कब तक विचार कर लेंगे, इसकी कोई अवधि भी दी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमान्, मैं सम्मानित सदस्यों को यह बिश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह विचार अनन्त काल तक नहीं चलेगा । जल्दी ही इसपर निर्णय हो जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिष्ट-मंडल उनसे मिला उन्होंने उनसे क्या मांगें रक्खी थीं जिन पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

ये वही मांगें थीं जिनका उल्लेख प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में किया है ।

श्री बीपनारायण मणि त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सन् १९६७ से उत्तर प्रदेश शासन ने जो वेतन-मान लागू किया है उसमें बहुत सी भूलें रह गयी हैं, तो उनको सुधारने की क्या ब्यवस्था कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जो हमारी मूल राजाज्ञा है उसका दो बार संशोधन कर चुके हैं और अगर आगे भी कोई ऐसी बात होगी तो फिर संशोधन करेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या इसकी जांच आपने करायी है कि आज तो डिग्री कालिजों के प्रोफेसरों को ग्रेड मिल रहा है वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अनुसार अगर बदल दिया जाय तो कितना बित्त या धन आपको खर्च करना पड़ेगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

डिग्री कालेज हमारे विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं, तो इसमें हमारे जांच करने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन अगर माननीय सदस्य लिख कर दें तो फिर यूनिवर्सिटी से सिफारिश करके उसकी जांच करवा सकते हैं ।

गोंडा स्टेशन पर रेल दुर्घटना

**४---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ५ जून, १९७१ को प्रातःकाल ४ बजे गोन्डा स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने अधिकारी उसी दिन घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कितने घायल लोगों को गोन्डा सिविल अस्पताल में पहुंचाया तथा प्रदेशीय सरकार द्वारा क्या सहायता बुर्घटनाग्रस्त लोगों को दी गई ?

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

उत्तर प्रदेश पुलिस के चार अधिकारी उसी दिन घटानस्थल पर पहुंचे । पहले सभी २१ घायल व्यक्ति रेलवे अस्पताल पहुंचाये गये । बाद में चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श से घायलों में से पांच व्यक्तियों को सदर अस्पताल गोण्डा में भरती के लिये भेजा गया । दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्तियों तथा उनके सामान की सुरक्षा के प्रबन्ध में, घायलों की देखभाल में, सदर अस्पताल में उपलब्ध सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में, तथा घटनाग्रस्त रेलगाड़ियों के यात्रियों को घटना स्थल से स्टेशन तक पहुंचाने में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सहायता दी ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घटनास्थल पर कितने आदमियों की मृत्युएं हुई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

घटनास्थल में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो वह पांच आदमी सदर अस्पताल भेजे गये उनमें कितने आदमियों की मृत्यु हुई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

उनमें केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जिन लोगों को घटनास्थल से हटाया गया उनको किन-किन स्टेशनों पर पहुंचाया गया और उनके लिए क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

पुलिस कर्मचारियों का सहयोग इस प्रकार प्रदान किया गया---

(१) शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना तथा भीड़ को नियंत्रित करना ।

(२) घायलों तथा मृतकों को घटनास्थल से अस्पताल भिजवाने में सहायता ।

(३) दोनों गाड़ियों के यात्रियों को गाड़ी से उतारना तथा उनके सामान आदि के उतारने में सहयोग और पुलिस की गाड़ियों में उनको स्टेशन पहुंचाना जिससे जनता को असुविधा न हो ।

(४) रेलवे में से डाक तथा अन्य सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना । ये सारी सुविधाएं वहां लोगों को प्रदान की गयीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने क्या सवाल पूछा है और क्या जवाब दे रहे हैं । आप या तो इसको पोस्टपोन कर दीजिये या सही जवाब दिलवा दीजिये । इस तरह से लीपा-पोती करने से काम चलेगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दीजिये ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सरकार को सूचना है कि उनके कर्मचारियों ने और पुलिस के लोगों ने अपनी गाड़ियों या दूसरे वाहनों का इस्तेमाल घटनास्थल से किन-किन स्टेशनों पर पहुंचाने में किया और कब-कब ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बहुत व्योरा आप पूछ रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

उनके उत्तर में कहा गया है कि उन्होंने घटनास्थल से स्टेशन तक लोगों को पहुंचाया, तो किन-किन साधनों से पहुंचाया और किन-किन स्टेशनों पर ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

फिर वहां से किस स्टेशन पर यात्रियों को जाना है उसको भेजने का इन्तजाम रेलवे करती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय, गोंडा के दो रेलवे स्टेशन हैं । एक कचेहरी का है और दूसरा गोंडा जंक्शन है, तो यात्रियों को किस स्टेशन पर पहुंचाया गया ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, जो व्यक्ति घायल हुए उनको उसी समय अस्पताल पहुंचाया गया और जो जाने लायक थे उनको करीब के स्टेशन पर पहुंचाया गया । अलग-अलग स्टेशनों पर किन-किन यात्रियों को पहुंचाया गया, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

या तो बहस एलाऊ कीजिये अथवा आधे घंटे की चर्चा कराइये क्योंकि सरकार जवाब देती नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं । उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उन्होंने उत्तर दिया ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला जेल, गोरखपुर में उच्च श्रेणी की सुविधा

*१--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मई, १९६८ से ३० जून, १९६८ तक गोरखपुर जिला जेल में कितने लोगों को उच्च श्रेणी की सुविधा दी गई थी ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

३१ व्यक्तियों को ।

*२--श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि १ अगस्त, १९७० से १५ सितम्बर, १९७० तक गोरखपुर जिला जेल में कितने लोगों को उच्च श्रेणी दी गई ? क्या यह बात सही है कि जिन लोगों को १९६८ में उच्च श्रेणी की सुविधा दी गई थी उन्हें १९७० में वंचित कर दिया गया है । इसका क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

तीन व्यक्तियों को ।

बारह बन्दी जिन्हें १९६८ में उच्च श्रेणी में रक्खा गया था वे शासन के पुनरीक्षित निर्णय के अनुसार १९७० में जेल में उच्च श्रेणी पाने के पात्र नहीं समझे गये ।

[१२ जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय लाटरी से प्राप्त धन का आवंटन

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ मार्च, १९७१ तक कुल कितना धन राजकीय लाटरी से प्राप्त हुआ और जिलेवार आवंटन किस प्रकार हुआ ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

राजकीय लाटरी से प्राप्त धन का लेखा ड्रा बाइज रक्खा जाता है । दिनांक ३१ मार्च, १९७१ तक लाटरी के १४ ड्रा सम्पन्न हो चुके हैं । तेरह ड्रा तक से कुल प्राप्त धन ३,१५,१४,१२४ रुपये है, तथा कुल व्यय १,५९,२०,१६२ रुपये है । १४वें ड्रा के पूर्ण आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं । १० वें ड्रा तक की कुल शुद्ध आय १,५३,७२,३२८ रुपये का ५० प्रतिशत अर्थात् ७६, ८८,१६४ रुपये का जिलेवार आबंटन उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी (आय का उपयोग) नियमावली, १९६९ के अनुसार प्रत्येक जिले को उस जिले में लाटरी टिकटों की बिक्री के अनुपात से किया गया है । ११ वें तथा १२ वें ड्रा में शुद्ध आय क्रमशः १,५६,२९० तथा १,९४,६४५ रुपये हुयी है जब कि १३ वे ड्रा में १,२८,५७७ रुपये का घाटा हुआ है ।

अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मण्डल को लाटरी से प्राप्त धन

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाटरी से अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मंडल को अलग-अलग कुल कितना धन मिला और आवंटन किस तरह किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मंडलों के प्रत्येक जिलों को आबंटित धनराशि तथा उत्तर प्रदेश हास्पिटल फंड समिति द्वारा स्वीकृति धनराशि निम्नलिखित है :—

जिले का नाम	शासन द्वारा आबंटित धनराशि	उत्तर प्रदेश हास्पिटल समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि
	रु०	रु०
१—अल्मोड़ा ..	१,०९,२७८	३,३२,९१२
२—नैनीताल ..	१,९२,१७६	२,४४,१२२
३—पिथौरागढ़ ..	७८,७१५	९०,५००
गढ़वाल मंडल		
१—पौरीगढ़वाल	६०,२६३	८२,०३१
२—टेहरी गढ़वाल	३३,५५०	४४,१२०
३—चमोली	५५,१६४	२५,०००
४—उत्तरकाशी	३८,५८८	७५,०००

उत्तर प्रदेश हास्पिटल्स फंड समिति प्रत्येक जिले से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् जिले के अस्पतालों को धन स्वीकृत करती है ।

श्री अध्यक्ष---

अल्मोड़े के बारे में आपने अपने उत्तर में ३,३२,९१२ रुपये लिखा है । लेकिन आपने जो जवाब दिया है उसमें ३ लाख के बजाय २ लाख पढ़ा है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जी हां, दो लाख के स्थान पर ३ लाख पढ़ा जाय ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

माननीय मंत्री जी के उत्तर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी नियमावली, १९६९ के अनुसार प्रत्येक जिले को उस जिले में लाटरी टिकटों की बिक्री के अनुपात से आबंटन किया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले ड्राज में यह नियम पूर्णतया लाग किया गया या नहीं । यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में नहीं किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसी नियम के अनुसार धन का वितरण किया गया है और पूर्णतया उसका पालन किया गया है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या कोई जिले ऐसे भी हैं जिनमें पिछले दिनों तक इस तरह का आवंटन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसा कोई जिला हमारी जानकारी में नहीं है । यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई सूचना हमें देंगे तो हम उनके बारे में जांच करवायेंगे ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

दो ड्रा पहले तक चमोली जिले को कोई भी धन इसके अन्तर्गत नहीं दिया गया । इसी तरह से और जिले भी हैं जिनमें बाद में इस प्रकार का आवंटन हुआ है । तो क्या मंत्री जी पुनः जांच करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अवश्य की जायगी, सदस्य महोदय को विश्वास रखना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश के अ दर बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था नहीं है तो बजाय इसके कि इसका आवंटन इस प्रकार से हो कि जिस जिले में जितने टिकट बिकते हैं, इसका आवंटन इस प्रकार से करने पर विचार करेंगे कि जिस जिले में गांवों में अस्पताल नहीं हैं वहां पर उनकी आवश्यकताओं को देख कर आवंटन किया जाय ?

श्री नारायणदत्त, तिवारी---

माननीय सदस्य कृपया देखेंगे कि जो नियमावली आवंटन हेतु बनी है उसमें संतुलन किया गया है। जो माननीय सदस्य का सुझाव है उसका भी ध्यान रखा गया है और केवल ५० प्रतिशत तो जो जिलों में बिक्री हुई है लाटरी टिकटों की, उसके आधार पर आवंटन होता है लेकिन बाकी ५० प्रतिशत हास्पिटल फंड कमेटी को दिया जाता है कि वह आवश्यकता के अनुसार ही दें ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह लाटरी स्कीम जब मुनाफे के लिये चलाई गई थी तो यह घाटा क्यों हो गया ? क्या नई सरकार के आने से यह घाटा हो गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य सम्भवतः समाचार पत्रों में छपी टिप्पणी से अवगत होंगे कि सारे देश में जो लाटरी से आय होती रही है उसमें शनै शनै कमी होती गई है और लाटरी में लोगों की अभिरुचि कम होती गई है । महाराष्ट्र ने टिकट की बिक्री पर रोक भी लगा दी है । इस कारण सभवतः यह घाटा हुआ । अब ऐसा विचार किया जा रहा है कि क्या भविष्य में ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि यह घाटा कम हो सके मुनाफे के आधार पर और इसमें जल्दी ही निर्णय हो जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में जो आवंटन किया गया है वह क्या ५० प्रतिशत के आधार पर किया गया है या आवश्यकता के आधार पर किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह आबंटन बिक्री के आधार पर किया गया है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलेवार जो आपने आबंटन किया है तो अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी में कितने-कितने रुपये के टिकट बिके ? ताकि यह मालूम हो जाय कि उनको सही हिस्सा मिला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां तक मेरे पास सूचना है नैनीताल में ४,२६,९७० रु० के और पिथौरागढ़ में १,६८,८१० रु० क टिकट बिके, गढ़वाल में १,२१,९२० रुपये के, टेहरी गढ़वाल में १,१५,१६० रुपये के, चमोली में ७५,९१० रुपये के, उत्तरकाशी में ७५,६९० रुपये के और अल्मोड़े में २,३१,४२९ रुपये के टिकट बिके हैं ।

श्री इन्द्रमणी—

अभी बताया गया था कि ५० प्रतिशत रुपया जिले की बिक्री के हिसाब से दिया जाता है लेकिन चमोली में जहां ७५ हजार से ज्यादा के टिकट बिके वहां बिल्कुल रुपया नहीं दिया गया । इसका कारण क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

चमोली व उत्तरकाशी को उनकी बिक्री और आवश्यकता के हिसाब से ही अनुदान मिला है । चमोली को ५५,१६४ रुपया और हास्पिटल के लिये २५ हजार रुपया दिया गया है और इसी तरह से उत्तरकाशी को ३८,५८८ रुपया एक और एक दूसरी रकम ७५ हजार की दी गई है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जब श्रीमन्, दूसरे जिलों व कमिश्नरियों की जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी दे रहे हैं तो मेरठ जिले के बारे में बताने में और आपको इजाजत देने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

अल्मोड़ा व गढ़वाल मण्डलों को कुल कितना धन मिला यह तो पहले ही मूल प्रश्न में पूछा गया था।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अभी माननीय वित्त मत्री जी ने बताया कि घाटे का मुख्य कारण यह है कि बहुत से प्रदेशों ने अपने यहां हमारे टिकटों की बिक्री को बन्द कर दिया है तो क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि आय को बढ़ाने हेतु यहां भी अन्य प्रदेशों के लाटरी टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इन सभी प्रश्नों पर विचार हो रहा है और इस सबध में केंद्रीय सरकार एक अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है और इस संबंध में दो-तीन बार दिल्ली में बैठकें भी हो चुकी हैं । यदि माननीय सदस्य के कोई विचार आय बढ़ाने के लिये ह तो वह दे दें उन पर विचार किया जायगा ।

मिर्जापुर में हिन्दुस्तान अल्मूनियम फैक्टरी तथा अन्य फैक्टरियों को रिहन्द डैम द्वारा बिजली देने की दर

*३—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द डैम, मिर्जापुर से हिन्दुस्तान अल्मूनियम फैक्टरी, जिला मिर्जापुर को बिजली कितने पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है ? और सन १९६५–६६, १९६७–६८, १९६९–७० में कुल कितने यूनिट बिजली उक्त फैक्टरी ने खर्च की है तथा मिर्जापुर जिले की अन्य फैक्टरियों को सरकार ने उक्त डैम से बिजली किस दर पर प्रति यूनिट १५ मार्च, १९७० तक दी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा हिन्दुस्तान अल्मूनियम को १९ ९७७.१७ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है । सन् १९६५-६६ में ४३५७३०४३९ यूनिट तथा ६७-६८ में ३९,९२,७३,०४८ यूनिट फैक्टरी ने खर्च की। वर्ष १९६९-७० में ३७,६२,४३,३४९ यूनिट खर्च हुई । अन्य फैक्टरियों को दी जाने वाली बिजली के रेट निम्नलिखित हैं:—

डिमांड चार्ज प्रतिमाह—

१—पहले ५०० के० वी० ए० पर १० रुपये प्रति के० वी० ए०।

२—अगले १,५०० के० वी० ए० पर ७.५० रुपये प्रति के० वी० ए०।

३—२,००० के० वी० ए० से ऊपर ५ रुपये प्रति के०वी० ए० ।

तथा

इनर्जी चार्ज

१—पहले १७० यूनिट प्रति के० वी० ए० ८ पैसे प्रति यूनिट ।

२—अगले १७० प्रति के० वी० ए० ६.५० पैसे प्रति यूनिट ।

३—३४० यूनिट के ऊपर प्रति के० वी० ए० ५.५० पैसे प्रति यूनिट ।

निजी नलकूपों, पम्पिग सेटों तथा उपभोक्ताओं को बिजली देने की दर

*४---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नलकूपों के लिये प्रति यूनिट किस भाव से बिजली दी जाती है और निजी नलकूपों व पम्पिग सेटों के लिये दी जाने वाली बिजली की वर्तमान दर तथा पहले की दर क्या है और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की दर क्या है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस समय राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निजी नलकूपों तथा पम्पिग सेटों को निम्न-लिखित दरों पर बिजली दी जाती है :

१५ पैसे प्रति यूनिट ए० सी० सप्लाई के लिये तथा १७ पैसे प्रति यूनिट डी० सी० सप्लाई के लिये तथा मिनिमम गारंटी १२० रु० प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष। १ जुलाई, १९६८ के पहले गंगा शारदा, रिहन्द, तथा माताटीला ग्रिड के अलग-अलग रेट थे जो इस प्रकार हैं ---

गंगा शारदा ग्रिड

१---पहले १५० यूनिट प्रतिमाह प्रति बी० एच० पी० १४ पैसे प्रति यूनिट माह में बाकी उपयोग किये गये यूनिट पर १२ पैसे प्रति यूनिट।

रिहन्द ग्रिड

पहले १५० यूनिट प्रतिमाह प्रति बी० एच० पी० १४.५ पैसे प्रति यूनिट । माह में बाकी उपयोग किये गये यूनिट पर १३ पैसे प्रति यूनिट ।

माताटीला ग्रिड

पहले १५० यूनिट प्रति माह प्रति बी० एच० पी० १४ पैसे प्रति यूनिट ।
माह में बाकी उपयोग किये गये यूनिट पर १२ पैसे प्रति यूनिट

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मूनियम फैक्टरी, मिर्जापुर और सिंचाई के लिये किसानों को बिजली दिये जाने के रेट में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जब रिहन्द डैम बना था उस समय अनुबन्ध हुआ था कि इस रेट पर बिजली दी जायगी । अब भी हमारे ऊपर प्रतिबन्ध है कि फैक्टरी को इस रेट पर बिजली दी जायगी ।

श्री राम करन सिंह---

२ पैसे प्रति यूनिट रेट का जो समझौता अल्मुनियम फैक्टरी से विद्युत् बोर्ड का हुआ था यह कब हुआ था और कितने दिनों तक लागू रहेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

२९ अक्तूबर, १९५९ को यह समझौता हुआ था ।

श्री अध्यक्ष---

इनका दूसरा भी प्रश्न है कि यह कितने दिनों तक लागू रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

२५ वर्ष तक ।

श्री रामकरन सिंह—

२ पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का समझौता २५ वर्ष की अवधि के लिये उस समय हुआ था जबकि फैक्टरी बन रही थी और उसे प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था तो क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी इस प्रश्न पर फिर से रिकंसीडर करेंगे ? अब जब कि फैक्टरी वर्किंग आर्डर में है और प्रोत्साहन देने वाली अवधि भी समाप्त हो गयी है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस संबंध में जो समझौता हुआ है, उसे तोड़ कर नयी दर देने की कोशिश करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

समझौते के आधार पर १६ वर्ष की अवधि होने पर ही हम रेट बढा सकते हैं, इसके पूर्व यह अधिकार हमें नहीं है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामकरन सिंह—

मान्यवर, ये २ पैसे प्रति यूनिट बिजली फैक्टरी को देते हैं तो प्रति यूनिट कास्ट आफ प्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है, इसे भंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य की भावना का पूरा आदर करता हूं । जो हमारी कास्ट आफ जेनेरेशन है, उसके अनुपात से यह रेट तय नहीं किया गया था । इस संबंध में पिछली सरकारों ने भी कानूनी राय ली है कि क्या यह १ दशमलव कुछ अर्थात् २ पैसे के लगभग जो रेट चार्ज किया जाता है, वह कैंसिल किया जा सकता है । उन्हें जो कानूनी राय मिली वह यह थी कि जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जायगा तो इसे वहां नहीं बढ़ा पायेंगे क्योंकि इसके लिए एग्रीमेंट किया गया था । इसलिये पिछली सरकारों ने भी अपनी मजबूरी जाहिर की है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

प्रश्न यह है कि कास्ट आफ जैनरेशन प्रति यूनिट क्या है और क्या सरकार को अल्मुनियम फैक्टरी से कोई घाटा होता है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कास्त आफ जैनरेशन छः पैसे और सात पैसे प्रति यूनिट के बीच में आती है और इस संबंध में लोक सेवा समिति के समक्ष चर्चा भी हो चुकी है और कट्रोलर-जनरल के अनुसार मुझे पूरे आंकड़े याद नहीं हैं, अढ़ाई करोड़ या तीन करोड़ का घाटा होता है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी यह देखते हुए कि बोर्ड को कई करोड़ रुपये का घाटा होता है, इस चीज को सामने रखते हुए उस पूरी फर्म को टेक-ओवर करने पर विचार करेंगे ? अल्मुनियम फैक्टरी को टेक-ओवर करने के लिए ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है । उपयुक्त समय आने पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बिजली के उत्पादन पर खर्च छः या सात पैसे प्रति यूनिट होता है और किसानों को बिजली पद्रह पैसे या उससे भी अधिक अधिक पैसों में दी जाती है तो क्या सरकार खेती की प्राथमिकता को मानकर इस पर विचार करेगी कि उत्पादन की कीमत पर बिजली दी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है वह सिद्धांततः बड़ा उचित है । इस सबंध में हमें यह ध्यान में रखना है कि हाइडिल की बिजली की जनरेशन कास्ट अलग है और थर्मल की अलग है । थर्मल की जनरेशन कास्ट ज्यादा होती है । उस पर ट्रांजेक्शन लासेस तथा इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा लगाकर ही यूनिट का रेट निर्धारित किया जाता है । इस सबंध में टैरिफ क्या होना चाहिये, एक टैरिफ कमेटी बनी है । उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है टैरिफ का नेशनेलाइजेशन किस प्रकार हो, यह भी विचाराधीन है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

उत्पादन खर्चे में इस्टैब्लिशमेंट का खर्चा शामिल होता है इन सब बातों को ध्यान में रखकर क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि किसानों को भी उसी रेट पर बिजली देने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि एक टैरिफ कमेटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाई थी कि कास्ट आफ जनरेशन, प्रोडक्शन, इस्टैब्लिशमेंट आदि सारे खर्चे मिलाकर टैरिफ का स्ट्रक्चर क्या हो, गंगा शारदा ग्रिड, रिहन्द ग्रिड और माता टीला ग्रिड क्या ये सारे एक साथ हो सकते हैं या नहीं । गारन्टी क्या होनी चाहिये । इस संबंध में टैरिफ कमेटी ने विचार किया है । वह सिफारिश विचाराधीन है, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह भी विचाराधीन है ।

श्री रामधारी शास्त्री —

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह टैरिफ कमेटी कब बैठी थी और कब तक उस पर विचार होता रहेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह टैरिफ कमेटी बैठ चुकी है और इसकी रिपोर्ट आ चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछते हैं कि कब बैठी थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । लेकिन सरकार के पास इसकी रिपोर्ट आ चुकी है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि मिर्जापुर अल्मूनियम फैक्टरी और सरकार के बीच सन् ५६ में जो मुआहिदा हुआ था उसके अनुसार केवल जो अल्मूनियम बूट्स बनाये जायेंगे फक्टरी के अन्दर उनको सस्ती बिजली देने का प्राविधान है, लेकिन इस फैक्टरी की स्थापना तथा उसके रस्टोरेंट में जो बिजली दी जाती है वह भी सस्ती दर पर दी जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

*५—श्री रियासत हुसैन—

[४ थे बुधवार के ता० प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६-७—श्री रियासत हुसैन—

[४थे बुधवार के ता० प्रश्न संख्या ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८—श्री राम गोपाल संड—

[११ वें गुरुवार के ता० प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९—श्री राम गोपाल संड—

[१२ वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०-११—श्री राम लगन दुबे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१२-१३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[६ठे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१४-१५—श्री गोविन्द सिंह—

[१ले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८८-८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६-१७—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[५ वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१८-१९—श्री इन्द्रमणी—

[१ ले गुरुवार के ता० प्रश्न संख्या ११६-११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेसर्स रेणु सागर पावर कम्पनी, मिर्जापुर को अस्थायी कनेक्शन तथा शुल्क की वसूली

*२०—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में जून, १९६७ में मेसर्स रेणु सागर पावर कम्पनी, मिर्जापुर को ६००० किलोवाट के एक अस्थायी कनेक्शन की स्वीकृति दी थी जिसकी सप्लाई नवम्बर, १९६७ तक जारी रही ? यदि हां, तो विद्युत् शुल्क प्रति यूनिट कितना वसूल किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने जून, १९६७ से ५ नवम्बर, १९६७ तक मेसर्स रेणु सागर पावर कम्पनी लि० रेनुकूट जिला मिर्जापुर को ६,००० किलोवाट का एक

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अस्थायी कनवशन कम्पनी के पावर प्लांट को टेस्ट करने और उसको चलाने के लिये दिया था । उक्त कम्पनी के लिये देय एनर्जी तथा विद्युत् शुल्क की निम्न दरें निर्धारित की गई थीं :—

(१) जुलाई, १९६७ से सितम्बर, १९६७ तक ।

एनर्जी चार्ज प्रति यूनिट	विद्यु —कर प्रति यूनिट	योग प्रति यूनिट
२७.१	६.८	३३.१

(२) अक्तूबर, १९६७ से ५ नवम्बर, १९६७

एनर्जी चार्ज प्रति यूनिट	विद्युत् कर प्रति यूनिट	योग प्रति यूनिट
२१.६	५.४	२७.०

परन्तु उक्त कम्पनी से विद्युत् शुल्क के रूप में अभी तक कोई धनराशि वसूल नहीं हो पाई है ।

२५ प्रतिशत विद्युत शुल्क की वसूली

*२१—श्री कल्याण सिंह—

क्या यह भी सच है कि उपभोग विद्युत् के उपयोग पर २५ प्रतिशत विद्युत् शुल्क वसूल न किये जाने वाली धनराशि लगभग १,४४,४०० रुपये है ? यदि हां, तो इस धनराशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं और उसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं उपरोक्त धनराशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां । वसूल न होने वाली विद्युत शुल्क की धनराशि १,४४,३८४ रुपये है । इस धनराशि की अदायगी विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बारबार लिखे जाने पर भी कंपनी द्वारा अभी तक नहीं की गई है । देय धनराशि की वसूली का निरन्तर प्रयास किया गया है और २२ दिसम्बर, १९७० को विद्युत् निरीक्षणालय को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि विद्युत् शुल्क की इस बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में अविलम्ब वसूल कर लिया जाय ।

हल्द्वानी से कालाडूंगी तक विद्युत् लाइन में ट्रांस्फारमरों के विवरण

*२२—श्री शिवकुलार पांडेय, श्री तेज नारायण (जिला खीरी), तथा श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा हाईडिल के अधिशासी अभियंता, हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी से कालाडूंगी तक, जो विद्युत् लाइन लगाई है इसमें कितने ट्रांसफारमर कितने-कितने किलोवाट के किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं और प्रत्येक ट्रांसफार्मर से कितने पावर कनेक्शन व कितने लाइट कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अधिशासी अभियंता, हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी से कालाडूंगी तक बनाई गयी ११ के० वी० लाइन पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग शक्ति के लगाये गये ट्रांसफारमरों एवं उनसे दिये गये पावर और लाइट एवं फन के कनेक्शनों का विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२३ पर)

हल्द्वानी से कालाडूंगी तक विद्युत् मेन लाइन का आबादी से दूरी का कारण

*२३—श्री शिव कुमार पांडेय, श्री तेज नारायण तथा श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या विद्युत् मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि हल्द्वानी से जो मेन लाइन कालाडूंगी तक पहुंचाई गई है, यह आबादी से दूर लगाई गई है ? यदि हां, तो इसका कारण बतायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं । हल्द्वानी से कालाडूंगी तक पहुंचाई गयी ११ के० वी० की मुख्य लाइन जहां तक संभव हो सका है, आबादी के निकट ही हल्द्वानी-कालाडूंगी मार्ग के लगभग समानान्तर ही बनाई गयी है ।

*२४—श्री इन्द्रलाल—

[१ ले बुधवार के ता० प्रश्न संख्या ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्री-कर का बकाया

*२५—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री गोविन्द सिंह (जिला बदायूं)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १ अप्रैल, १९७१ तक बिक्री-कर का कितना बकाया है और सरकार उसको वसूल करने के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश में अप्रैल १, १९७१ को ३२.०२ करोड़ रुपया बकाया था । इसकी शीघ्र वसूली के लिये शासन द्वारा जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२४ पर)

*२६—श्री इन्द्रलाल—

[६ठे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२७-२८—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

[अस्वीकृत]

प्रदेश में अणु बिजलीघर का निर्माण

*२९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने ४ अप्रैल, १९७१ को शपथ लेने के बाद सबसे पहले प्रदेश में अणु बिजली घर की आवश्यकता पर बल दिया और तुरन्त ही केंद्र से जोरदार शब्दों में मांग भी की ? अब मुख्य मंत्री क्या उपाय कर रहे हैं जिससे प्रदेश में अणु बिजलीघर का निर्माण हो सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में अणु बिजली घर की आवश्यकता पर बल दिया है । अणु बिजलीघर की स्थापना के लिए स्थान चयन करने के लिए परमाणु आयोग द्वारा एक साइट सेलेक्शन कमेटी गठित की गई है जिसका कार्य समाप्त होने पर आयोग द्वारा आगे कार्यवाही की जायेगी ।

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी तथा कुण्डा में विद्युत् लाइन की योजना

*३०—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ विकास खंड पट्टी में राजा-बाजार पटखौली बधवा बाजार विद्युत् लाइन तथा विकास खंड कुंडा में मदसिब से बेंती तक विद्युत लाइन बनाने का कार्य-क्रम शासन के विचाराधीन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रतापगढ़ जिले के अन्तर्गत विकास खंड, पट्टी में राजा बाजार से पटखौली तक ११, वोल्ट्स की लाइन बनाने का इस वर्ष प्रस्ताव है । पटखौली से बधवा बाजार व विकास खंड, कुंडा में मदसिव से बेंती तक विद्युत् लाइन बनाने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है ।

प्रतापगढ़ में राजकीय नलकूपों को बिजली कनेक्शन

*३१—श्री जयराम यादव—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में अब तक कितने राजकीय नलकूपों को बिजली का कनेक्शन दिया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रतापगढ़ जनपद में अब तक पांच राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिनके नामों का विवरण इस प्रकार है:—

(१) कनहीपुर (२) लक्ष्मणपुर (३) धनुआ (४) बिशुनपुर (५) बिट्ठलपुर ।

हिन्दुस्तान अलमूनियम कारपोरेशन लिमिटेड से बिजली के बकाये की वसूली

*३२—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुस्तान अलमूनियम कारपोरेशन लिमिटेड पर बिजली का अब (२१-४-७१) तक कितना बकाया धन पड़ा हुआ है ? और सरकार ने उसे वसूल करने के लिये अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत् परिषद् के अनुसार सर्व श्री हिन्दुस्तान अलमूनियम कारपोरेशन लिमिटेड के नाम २१—४—७१ तक कुल देय धनराशि रु० २,५८,६७,५३८.५७ थी । परन्तु कारपोरेशन ने इस धनराशि के भुगतान के दायित्व को अस्वीकार कर दिया । अतः इस विवाद को एक मात्र आरबीट्रेटर सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायत उल्लाह के सिपुर्द करने का निश्चय किया गया है ।

*३३—श्री राम प्यारे—

क्या यह सही है कि बकाया धन न प्राप्त होने के कारण राज्य विद्युत् परिषद को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो वह क्षति कितनी है ? क्या सरकार ऐसा कदम उठाने का प्रयास करेगी जिससे उक्त औद्योगिक संस्थान पर समस्त बकाया धन वसूल हो जाय ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, राज्य विद्युत् परिषद का भी यही कथन है । यह क्षति कितनी है, यह बात इस पर निर्भर करती है कि आरबीट्रेटर देय धनराशि पर कितना ब्याज देना तय करते हैं ।

किसी अन्य कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि मामला आरबीट्रेशन में दिया जा रहा है ।

*३४---श्री नौनिहाल सिंह---

[२ रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकारी कर्मचारियों को भत्ते

*३५---श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत वे सरकारी कर्मचारी जो ५०० रुपये मूल वेतन पाते हैं उनको महंगाई भत्ता तथा सिटी एलाउन्स आदि मिलाकर कुल ६३३ रुपये माहवार मिलता है तथा जिनका मूल वेतन ५०० रु० से ५४३ रु० के बीच होता है उनको महंगाई भत्ता सहित कुल ६२३ रु० ही मिलता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी नहीं ।

*३६---श्री निर्भय नारायण सिंह---

यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ५०० रु० से ५४३ रु० तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कम से कम उतना धन तो अवश्य मिले जितना उनको ५०० रु० मूल वेतन के समय अर्थात् ६३३ रु० मिलता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

दिनांक जून २१,१९७१ को शासकीय आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि जिन ५ नगरों में प्रतिकर भत्ता देय है उन नगरों में अधिष्ठान मद से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जो रु० ५०१ से रु० ५५२ तक प्रति मास वेतन पाते हैं (चाहे वे नये वेतन मानों में वेतन प्राप्त करते हों या पुराने अपुनरीक्षित वेतन मानों में वेतन पाते हों।) १-४-१९७१ से अर्थात् माह, अप्रैल का वेतन जो मई में देय होगा-उतनी धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत कर दी जाय जिससे उनका वेतन, महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ते की सीमांत समायोजन की धनराशि मिलाकर नये वेतन मानों में रु० ६३३ प्रति मास तथा पुराने वेतन मानों में रु० ६३८ प्रति मास हो जाय ।

काशीपुर ग्रुप, जिला नैनीताल के देशी शराब के ठेके की नीलामी

*३७---नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि काशीपुर ग्रुप, जिला नैनीताल का देशी शराब का ठेका १ अप्रैल, १९७० को वर्ष १९७०-७१ के लिये छः लाख नब्बे हजार रुपये का किसी व्यक्ति को दिया गया और फिर वही ठेका दिनांक १६ अप्रैल, १९७० को पांच लाख सत्तर हजार का किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस विषय से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह सत्य है कि काशीपुर ग्रुप जिला ननीताल का देशी शराब का वर्ष १९७०-७१ का ठेका दिनांक २७-३-७० को नीलाम द्वारा छः लाख नब्बे हजार रुपये में सर्वश्री रामरतन लाल, प्रभूदयाल, राम कुमार व रामगोपाल को दिया गया । यह भी सत्य है कि दिनांक १६-४-७० को पहले का नीलाम निरस्त कर इन ठेकों का दुबारा नीलाम हुआ और इन्हें सर्वश्री खूबचन्द,

राजाराम, अशरफी लाल व रामकुमार को पांच लाख सत्तर हजार में दिया गया। इस मामलों है में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही । तथा जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

*३८—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिस पार्टी को बाद में ठेका दिया गया ह उसे साढ़े चार रुपया प्रति बोतल एक्साइज ड्यूटी पर अल्मोड़ा में भी देशी शराब का ठेका दिया गया जब कि साढ़े छः रुपया प्रति बोतल अन्य व्यक्ति का आफर भी था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह बन्दोवस्त रुपये ४.५० सादा तथा रुपयें ६.०० मसाला शराब प्रति बोतल की दर से १—६—७० से १५—७—७० तक सर्वश्री श्याम सुन्दर, मनोरथ जोशी तथा हुकम चन्द के साथ क्रमशः अल्मोड़ा नगर की तथा रानीखेत नगर की दुकान के लिए अधिभार शुल्क प्रणाली नियम पर किया गया था।

इससे भी अधिक आफर उक्त अल्पकालिक अस्थाई व्यवस्था के लिए प्रस्तुत हुए थे, लेकिन शराब विरोधी आन्दोलन से अत्यन्त जटिल स्थिति, दुकान के लिए भवन उपलब्धि में अत्यधिक कठिनाई, जिले में तथा ननीताल जिले की समीपवर्ती दुकानों में तत्कालीन प्रचलित देशी शराब की बिक्री के फुटकर दरों एवं उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा इस जिले में पहले यथा नियम सुचारुरूप से किये गये इस कार्य आदि महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों में निष्पक्ष रूप से उन्हीं को उपयुक्त समझकर उपर्युक्त अल्मोड़ा जिले की देशी शराब की दुकान का यह अल्पकालिक बन्दोबस्त नियत अभिभार शुल्क प्रणाली का उन्हीं के साथ किया गया।

जांचोपरान्त पता चला है कि जिन लोगों को बाद में उपर्युक्त ठेका दिया गया उन्हीं लोगों की पार्टी वालों ने अल्मोड़ा की दुकान ली। यद्यपि नामों में अन्तर है। यह जानकारी दुकान तय करते समय नहीं मालूम थी।

सीतापुर में विद्युत् लाइन बनाने की योजना

*३९—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९—७० व १९७०—७१ में जिला सीतापुर के अन्तर्गत कितन किलोमीटर विद्युत् लाइनें बनवाने की योजना बनी थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत परिषद् से सूचना एकत्रित की जा रही है।

फिरोजपुर से टिकरा जिला सीतापुर में विद्युत् लाइन बनाने का स्थगन

*४०—श्री रामलाल राही—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि फिरोजपुर से टिकरा, जिला सीतापुर तक कोई विद्युत् लाइन बननी थी जिसका सर्वे करके खम्भे, सीमेन्ट, ईंटा आदि पहुंचा दिया गया था उसके बाद फिर उठवा लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत परिषद् से सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४१—श्री तेजपाल—

[१ले बुधवार के प्रश्न संख्या ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सलेमपुर, जिला फर्रुखाबाद में पाठशालाओं के निकट शराब की दूकान को हटाने की मांग

*४२—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री को पता है कि ग्राम सलेमपुर, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में पाठशालाओं के निकट बाजार के अन्दर एक सरकारी ठेके की शराब की दुकान खोली गई थी जिसको लगभग २ वर्ष से कुछ संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों ने दुकान हटाने की मांग जिला अधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी से अनेकों बार की है फिर भी उस दुकान को अभी तक नहीं हटाया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सही है कि ग्राम सलेमपुर, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में शराब के ठेके की दुकान पाठशालाओं व बाजार के निकट है। इसको हटाने के लिये कुछ संस्थाओं और जन नेताओं ने लिखा है। इस दुकान को हटाने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है। उपयुक्त स्थान के प्राप्त होते ही इस दुकान को हटा दिया जायगा।

आजमगढ़ के विद्युत् विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति

*४३—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के विद्युत् विभाग ने १ जनवरी, १९७० से लेकर ३० अप्रैल, १९७१ तक कितने लिपिक, वर्कचार्ज, पेट्रोल मैन, सुपरवाइजर नियक्त किये थे और उनमें से कितने ए० सी० के आदेश से और कितने चीफ इंजीनियर के आदेश से नियुक्त किये गये थे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नगत अवधि में नियुक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

लिपिक वर्कचार्ज	..	..	..	२४
पेट्रोल मैन रेगुलर	..	..	..	९
सुपरवाइजर रेगुलर	..	..	..	७

लिपिक एवं पेट्रोलमैन की नियुक्ति अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई।

सुपरवाइजरों की नियुक्ति आपरेटिंग स्टाफ में से प्रोन्नति द्वारा अनन्तिम (स्टाप गप) रूप से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता ने की है। मुख्य अभियन्ता द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई।

आजमगढ़ में ईंट के भट्टे के मालिकों पर बिक्री-कर का बकाया

*४४—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने ऐसे ईंट के भट्टे के व्यापारी हैं जिनकी ओर तीन साल से बिक्री-कर बकाया है और उनकी वसूली अब तक क्यों नहीं हो सकी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

३१-३-१९७१ को आजमगढ़ जिले में १९३ ईंट भट्ठे के व्यापारी ऐसे थे जिन पर तीन साल से बिक्री-कर बकाया था।

बिक्री-कर की वसूली निम्न प्रमुख कारणों से नहीं की जा सकी है :—

(क) ७८ बकायादारों के विरुद्ध २.४२ लाख की धनराशि न्यायाधीश पुनरीक्षण (अतिरिक्त) तथा अन्य समर्थ अधिकारियों द्वारा बन्द कर दी गई है।

(ख) ७ बकायादारों के ऊपर बकाया ३४,५४० रुपये की वसूली के प्रमाण-पत्र इसलिए नहीं भेजे जा सके क्योंकि ३० दिन की अवधि जो मांग-पत्र प्राप्ति के बाद व्यापारी को कर जमा करने के लिए दिए जाते हैं उसकी मियाद ३१—३—७१ को पूरी नहीं हुई थी।

(ग) १० व्यापारियों के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई है कि इनके पास बकाया की अदायगी के कोई साधन नहीं हैं और इसे संयुक्त जांच के लिए भेज दिया गया है।

(घ) शेष ९८ व्यापारियों के विरुद्ध बकाया की वसूली की कार्यवाही जिले के कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के समान की जा रही है।

आजमगढ़ में निजी ट्यूबवेलों के पावर कनेक्शन के हेतु प्रार्थना-पत्र

*४५—श्री श्याम लाल—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत निजी टयूबवेलों के पावर कनेक्शन के निमित्त १९६९ से अप्रैल, १९७१ तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितनों को पावर कनेक्शन दिया गया तथा कितने शेष हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोंडा ट्रान्समिशन डिवीजन को हटाने का आदेश

*४६—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा हाइडिल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, गोंडा को विद्युत् परिषद् ने हटाने का आदेश दे दिया है ? यदि हां, तो हटाने के क्या कारण हैं ? और इस डिवीजन के हटाने से गोंडा जिले के कितने कर्मचारियों को हटना पड़ेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गोंडा ट्रांन्समिशन डिवीजन को बांदा ले जाने का प्रश्न राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्थगित किया जा चका है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

*४७-४८—श्री दल सिंगार यादव—

[२रे बुधवार के प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निजी ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन पर सरचार्ज की समाप्ति

*४९—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार व्यक्तिगत टयूबवेल के बिजली कनेक्शन पर सरचार्ज समाप्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्यक्तिगत ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन पर कोई सरचार्ज नहीं लिया जाता है। अतः इसके समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उन्नाव में परगना औरास के ग्रामों में बिजली की योजना

*५०—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के परगना औरास के गांवों में बिजली पहुंचाने की सरकार के पास कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला उन्नाव के परगना औरास के गांवों में बिजली पहुंचाने हेतु मियांगंज से औरास तक १६ कि० मी० लम्बी ११ के० वी० लाईन बनाने की इस वर्ष योजना है।

इसके अतिरिक्त मियांगंज से औरास तक ३३ के० वी० लाईन तथा एक ३३ के० वी० उपविद्युत गृह औरास में बनाने का भी प्रस्ताव है।

राज्य विद्युत् बोर्ड को सरकारी ऋण

*५१—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड को सरकार न बोर्ड की स्थापना क बाद से कितना ऋण दिया और ऋण की क्या शर्तें थी और शर्तें कब निश्चित की गईं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

१ अप्रैल, १९५९ से राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना के बाद से सरकार ने वर्ष १९७०–७१ के अन्त तक उसे ५,३९,३१,००,४७६.७७ रु० का ऋण दिया है। ऋण की शर्तों में केवल ब्याज की दरों के बारे में ही निर्णय लिया गया है। अन्य शर्तों के बारे में अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

राज्य विद्युत् बोर्ड को हानि

*५२—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तर प्रदेश को उसकी स्थापना से वर्ष १९७०–७१ तक कितनी हानि हुई और इस हानि का क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

परिषद् को उसकी स्थापना के समय से वर्ष १९६९–७० तक कुल २९७०.४०७ लाख रुपये की हानि हुई। वर्ष १९७०–७१ की हानि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उनका आडिट अभी महालेखाकार से नहीं हुआ है। प्रशासन द्वारा परिषद् के कार्य कलापों पर छानबीन करने के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की जा रही है, जो और बातों के साथ हानि के कारणों पर भी प्रकाश डालेगी।

वस्ती के गिदही पावर हाउस में ट्रांसफारमर का जलना

*५३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या विद्युत् मंत्री को ज्ञात है कि अप्रैल क अन्तिम सप्ताह में जिला बस्ती के गिदही पावर हाउस में १ १/२ लाख रुपये का ट्रान्सफारमर जल गया? यदि हां, तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

एक ५००० के० वी० ए० क्षमता का ३३०००/११००० वोल्ट का ट्रान्सफार्मर बस्ती मुख्य विद्युत उपस्थान पर दिनांक १४–४–७१ को खराब हो गया है और इसे बन्द कर दिया गया है।

यह ट्रांन्सफार्मर मेसर्स एसोशियेटेड इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज का बनाया हुआ है। इनके बनाये हुये इसी के साथ कुछ और ट्रांसफार्मर भी खराब हुये हैं और उन सबकी बिना किसी मूल्य के मरम्मत के लिये फर्म से बातचीत चल रही है। उस ट्रांसफार्मर की खराबी के लिये कोई विभाग का आदमी जिम्मेदार नहीं है।

बिक्री-कर को एकसूत्री तथा सरल बनाने की मांग

*५४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के व्यापारियों की यह मांग कि बिक्री-कर को एकसूत्री तथा सरल बनाया जाय, बहुत समय से सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या प्रगति की?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बिक्री-कर को एकसूत्री तथा सरल बनाने की मांग व्यापारियों द्वारा समय समय पर की जाती रही है और शासन द्वारा इस पर विचार किया जाता रहा है, किन्तु सभी वस्तुओं पर एकसूत्री कर की व्यवस्था करना सम्भव नहीं पाया गया। विभिन्न वस्तुओं पर बहुसूत्री के बजाय एकसूत्री कर की व्यवस्था सम्बन्धी सुझावों पर उनके गुणागुण के आधार पर विचार करके जहां ऐसा करना सम्भव प्रतीत हुआ वहां उस वस्तु पर बहुसूत्री कर समाप्त करके एकसूत्री कर लगाने की व्यवस्था कर दी गई है।

शासन द्वारा नियुक्त बिक्री-कर समिति (१९६२-६५) तथा कर जांच समिति (१९६८-६९) ने भी एकसूत्री कर प्रणाली की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया था। उन्होंने भी कर प्रणाली को सर्वदा एकसूत्री बनाया जाना सम्भव नहीं पाया। उक्त समितियों ने प्रदेश में प्रचलित बहुसूत्री तथा एक सूचः बिक्री-कर एवं क्रय-कर की मिली जुली कर नीति का अनुमोदन किया था।

अंग्रेजी शराब की दूकानों की नीलामी की योजना

*५५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या प्रदेश को सरकार अंग्रेजी शराब की दुकानों को भी देशी शराब की दूकानों की तरह नीलामी कराने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, यह विषय शासन के विचाराधीन है। कुछ विधिक कठिनाईयों को दूर करने के पश्चात् ही इसको लागू करने के समय के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

*५६-५७—श्री महराम सिंह—

[३रे बुधवार के प्रश्न संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बांसगांव तहसील, गोरखपुर के ग्रामों में बिजली देने की योजना

*५८—श्रीमती मसाली देवी—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९७०-७१ के वित्तीय वर्ष में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील के कौन-कौन गांवों में बिजली देने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील के निम्न-लिखित गांवों में बिजली देने की योजना थी, परन्तु १५ प्रतिशत प्रतिलाभ न मिलने के कारण इनका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका :—

रेवराडीह, हटवा, मठिया, चन्दौली, माहोपुर, गौरीखुर्द खुजरी, भूसवल, वरईपार, जियापार, पटहवा, सेवई, बाजार हरीपुराह, भरसीटाउन, पिचौरा, बरेपार एवं बैजनाथपुर ।

*५९—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बांसगांव तहसील के कौन-कौन गांवों के निवासियों ने व्यक्तिगत नलकूप, आटा चक्की तथा अपने घरों में प्रकाश के लिये जनवरी, १९७० से १० मई, १९७१ तक बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बांसगांव तहसील के विभिन्न गांवों के निवासियों ने निजी नलकूप, उद्योग धन्धों (आटा चक्की आदि) तथा घरों में प्रकाश के लिये १ जनवरी, १९७० से १० मई, १९७१ तक क्रमशः १३०, २२ एवं ३१० प्रार्थना-पत्र दिये जिनमें से अब तक क्रमशः१४, ५ व १३८ को बिजली दी जा चुकी है, शेष को कनेक्शन देने की ओर उचित कार्यवाही की जा रही है।

*६०-६१—श्री कन्हैया लाल—

[१ले बुधवार के प्रश्न संख्या ९२-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६२-६३—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

[२रे बुधवार के प्रश्न संख्या ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कस्बा विधूना (इटावा) में बिजली कनेक्शन के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

*६४—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कस्बा विधूना (इटावा) में कब से बिजली आई ? अब तक कितने लोगों को कनेक्शन मिल चुके हैं और कितने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं और इन पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इटावा जिले के अन्तर्गत कस्बा विधूना में फरवरी, १९७१ में बिजली लगी। अब तक ६२ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। १४० प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

फाइनेन्शियल हैंडबुक का हिन्दी अनुवाद

*६५—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फाइनेन्शियल हैंडबुक का हिन्दी अनुवाद कराने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किया गया है और यह अनुवाद कब तक प्रकाशित हो रहा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

फाइनेंशियल हैन्ड बुक के प्रचलित सातों खण्डों का अनुवाद तथा प्रकाशन भाषा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इनमें से तीन खण्डों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जा चुका

है। अन्य तीन खण्डों का प्रूफ परीक्षण हो रहा है, जिन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कराने का प्रयास किया जा रहा है। शेष एक खण्ड के अनुवाद का परिमार्जन किया जा रहा है और उसे भी शीघ्र ही छपाने के लिये भेज दिया जायगा।

*६६-६७—श्री रामसिंह—

[१ले गुरुवार के ता० प्र० स० ११८-११९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*६८-६९—श्री धर्मवीर सिंह—

[१ले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ११४-११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*७०—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

फरेन्दा तहसील के कानापार में शराब की दूकान बन्द करने का निश्चय

*७१—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के कानापार उर्फ धानी बाजार के शराब की दुकान बन्द करने के लिये १९६७ में इक्साइज कमेटी, गोरखपुर ने सर्वसम्मति से निश्चय किया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के कानापार उर्फ धानी बाजार के शराब की दुकान बन्द करने के लिये २ सितम्बर, १९६७ को जिला एक्साइज एडवाइजरी कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था। यह दुकान १९६७-६८ के लिये तय की जा चुकी थी तथा मध्य वर्ष में इसका बन्द करना सम्भव न था। दूकान को बन्द करने के विषय में जांच कराई गई परन्तु पूर्ण औचित्य न होने के कारण दूकान बन्द नहीं की गई।

पंचवर्षीय योजनाओं में थर्मल व हाइड्रो पावर स्टेशन की स्थापना

*७२—श्री शिवराज सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में आजकल विद्युत् की कितनी कमी है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां पर थर्मल पावर स्टेशन व हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश में वर्ष १९७१-७२ में लगभग ८०० मिलियन यूनिट विद्युत् की कमी रहने की सम्भावना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में १९६९-७० से अब तक ९४.२५ मेगावाट जल विद्युत् तथा ५०.०० मेगावाट थर्मल क्षमता बढ़ाई जा चकी है। इसके अतिरिक्त जिन जल विद्युत् एवं वाष्प विद्यत् गृहों की स्थापना पर कार्य चल रहा है, उनका ब्योरा संलग्नक में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२५ पर)

देहातों में कन्ज्यूमर्स को देय बिजली की कटौती

*७३—श्री शिवराज सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री को यह ज्ञात है कि देहातों में कन्ज्यूमर्स को दी जाने वाली बिजली में विद्युत् परिषद् द्वारा कटौती की गई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

देहातों में सिंचाई हेतु नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों को दी जाने वाली बिजली में कटौती नहीं की गई थी। बिजली की कमी के कारण अन्य सभी उपभोक्ताओं पर २५ प्रतिशत की कटौती की गई थी।

खाद्य तथा रसद विभाग की पूर्ति शाखा के ज्येष्ठ निरीक्षकों के वेतनमान

*७४—श्री प्रियदर्शी जैतली (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य तथा रसद विभाग में पूर्ति शाखा के ज्येष्ठ निरीक्षकों के वेतनमान को सीनियर मारकेटिंग इंस्पेक्टर तथा सीनियर इंस्पेक्टर माप तथा तौल के समान किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना कब तक है?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बेनी सिंह)—

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[१ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

३—श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

[१ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जिले में १९७०–७१ में बिजली के खम्भों की चोरी

४—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष सन् १९७०-७१ में कितने खम्भे बिजली के चोरी चले गये हैं और चोरी गये खम्भे की जांच पड़ताल से क्या नतीजा निकला है? तथा कितने रुपयों की हानि हुई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उन्नाव जिले में वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के अन्तर्गत ३९ रेल वाले बिजली के खम्भों की चोरी हो गई। इस सम्बन्ध में पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है। विभागीय जांच का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। लगभग २६,००० रु० की हानि हुई।

गढ़वाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजना

५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गढ़वाल में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् लाइन देने के लिये शासन द्वारा वर्ष १९७०-७१ में कुल कितनी योजनाओं का और कुल कितने धन का प्राविधान किया गया है और जिले के प्रत्येक ब्लाक खण्ड में किस आधार पर विद्युतीकरण की योजना १९७१-७२ के लिये बनाई गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

६—श्री राम लगन दुबे—

[१ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विद्युत् बोर्ड अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की संख्या

७—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विद्युत् बोर्ड के अधीन कितने अभियन्ता और सहायक अभियन्ता कार्य कर रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कुल १३६९ अभियन्ता अधिकारी हैं। इस में सहायक अभियन्ताओं की कुल संख्या १०४२ है। परिषद् में केवल ९० अभियन्ता ही स्थायी हैं। अस्थायी अभियन्ताओं के स्थायीकरण के मामले परिषद् के विचाराधीन हैं।

बस्ती जिले के ग्रामों में बिजली देने की योजना

८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष १९७१-७२ में किन-किन स्थानों पर बिजली देने का विचार है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में बस्ती जिले में निम्नलिखित स्थानों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है:

शिवपति नगर, तेतरी बुजुर्ग, गौर, परसरामपुर, दुवौलिया, बिसरेगंज, अम्होडा, सिकन्दरपुर, हैदराबाद, सेमरखान कोट, वुथौरा, गोल्हौरा, ककरहवा, जगदीशपुर, सुकरौली, बरगदवा, बढ़नी एवं महदेई।

सदन द्वारा बंगला देश सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सदन में पिछले दिनों बंगला देश से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि यह सदन मांग करता है कि केन्द्रीय सरकार जल्दी से जल्दी बंगला देश को मान्यता दे। श्रीमन्, जिस दल की सरकार केन्द्र में है, दलबदलुओं की कृपा से उसी दल की सरकार यहां भी आसीन है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने उस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की है जिससे बंगला देश को मान्यता मिलने में आसानी हो सके?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में यह प्रश्न मेरे पास आया है। इस वक्त इसको मत उठाइए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, यह बहुत अहम सवाल है....

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी ध्यान दीजिए। पंचायत संघ की ओर से आज एक विराट प्रदर्शन विधान सभा के सामने था। मैं जानना चाहता हूं....(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। माननीय मुख्य मन्त्री जी निधन के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री त्रिवेनी सहाय, आनन्द ब्रह्मशाह, खुशीराम, बालकराम वैश्य, जगत सिंह, बंशगोपाल तथा भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

श्री त्रिवेनी सहाय, श्री आनन्द ब्रह्मशाह, श्री खुशीराम, श्री बालक राम वैश्य, श्री जगत सिंह, श्री बंशगोपाल जी और श्री श्रीप्रकाश जी के निधन के सम्बन्ध में चर्चा होगी। श्री श्रीप्रकाश जी के सम्बन्ध में अलग से करेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, यह हमारे लिये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले अधिवेशन के बाद जब से हम सब यहां फिर मिले हैं, हमारे कई साथी जो इस विधान सभा के या तो सदस्य रहे हैं, मौजूदा विधान सभा के या पहली विधान सभा के सदस्य रहे हैं, उनका देहावसान हो गया है। उनमें श्री त्रिवेनी सहाय, श्री आनन्द ब्रह्म शाह, श्री खुशी राम, श्री बालकराम वैश्य, श्री जगत सिंह, बंशगोपाल के नाम हमारे सामने हैं। श्री त्रिवेनी सहाय जी हमारे इस विधान सभा के सदस्य थे और २८ मई को उनकी मृत्यु हुई और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। वे बदायूं जिले के रहने वाले थे

(इस समय दर्शक दीर्घाओं से नारे लगाये गये और सदन में पर्चे गिराये गये।)

वे वहां के प्रतिष्ठित कार्यकर्त्ता थ। १९६९ के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे। उन्हें किसी ने गोली मार दी। २८ मई को बरेली अस्पताल में उनका देहान्त हो गया। वे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और इस पर उनकी हत्या की गई जिसके लिये हम सभी को गहरा दुख है।

श्री आनन्द ब्रह्मशाह बड़हर के बड़े जमीदार थे और उनको राजा साहब, बड़हर कहा जाता था। पहले भी विधान सभा के सदस्य रह चुके थे और इस विधान सभा के भी सदस्य थे। वे बड़े सज्जन थे, बड़े शीलवान तथा मिलनसार थे। इधर कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनकी काफी दवा हो रही थी। उनका लखनऊ तथा इलाहाबाद में काफी इलाज हुआ परन्तु उनके प्राण बच नहीं सके और उनका देहावसान हो गया। श्री खुशीराम जो भी यहां के भूतपूर्व सदस्य थे और बीमारी के कारण ही उनका देहांत हो गया। श्री बालकराम वैश्य से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। वे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे और सार्वजनिक सेवी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता के युद्ध में अच्छा हिस्सा लिया था। वे लखनऊ के रहने वाले थे। उनका निधन सहसा ही हुआ। अच्छे खासे काम करते हुये थोड़ी उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। वे बड़े कर्मठ तथा लगन के कार्यकर्ता थे। वे एक सैनिक थे और उनके देहावसान से लखनऊ के सार्वजनिक जीवन में एक स्थान रिक्त हो गया। श्री जगत सिंह जी की भी हत्या गोली से हुई। वे भी हमारी विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। श्री बंशगोपाल जी फतेहपुर के बड़े पूरान कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कई बार उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में जेलयात्रा भी की। वे विधान सभा के भतपूर्व सदस्य भी थे। वे बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे बहुत ही कठिन, कार्यशील और प्रतिष्ठित वकील थे और उनका सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा स्थान था। उनका भी देहावसान हो गया जिससे हम सभी को हार्दिक दुख है। इन सभी सदस्यों का जिनका शरीरांत हुआ है हमारे विधान सभा के या तो वर्तमान अथवा अतीत के सदस्य रहे हैं और हम सभी उन को भलीभांति जानते हैं। वे सभी सार्वजनिक सेवी थे और उनका संसार से उठ जाना इस प्रदेश के

सार्वजनिक हित के लिये एक बड़ी भारी क्षति है। हम सभी को उनके प्रति सहानुभूति है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं स्वर्गीय, श्री श्रीप्रकाश का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि हमारे प्रदेश के अन्दर पुरानी पीढ़ी के नेताओं में थे और जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में इस प्रदेश का नेतृत्व किया था। वह ऐसे परिवार से आते थे जो संसार प्रसिद्ध रहा है। डा० भगवान दास का हमारे सूबे और देश के अन्दर एक विचारक की दृष्टि से, एक लेखक की दृष्टि से, एक दार्शनिक की दृष्टि से और एक अत्यन्त ऊंचे प्रकार के समन्वयवादी की दृष्टि से जगत की विद्वान मंडली में स्थान रहा है। श्री श्रीप्रकाश जी, उनके पुत्र थे। सामाजिक जीवन में, शिक्षा क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में सर्वत्र श्रीप्रकाश जी ने छाप छोड़ी है और लगातार पिछले ५५ वर्षों से देश की सेवा में लगे थे। होम रूल से ही उन्होंने देश के सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और जब तक बीमारी से अशक्त नहीं हो गये बराबर इसमें लगे रहे। हम सभी जानते हैं कि उनका एक बड़ा भारी क्षेत्र शिक्षा का रहा है। काशी विद्यापीठ, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और थ्योसोफिकल सोसाटइी में उनका योगदान रहा है। एक प्रशासक की हैसियत में, राज्यपाल की हैसियत में, राजदूत की हैसियत में, सार्वजनिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता के रूप में और एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि वह संपादक भी बहुत दिन तक रहे हैं उनका स्थान रहा है। जब तक उनका शरीर छूट नहीं गया तब तक बराबर एक पत्रकार की हैसियत से लिखते पढ़ते रहे हैं। उनका काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद ८० वर्ष की अवस्था में काशी में देहान्त हुआ। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सबमें वह बड़े थे। बहुतों को उनके साथ रहकर सार्वजनिक जीवन में काम करने की शिक्षा मिली थी। मैं उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रकट करता हूं। उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार के लिये अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी यह भावनायें हमारे साथियों और दिवंगत व्यक्तियों के परिवार के पास पहुंचा देने की कृपा करें और अनुग्रह करें।

चौधरी गिरधारीलाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, जो दिवंगत आत्माओं के प्रति नेता सदन ने भाव प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। इसमें से श्री त्रिवेनी सहाय, श्री जगत सिंह, श्री आनन्द ब्रह्मशाह और श्री बालक राम वैश्य आदि किसी न किसी रूप में हमारे इस सदन के या उस सदन के साथी रहे हैं। इनके न रहने के राष्ट्रीय जीवन में बड़ी क्षति पहुंची है। जैसा कि आपने बतलाया कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है और उनका त्याग रहा है। देश के निर्माण में उसी तरह का श्री श्रीप्रकाश का भी योगदान रहा है। वह इसी सूबे में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर में एक बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान, त्यागी और तपस्वी आदमी थे। उनका हमारे देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है। देश का इतिहास इसको भूल नहीं सकता है। उसके बाद जिस समय हमारा मुल्क आजाद हुआ उन्होंने उसका निर्माण किया। उसके प्रशासन में और विधान में कार्य किया है। उनकी विशेषता सादगी थी। उनका जीवन सादगी और सरलता से भरा हुआ था। साथ ही वह देश की परम्पराओं को एक विशेष तरीके से निभाना चाहते थे और गलत परम्पराओं के प्रति भी वह बड़े चौकस रहते थे। मुझे याद है कि बहुत सी उनमें इस प्रकार की बातें थीं जिनको वह गवर्नर पद से त्याग-पत्र देने के बाद देहरादून से और दूसरी जगहों से पत्रों के द्वारा प्रकाशित करते रहे और इसी तरह साधारण व्यक्तियों की भावनाओं को भी व्यक्त करते रहे। उनके उठ जाने से पूरे समाज के लिये और राजनीति के लिए बड़े दुख का दिन है। वे हमारे देश की एक विभूति थे जिनके निधन से हमारे समाज

[चौधरी गिरधारी लाल]

और विद्वत समाज को बड़ी क्षति पहुंची है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनके संतप्त परिवार को भगवान शक्ति दे कि वह इस घात को सहन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने श्री श्रीप्रकाश जी और दूसरे साथियों के प्रति जो भावनायें प्रकट की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीप्रकाश जी एक महान विभूति थे। वह देश की आजादी के एक तेजस्वी सेनानी थे। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके विचारों और जीवन की पवित्रता और उनके हृदय की विशालता कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको स्फूर्ति नहीं देती थी। उन्होंने जीवन के विभिन्न अंगों में इस देश की सफल सेवा की है। अध्यापक की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से, प्रशासक की हैसियत से, हाईकमिश्नर की हैसियत से और राज्यपाल की हैसियत से उनकी सेवायें इस बात का प्रमाण हैं कि उनमें कितनी प्रतिभा थी और इस देश की सेवा के लिये वे कितने उपयोगी और इस देश के कितने महान सपूत थे। उनके संसार से उठ जाने से हमारे देश को महान क्षति पहुंची है और उनके उठ जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है, उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। ऐसे महान् व्यक्ति हमारे बीच से धीरे-धीरे उठते जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के उठने से जो स्थान रिक्त होते जा रहे हैं हम लोगों के सामने, उससे यह बड़ी कठिनाई पदा होती जा रही है कि उनकी पूर्ति कौन करेगा और उनके द्वारा जो देश की सेवा हो रही थी उसकी पूर्ति कैसे हो सकेगी। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे दल और मेरी तरफ से उनके परिवार को हमारी संवेदना पहुंचा दी जाय और भगवान् से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। उनके अतिरिक्त जो और हमारे पुराने साथी हमारे बीच नहीं रह गये हैं वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छे कर्मी थे और उन्होंने देश की अच्छी सेवा की थी। वे सभी हमारे बीच कार्य करते थे। उनके उठ जाने से हमारे बीच में रिक्तता हुई है और उनकी सेवाओं से हम वंचित हुये हैं। उनके प्रति भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मेरी तरफ से और मेरे दल की ओर से उनके विक्षुब्ध परिवारों को हमारी संवेदना भेज दी जाय।

***श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने को और अपने दल को उन विचारों से जिनको माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता भारतीय क्रांति दल ने व्यक्त किये हैं, सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जितने स्वर्गीय आत्माओं के बारे में अभी हमने विचार व्यक्त किये ह, उनमें दो व्यक्तियों की जो हत्या हुई हैं वह और दुखद है---श्री त्रिवेनी सहाय और श्री जगत सिंह की। ये सब समाजसेवी थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। श्री आनन्द ब्रह्मशाह जी भी बड़े ही सज्जन और मिलनसार थे तथा मृदुभाषी थे। श्री खुशीराम जी ने अपना जीवन पद-दलितों की सेवा में लगाया और पहाड़ी क्षेत्र में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लिये उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। उनकी सेवा के लिये सारे जीवन में उन्होंने बड़ी जबरदस्त मुठभेड़ की। बंशगोपाल जी भी समाजसेवी थे। उन्होंने भी अपना जीवन समाज सेवा में बिताया। इन सब के देहावसान से हम सब दुखी हैं क्योंकि हमारे बीच से तमाम समाजसेवी उठते जा रहे हैं इसका हमें दुख है एक और दूसरे व्यक्ति श्रीप्रकाश जी के बारे में भी चर्चा हुई है। वे भी एक बहुत ही महान् व्यक्ति और महान् परिवार के थे। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी क्षेत्र में हो, देखा जाय तो वे बहुत ऊंचे थे। उन्होंने जीवन भर समाज की सेवा की, और स्वतंत्रता संग्राम में प्राणपण से बराबर लगे रहे। चाहे गवर्नर होकर, चाहे हाई कमिश्नर होकर, चाहे अध्यापक होकर, हर तरह से उन्होंने देश की सेवा की। मान्यवर, उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वे अपने बहुत बड़े-बड़े लेखों में बड़े ही निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करते थे। वे आधुनिकता और परम्परावाद में समन्वय देखना चाहते थे। जब कभी विचारों का ऐसा संघर्ष हुआ तो दलगत विचारों से ऊपर उठ कर ही उन्होंने हमेशा अपने विचार व्यक्त किये। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं उनके लेखों को पढ़ता था तो मुझे बड़ा साहस और सन्तोष होता था और मेरा मन उनकी प्रशंसा करता था। ऐसे महान् व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो इतनी निर्भीकता से अपने विचार समाज के सामने रखें। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। यह बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना कठिन है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति दें तथा आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी भावनाओं को उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने दिवंगत आत्माओं के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए उनसे इस अवसर पर यह प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें दो साथी, श्री जगत सिंह और श्री त्रिवेनी सहाय जी, अपनी नैसर्गिक मौत से नहीं मरे। श्री त्रिवेनी सहाय जी की हत्यारों के जुल्मी हाथों से मौत हुई। मान्यवर, देखने में आता है कि गांधी युग में जो उदारता और सहिष्णुता थी समाज में, वह आज धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। अगर यह कहा जाय कि वह समाप्त हो गई है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। थोड़े मामूली राजनीतिक अथवा अन्य मतभेदों पर लोग आजकल एक दूसरे के प्राण ले रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसे लोग पैदा हो गये हैं जो हत्यारे का पेशा करते हैं। किसी आदमी को २०, २५ या हजार, दो हजार रुपये लेकर वे हत्या कर देते हैं। इस तरह का आज हमारा समाज हो गया है जिसमें ये चीजें आज हो रही हैं। यह कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है बल्कि पूरे सदन के चिन्ता का प्रश्न है। इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिये। अगर इसी तरह की असहिष्णुता हमारे बीच में रही तो फिर यह दुखद घटनायें आये दिन होती रहेंगी और इस सदन को शोक के प्रस्ताव लाना पड़ेगा। पटना में अपनी पार्टी के सम्मेलन में मई की शुरुआत थी, मैं घर लौटते हुए वाराणसी में बाबू श्री श्री प्रकाश जी के दर्शन के लिये गया। वे बेचारे बहुत तकलीफ की हालत में थे। शरीर की बीमारी के कारण जो उनको पीड़ा थी, वह तो थी ही उसके साथ ही उनको एक मानसिक क्लेश था और वह इसलिये था कि स्वतंत्रता संग्राम के उस युग में, जिस युग को माननीय नेता सदन ने अभी चर्चा की, जिन मान्यताओं को सृजित किया गया था, वे आज धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं और उसकी जगह आज एक निष्ठा रहित राजनीति चल रही है। इस सबके कारण भी उनको बहुत-बहुत तकलीफ थी। एक मिनट के लिये भी कोई उनके पास जाता तो वह चीज उससे छुपी नहीं रहती और वह उनके दुख को देख लेता। जिन मान्यताओं के लिये उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, और भी बड़े-बड़े नेताओं ने उनमें भाग लिया, जब वे खत्म होती हैं तो सभी को बड़ा दुख होता है। इस पर भी इस सदन को विचार और चिन्ता करना चाहिये। इन शब्दों के साथ जो समवेदना और भावना यहां पर प्रकट की गई है, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उन दिवगत आत्माओं के संतप्त परिवारों तक आप हमारी भावनायें और संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीप्रकाश जी, श्री खुशीराम जी व अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति माननीय नेता सदन तथा अन्य विभिन्न नेताओं ने जो अपने विचार और सम्वेदनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। बाबू श्रीप्रकाश जी हमारे देश के जाने माने नेताओं में से थे। वे महान् पत्रकार एवं उच्च श्रेणी के विचारक भी थे पर्वतीय लोगों को तो उनके अंतिम दिनों तक उनसे निकट का संबंध रहा है। क्योंकि वे देहरादून में रहे, अतः वहां के हर सामाजिक कार्यक्रम में उनका सहयोग प्राप्त रहा। माननीय खुशीराम जी भी पर्वतीय अंचल के, नैनीताल के रहने वाले थे। सन् १९१० से उन्होंने पर्वतीय जिलों के पिछड़े हुए लोगों की और हरिजनों की सेवायें की हैं और उनको संगठित किया है। हर राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया। इन शब्दों के साथ, जो यहां पर विभिन्न नेताओं की ओर से विचार व्यक्त किये गये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और निवेदत करता हूं कि आप इन्हें दिवंगत आत्माओं के परिवारों तक भेजने की कृपा करें।

*श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, जो हमारे साथी रहे हैं, जो हमारे बीच में रहे हैं और माननीय श्रीप्रकाश जी के बारे में जो भावनायें नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य पार्टी के सदस्यों ने व्यक्त की हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी इस भावना को उनके परिवार तक पहुंचा देने का कष्ट करें।

*श्री छांगुरराम (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इन साथियों के निधन पर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी बल और दूसरी पार्टी के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, शोक प्रकट किया है, मैं उन लोगों की बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और साथियों के निधन पर हार्दिक दुखः प्रकट करता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी संवेदना आप उनके दुखी परिवार तक अवश्य पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के सदस्यों ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने विचार और भावनायें प्रकट की हैं, उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। वसे तो किसी के भी अपने बीच में से बिछुड़ जाने पर हमको दुःख होता है, यह साधारण सी बात है, लेकिन इतने महान पुरुष भी हमसे बिछुड़ गये, हमारे बीच से चले गये, उससे जो कष्ट हमारे दिल को हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। खास कर वो तो हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अपनी मौत से नहीं गये बल्कि मारे गये, जसा कि जायसवाल जी ने कहा यह है। आजकल की परिस्थिति का द्योतक है, जो कि बदल गई है, ऐसा पहले कभी गांधी युग में नहीं हुआ। यदि हुआ तो उनको ही गोली मारकर खत्म कर दिया गया था और उनके साथ जनता से सहिष्णुता भी चली गई। धीरे-धीरे हम इस हद तक पहुंच गये कि छोटी-छोटी बातों में भी हम अपने लोगों की हत्या कर डालते हैं, तो इसकी ओर हमें लक्ष्य करना है।

दूसरे जो देश की सेवा करते-करते हमारे बीच से गये हैं वे राजा, आनन्द ब्रह्मशाह, श्री खुशीराम और बालक राम वैश्य है। खुशीराम जी जो बहुत वृद्ध थे, जीवन भर उन्होंने अछूतों और पिछड़ी हुई जातियों की पहाड़ी क्षेत्र में सेवा की थी। सदन में उनका भाषण करीब-करीब रोज ही हुआ करता था। मैं हर विषय में उनके विचार और आवाज सुना करता था। उनकी आवाज अब भी हमारे कान में भनक रही है। उन्होंने जीवन भर काम किया है और बहुत वृद्धावस्था में हमारे बीच से चले गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक और महान् व्यक्ति हैं जो हमारे बीच से गये हैं, जिनके बारे में कहने को हमें शब्द भी नहीं सूझ पड़ते हैं। श्री प्रकाश जी नेता सदन के शहर काशी के महान् विद्वान् देशभक्त रहे हैं। उनके खानदान में सभी एक से एक महान् विभूतियां हुई हैं। चाहे भगवान दास जी हों या अन्य कोई। भगवानदास जी तो हमारे गुरू रहे हैं, वह हमें धर्म की व्यवस्था के संबंध में भी विचार देते थे। धर्म कैसा होना चाहिये, इसके बारे में उन्होंने हमें कालेज में बताया था। इन्टर में उन्होंने हमें पढ़ाया था। ४ साल तक मैं धर्म शिक्षा उनसे पाता रहा हूं। उन्हीं के सबसे बड़े लड़के श्री प्रकाश जी थे। जब मैं कालेज में गया था तो उस समय वह विलायत में बैरिस्टरी सीखने गये थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि वकालत में उनकी रुचि नहीं है क्योंकि उसमें सत्यासत्य का विचार नहीं रहता और उनको धर्म के ऊपर बड़ी श्रद्धा थी। इसलिये उन्होंने सार्वजनिक जीवन अख्तियार किया और जीवन भर जिस किसी क्षेत्र में वह रहे, हर क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे कार्य करके दिखाया, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो और सबसे ऊंचे पद भी प्राप्त किये। कई जगह वह गवर्नर रहे। किसी काम से उनके प्रान्त जाने पर उन्होंने अपने यहां मुझे उतरने का निमंत्रण दिया कि आप यहां रहिये मेरे पास' जिस वक्त किसी प्रान्त में प्रेजाइडिंग आफिसर्स कानफ्रेंस होती थी, और वे उस प्रान्त के गवर्नर रहे तो उनका मेहमान मैं रहा। जो उनमें नम्रता थी, और जो सब की दुखसुख की बातें जानने की उत्सुकता थी, ऐसा मालूम होता था कि जसे वे अपने भाई ही हों। इस तरह के व्यक्ति थे। सब को अपने कुटुम्बी की तरह मानते थे, जैसे कहा गया है--'अयं निजः परो वेत्ति, गणना लघुचेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैवम् कुटुम्बकम् ।।' वसुधा को ही वे कुटुम्ब मानते थे और उसी तरह का व्यवहार वे करते थे प्रेम से। जिसको जो आवश्यकता होती थी उसको उस तरह से सलाह भी दिया करते थे। वह बड़े महापुरुष, जिनसे पत्रकार और बड़े-बड़े स्टेट्समैन सलाह करते थे, वह अच्छे स्टेट्समैन थे। वह अपने विचारों को प्रकट करने में निर्भीक थे। अपनी पार्टी के विचार से, अपने नेता के विचार से भिन्न विचार हों तो वे उनके सामने स्पष्ट कहते थे और अखबारों में छपवा भी दिया करते थे। किसी तरह का लगाव लिपटाव उनमें नहीं रहता था। वे कहते थे कि जब मैं इस देश का सेवक हूं, तो सच्ची राय अपने देश को दूं और अपने अनुभव से उसे लाभ पहुंचाऊं। ऐसे महापुरुष का जाना, मेरे लिए जैसे मेरे बड़े भाई चले गये हों, ऐसा मेरा उनके कुटुम्ब के साथ संबंध रहा। चन्द्रभाल जी मेरे क्लास फेलो थे। वह मेरे बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई श्री प्रकाश जी के सहसा चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है, हिन्दुस्तान भर को उनके जाने से दुख हुआ है। बल्कि मैं कहता हूं कि जहां बाहर देशों में वे गये थे, उन्होंने जिनको अपनाया, वे भी दुखी हुए होंगे। सभी लोग उनकी तारीफ करते थे। उनका सब के प्रति एक सा भाव था। उनकी तारीफ सब जगह होती थी, उनकी शुद्धता और सत्य निष्ठा के कारण। ऐसे महापुरुष के जाने से यद्यपि वे सदन के सदस्य नहीं रहे हम सब को जो दुख हुआ है जो हम सब ने व्यक्त किया है, नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने उनके प्रति जो कहा है, और जो बातें उन्होंने अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति कही हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्माओं को शांति दे। इस सदन की सम्वेदनायें मैं सबके कुटुम्बियों के प्रति भेज दूंगा ।

अब हम दो मिनट के लिये खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्माओं की शांति के लिए।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के बावजूद भारत सरकार द्वारा बंगला देश को मान्यता न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, २९ मार्च, १९७१ को इस सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार बंगला देश को मान्यता दे। यह प्रस्ताव मेरे पास मौजूद है। मान्यवर, यह प्रस्ताव अभी तक अमल में नहीं लाया गया है जिस से इस सदन की गरिमा नष्ट हो रही है। यह प्रस्ताव इसी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया था। यदि सदन द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया गया तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने प्रस्ताव को, खुद ही चबा रहे हैं। अतः श्रीमन्, मेरी आपसे तथा नेता सदन से यह प्रार्थना है कि जो प्रस्ताव पास किया गया है उसे भारत सरकार क्यों अमल में नहीं ला रही है, इसके लिये भारत सरकार की निन्दा करें। प्रदेश सरकार बंगला देश को मान्यता देने के लिये दबाव दे क्योंकि बंगला देश में मानव व मानवता की हत्या हो रही है। श्रीमन्, यह इस सदन की मांग है और सदन के सभी सदस्य यह मांग करते हैं कि बंगला देश को मान्य ा मिले और बंगला देश को नैतिक, भौतिक और सामरिक सहायता भारत दे। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि वह हमारे सदन का अपमान कर मानव व मानवता की रक्षा न करने का पाप कर रही है और देशवासियों को संकट में डाल रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, भाषण नहीं दे रहा हूं। यह प्रस्ताव जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पास किया था मेरे पास है और अभी तक यह प्रस्ताव अमल में नहीं आ सका है। इसके लिये भारत सरकार की निन्दा होनी चाहिये कि इसे अमल में क्यों नहीं लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कायदे से चलें। इस विषय पर अगर आप चर्चा ही करना चाहते हैं तो इसके लिये नियम ५१ है और इस विषय पर मेरे पास प्रश्न आ भी चुका है। इस प्रश्न पर विचार किया जायगा कि वास्तव में इतने दिन हो गये प्रस्ताव पास हुआ था क्या हुआ। इसलिये इसके ऊपर नियम ५१ के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा हम लोग यहां पर कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप इस विषय पर चर्चा करने की इजाजत तो दे रहे हैं न.....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मेरे पास सवाल आया है.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, यह एक बड़ा अहम प्रश्न है और इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये। अब तक हमारे देश में हजारो शरणार्थी आ चुके हैं उनके लिये अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है ।

सीटों के आबंटन के सम्बन्ध में शिकायत

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई। मुझे लगता है कि आज से ही अनुशासन में गड़बड़ी प्रारम्भ हो गई। प्रश्नों के समय भी ३–४ बार में खड़ा हुआ, आपने मुझे मौका नहीं दिया और फिर भी खड़ा हो रहा हूं तो आप बोलने का अवसर नहीं देते हैं। व्यवस्था का प्रश्न उठाने हेतु खड़ा हुआ तो भी आपने समय नहीं दिया। आप जब खड़े हुये तो मैं पुनः बैठ गया तो इससे जाहिर होता है कि अनुशासन में गड़बड़ी शुरू में ही पैदा हो गई। मैं भी एक दल का नेता हूं यहां पर जो सीटों का आबंटन किया गया है, उसमें मेरी सीट इतनी दूर रखी गई है कि यहां से बोलूं तो आप सुन नहीं सकते। इतने आदमियों के बीच केवल एक लाउडस्पीकर रखा गया है। कम से कम सदस्यों की संख्या के अनुपात से तो लाउड-स्पीकर का आबंटन होना चाहिये। अगर ऐसी गड़बड़ी रही तो आप हमें बोलने का अवसर कभी नहीं दे सकते। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस आबंटन के ऊपर आप पुनः चिन्ता करें। मुझे आज यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। अतः आज शाम तक इसको देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना ठीक है कि अनुशासन इसलिये भंग हुआ। यह नहीं होना चाहिए यह सही बात है। उन्होंने कहा कि अनुशासन भंग होने के लक्षण फिर से दीखने लगे हैं.....

(व्यवधान)

पंचायत मंत्रियों की गिरफ्तारी तथा विभिन्न बांधों के टूटने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरी व्यवस्था का प्रश्न उठा कर जो प्रश्न ५१ में आ चुका है, शायद और चीजों में आ चुका है उस प्रश्न को फिर दोहराना शुरू कर दिया। तो जिस समय वह आयेगा वह तो आखिर में होगा।

कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। देवरिया जिले के बारे में, जो बाढ़ आई है, उसके विषय में कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

अब व्यवस्था भंग न करें। सवाल यह है कि आगे जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं नाम लेता चला जाता हूं और समय पर वह आयेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पंचायत मन्त्री लगभग १० हजार की संख्या में यहां प्रदर्शन करने के लिये आये हैं। मैं बार-बार इस सदन में कह चुका हूं चाहे मैं उस तरफ बठा रहा या इस तरफ कि जो भी प्रजातन्त्रात्मक तरीका शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अपनाया जाय उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। १० हजार पंचायत मंत्री अपनी उचित मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आये तो शासन ने लगभग हजार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको मालूम होना चाहिये कि उनको ७५ रुपया तनख्वाह मिलती है.....जिस प्रकार निर्दयता के साथ भेड़ के समान उनको बसों में भर दिया गया—एक-एक ट्रक में दो-दो सौ, तीन-तीन सौ को.....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं कि प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना होती है कि सदन का कार्य-स्थगन होना चाहिए। मैंने एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है। अगर उसे साढ़े चार बजे लेना है तो कोई उसका उपयोग नहीं रह जायगा। छितौनी, देवरिया बांध के अन्दर सरकार की कितनी लापरवाही हुई है, मैं समझता हूं कि सिंचाई मन्त्री को तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए। वहां हजारों नागरिक डूब गये हैं, गांव के गांव बह गये हैं और वहां के लोग स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं कि उस मौके पर वहां के इंजीनियर्स को छुट्टी दे दी गयी, वायरलेस स्टेशन ने काम नहीं किया। आज सारे प्रदेश के अन्दर हजारों नागरिक उसके कारण दुखी हैं। आप कहते हैं कि साढ़े चार बजे लेंगे, पर उस समय क्या औचित्य इसका रह जायगा?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

दो साल से मैं देख रहा हूं....कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं.....

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी तहसील में बाढ़ आई है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, छितौनी बांध टूट रहा है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

नारायणी बांध फट गया है। हजारों आदमी परेशान हैं। करीब १०० गांव जलमग्न हैं। इसके बारे में मैंने एक कार्य-स्थगन दिया था, उसका क्या हुआ?

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरी तहसील में बाढ़ आयी है, आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये मैं बताता हूं। पहले दिन ही कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर विचार चला कि पानी इतना अधिक बरसा है, बहुत से स्थानों पर गल्ला सड़ गया है तथा छितौनी बांध वगैरह के टूटने से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा है। इन सब बातों पर विचार करके यह तय किया गया कि बजट के समय को निकाल कर जो समय भी बचे, उसमें आज और कल लगातार इस विषय पर चर्चा हो जाय। इस प्रश्न को कृष्णानन्द राय जी ने रखा था।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह सरकार पंचायत मन्त्रियों की गिरफ्तारी कर रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप दो चीजों को मिला रहे हैं, एक है अतिवृष्टि के बारे में और दूसरी बात है छितौनी बांध के टूटने के विषय में। वह तो सरकार की लापरवाही से टूटा है। उसके ऊपर सिंचाई मंत्री जी त्याग-पत्र दें। अतिवृष्टि से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय कृष्णानन्द राय जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राय साहब बैठ गये हैं इसलिये मुझे मौका दे दिया जाय।

(व्यवधान)

(सदन में एक साथ कई सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय सदन १२ बजकर ५५ मिनट पर स्थगित हुआ और १ बजकर १० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

छितौनी बांध के टूटने और वर्षा तथा बाढ़ से हुई क्षति पर चर्चा करने के लिये समय की मांग

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, एक जरा सा भ्रम उत्पन्न हो गया था और इसीलिये यह सदन आपको ऐडजर्न भी करना पड़ा। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में सरकार की तरफ से जो एजेंडा उपस्थित किया था तो उसमें हम लोगों की तरफ से यह सलाह दी गई कि चूंकि सारा प्रदेश बाढ़ के प्रकोप में है और मई और जून में असामायिक वृष्टि के कारण से काफी अधिक गल्ले की क्षति हुई है लिहाजा हमारे जितने आदरणीय सदस्य प्रदेश भर से आयेंगे उनके माइंड एजिटेटेड रहेंगे इन प्रश्नों को लेकर अतः जो कार्यक्रम बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसको न स्वीकार कर के ऐसा किया जाय कि पहले इसके लिये दो दिन का विवाद निश्चित किया जाय केवल अतिवृष्टि और बाढ़ के विषय पर जिससे कि सदस्यगण सरकार को सुझाव दे सकें या उन शिकायतों को कर सकें। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और सरकार के भी जो प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुये थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि दो दिन तक इस सदन को अवसर देते हैं कि इन सारे प्रश्नों पर काफी गम्भीरतापूर्वक विवेचन कर सकें और सरकार और विरोधी दल के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि इस दैवी आपदा का मुकाबला कैसे किया जाय। मुझे आशा है कि हमारे आदरणीय सदस्यगण इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे और दो दिन का जो विवाद का समय हम लोगों को मिला है, उसका प्रयोग करके रचनात्मक सुझाव इस सदन के सम्मुख रखेंगे।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि राजस्व मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है। या तो उसे पढ़ा हुआ मान ले या वह पढ़ना चाहें तो दो-चार लाइनें पढ़ दें और उसके बाद हम लोगों को विवाद इनिशिएट करने का अवसर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपके सदन स्थगित करने से पहले स्वामी जी ने कामरोको-प्रस्ताव का प्रश्न उठाया था और अब कृष्णानन्द राय जी ने जो बात कही है यह बात सही है कि हम उनके भाव से जो उन्होंने व्यक्त किया है सहमत हैं और उसका आदर करते हैं। प्रश्न यह है कि सरकार की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। यह दोनों एक साथ जोड़े नहीं जा सकते। अतिवृष्टि से बहुत नुक्सान हुआ है। उसके लिये सरकार क्या करे और विरोधी पार्टियों के लोग क्या चाहते हैं, एक प्रश्न तो यह है। और दूसरा प्रश्न यह है कि छितौनी बांध जो हर साल टूटता है, किसी साल की प्रोसीडिंग बची नहीं है जिसमें इसका मसला न खड़ा हुआ हो और इस साल की घटना तो पिछले सालों की घटनाओं से अलग है। इसीलिये आपका ध्यान आकृष्ट किया गया कि आप हाउस का काम बन्द करके इस पर अलग बहस करायें इसलिए हम चाहते हैं कि छितौनी बांध का प्रश्न अलग कर दिया जाय बाढ़ और अतिवृष्टि के सवाल से।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यहां अव्यवस्था कायम करने का हमारा कोई मंशा नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर छितौनी बांध के प्रश्न पर सारे प्रश्न के साथ ही बहस की गई तो यह सवाल इतना डायल्यूट हो जायगा कि उसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा। मैंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है उसका महत्व तभी है जब कि इसके ऊपर अलग से विचार हो क्योंकि डाक्टर के० एल० राव ने स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दी है कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर आप इसको मिला देंगे तो इसका आशय ही समाप्त हो जायगा। इसलिये आप काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और उसके बाद दूसरी बहस लें।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको, प्रस्ताव के स्वीकार करने का सवाल नहींहै। इस विषय पर बात तय हुई थी कि इस बाढ़ के विषय पर चर्चा होनी चाहिये। इसमें आप यह कहेंगे कि सरकार की गलती से ऐसा हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकार अब तक रही है उन सबकी लापरवाही से ऐसा हुआ आप यह कह सकते हैं। लेकिन प्रस्तुत सरकार को यह कहने का अधिकार होगा कि उसकी लापरवाही नहीं है। उनको ऐसा कहना पड़ेगा ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैंने कहा कि हम लोगों ने यह तय किया कि उस पर चर्चा हो जाय। छितौनी की लापरवाही हुई लेकिन छितौनी का मसला १, २ जिलों का हो सकता है परन्तु यहां पर १५, २० जिले ऐसे हैं जिनको छितौनी बांध का पता भी नहीं है, वे अपने जिले की बात कहना चाहते हैं कि उनके यहां गल्ला सड़ गया। वे लोग अपनी बात कहना चाहेंगे। इसलिये यह बात कही गई कि वे भी बोल लें। वे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। वे इतना ही कह सकते हैं कि हमारे यहां गल्ला सड़ गया। छितौनी बांध के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। उसमें इस तरह से दरार पड़ गई, इतने गांवों का नुकसान हो गया, इतने आदमी बेघरबार हो गये तो वे ज्यादा बोल लें। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको बोलने न देना उचित नहीं है। इसलिये यह तय हुआ था कि वे भी थोड़ा बहुत बोल लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह आप किस नियम के अनुसार कह रहे हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है जब यहां पर बजट अधिवेशन चलता है तो हम कामरोको प्रस्ताव लेते नहीं हैं क्योंकि वे सब बातें अपनी सम्बन्धित प्रांट विचाराथ आने पर यहां पर कह सकते हैं। इसलिये यह सोचा गया कि इस कामरोकों प्रस्ताव को न लेकर यहां पर इस पूरे विषय पर चर्चा कर लें। उस बहस में आपके कामरोको प्रस्ताव का विषय भी आ जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दैवी प्रकोप हुआ है उसमें हम और सरकार दोनों मिल कर विचार करेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिये, लेकिन सरकार की लापरवाही से जो छितौनी बांध से हानि हुई ह उसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो अधिकारी इस घटना के लिये दोषी हैं उनको दंडित किया जाय। दोनों विषयों का अलग-अलग नजरिया होगा। केंन्द्रीय सरकार के मंत्री ने इस विषय में अपनी टिप्पणी दी है।

श्री अध्यक्ष—

जब यह आइटम आयेगा तब आप उस विषय पर बोल लीजियेगा। वह ४५ नम्बर पर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप कृपया मेरी बात तो सुन लें। मैं आप की आज्ञा मानने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया। यह बात होने के बाद फिर आपके कामरोको प्रस्ताव की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं इसको रिजेक्ट करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप उस पर विचार करने की अनुमति तो दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह नम्बर ५४ पर आयेगा। यह बात तय हुई थी कि कामरोको प्रस्ताव न आकर काम को यहां पर रोक कर बहस की जायगी। काम रोकने की बात स्वीकार हो गई है और दो रोज तक इस पर बहस होगी। इस पर नारायण दत्त जी तिवारी एग्री हो गये थे। हम लोग भी इस बात के लिये तैयार हैं। वह एक वक्तव्य दे देंगे। इसके बाद आप उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

४५ नम्बर पर तो यह २०० करोड़ रुपया की इमदाद की बात कहेंगे जो सरकार करना चाहती है। तो इसके लिये चर्चा का समय काफी दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

दो रोज का समय इसके लिये कर दिया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मेरा मतलब यह है कि मंत्री जी का जो बयान आया है उसमें जानिबदारी बरती गई है, उसमें पूर्व-पश्चिम का सवाल पैदा किया गया है। उस पर हम को जरूर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मौका दिया जायगा।

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

*कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

यह प्रश्न आपने छितौनी बांध के संबंध में अगर रखा है तो बांध श्री बैजनाथ के क्षेत्र में टूटा है और बिहार में जो उसका भाग टूटा है वह भी इसमें छूट जायगा। इसलिये मुनासिब होगा कि यह बहस कुल प्रदेश की और छितौनी बांध की अलग-अलग कराई जाय। इस तरह से अगर करेंगे तो लोगों को अपने विचार रखने का ठीक से अवसर नहीं होगा। यह बहुत ही पुराना विषय है और माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग के पहले मंत्री रह चुके हैं, हम उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और मैं जानता हूं कि किस तरह का व्यवहार वहां के लोगों के साथ हो रहा है, हमको पूरा अवसर अगर नहीं मिला तो हम पूरी बात यहां न रख सकेंगे। मंत्री जी और केन्द्र के लोग तो मोटर, हवाई जहाज से बैठ कर देख आते हैं लेकिन उनके सामने जो सही बातें और तकलीफें हैं वे नहीं आ पाती हैं। आज वहां बाढ़ से क्षति होते हुए २५ दिन हो चुके हैं और वहां भारी नुकसान हुआ है। वहां तो अफसर लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां के जिलाधीश का, हाटा और पडरौना के एस० डी० एम० का तबादला हो गया है, वहां के विधायक नहीं बल्कि पुराने साथी होने के कारण उनकी बातें मानी जाती हैं और कितने ही ट्रान्सफर इस तरह के हुये हैं, बाढ़ आई हुई थी और कितने ही सिंचाई विभाग के अधिकारी छुट्टी पर थे.... ।

श्री अध्यक्ष—

अभी यह तय हुआ था कि यह आरम्भ के फार्मल आइटम्स जो हैं इनके होने के बाद वह आइटम आयेगा। उस वक्त आप ही इनिशियेट करें। आप कह रहे थे और कृष्णानन्द राय जी भी कह रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिये अब कोई झगड़ा नहीं है, तो मैं चला आया। यह सब पेश हो जायं उसके बाद वह आइटम आयेगा। आप ही इनिशियेट करना चाहें तो आप ही करें, जिसको अधिक जानकारी हो वही इनिशियेट करें और सब बातें बतायें, कृष्णानन्द राय जी न करें तो आप ही करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सवाल यह नहीं है कि इनिशियेट कौन करे बल्कि प्रश्न यह है कि इस २ दिन की बहस में से कोई निश्चित समय छितौनी बांध की चर्चा के लिये दे दिया जाय। माननीय स्वामी जी की और कुंवर साहब की राय भी यही है। आप कृपा करके अतिवृष्टि के लिये समय अलग निश्चित कर दें। इस अलग-अलग समय के बंटन से यह समस्या हल हो जायगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि यह जो २ दिन की बहस रखी गई है अगर आप उसको इस तरह से बांट दें कि आज केवल छितौनी बांध पर ही चर्चा हो और कल को पूरे प्रदेश की बाढ़ समस्या पर बहस हो जाय। यह एक गम्भीर मसला है और इस तरह से २ दिन में पूरे मामले पर चर्चा हो जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह ठीक है आज छितौनी बांध की चर्चा हो जाय और कल बाढ़ पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष—

यदि सबको मंजूर है तो ठीक है ऐसे ही कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह केवल छितौनी बांध का या चमोली जिले का ही सवाल नहीं है बल्कि यहां प्रश्न भारत की सुरक्षा का ह क्योंकि यह बागमती का जो क्षेत्र है.....

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये कल समय मिलेगा।

श्री इन्द्रमणि—

वह होता ही नहीं है, गत वर्ष से यह शिकायत है गत वर्ष भी यह सड़क टूटी, बाढ़ आई लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

तो मेरी यह प्रार्थना है कि जो लोग आज छितौनी बांध पर बोलें, उनको आप कल समय नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, समाचार पत्रों में यह छपा है कि...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमण कालीन उपबंध) अध्यादेश, १९७१

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमण-कालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७१†

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७१ सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७१†

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

श्रीमन् आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७१†

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, १९७१, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७१†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७१†

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १९७१†

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७१†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) का अध्यादेश, १९७१†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१†

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम् प्रकाश सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१††

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७०†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस-टी-३२५५/१०—९०६ (ए-बी०—२)—६८, दिनांक १६ नवम्बर, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७० को जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २२ मार्च, १९७१ को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौथा संशोधन) नियमावली, १९७०†

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६७०—टी/३०—ख-७—पी—७०, दिनांक २४ नवम्बर, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौथा संशोधन) नियमावली १९७० को जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २९ मार्च, १९७१ को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१†

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२०१—टी/तीस—ख—९ (१७)—पी—६९, दिनांक २ जनवरी, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१ ई० को जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २९ मार्च, १९७१ को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१†

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६६२—टी/तीस—ख—३९—पी—६७, दिनांक १७ जनवरी, १९७१ ई० द्वारा प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ को जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २९ मार्च, १९७१ को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

††छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९७०†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९७० को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे १९६८–६९ तथा विनियोजन लेखे १९६८–६९ सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (शुल्क) (संशोधन) नियमावली, १९७१†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६७८–वि०/७१–२३–पी० बी०–१७९–७०, दिनांक ६ मई, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (शुल्क) (संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ की धारा १० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१†

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५१६६–टी/तीस––ख–२० –पी–७०, दिनांक ३ मई, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) नियमावली, १९७१†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस-टी–६४३/दस–९४८–(२)–६७, दिनांक ६ अप्रैल, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, १९७०†

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त वाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६२७ (एस० टी०)/३६ ए–२२० (एस० टी०)–६७, दिनांक १६ दिसम्बर, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, १९७० को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा २३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

वित्त (लेखा-परीक्षा एवं बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्तियां**

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री कर) विभाग की विज्ञप्तियों :

(१) संख्या एस० टी० ११९५३/दस–९००(११२)–९६, दिनांक २१ अप्रैल, १९७१,

(२) संख्या एस० टी० ३७५/दस–९०० (२८)–७०, दिनांक २३ अप्रैल, १९७१, और

(३) संख्या एम० टी० १७८१/दस–९०० (४२)–६७, दिनांक १८ मई, १९७१, को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन सम्बन्धी पत्र

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण २२ मार्च, १९७१ को यहां दिया.....।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है .....।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं तब आप नहीं बोल सकते.....।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मेरी बात तो सुन लें.....।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रस्ताव पास हुआ था वह उनके सामने पेश हुआ। उन्होंने लिखा है :—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक मार्च, ३० के लिये, जिसे आपने तथा उपाध्यक्ष एवं सदनों के सचिवों ने स्वयं आकार मुझे आज भेंट किया धन्यवाद देता हूं। मैंने विधान मंडल के एक साथ समवेत सदनों के समक्ष जो अभिभाषण २२ मार्च, १९७१ को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की ३० मार्च, की बैठक के कतिपय की संशोधनों सहित, तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।"

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २३ फरवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया।

** छापी नहीं गयीं।

श्री गोविन्द सिंह की गिरफ्तारी तथा रिहाई के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना यह है कि नेगी जी को गिरफ्तार किया गया और मुझे सूचना कल दी। मैजिस्ट्रेट ने यह भी सूचना दे दी कि उनको हमने रिहा भी कर दिया . . .।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

कौन से नेगी गिरफ्तार हुए और किस जुर्म में गिरफ्तार हुए ?

श्री अध्यक्ष—

जब रिहाई हो जाय तो उसको सिर्फ बता देने की जरूरत है कि रिहाई हो गयी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर मसला है। हिन्दुस्तान के सारे समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य चोरी की कार में मौजूद थे या उसके नजदीक खड़े थे और कुछ पुलिस वाले चोरी की कार की तलाश में वहां पर गए और उन सदस्य साहब को गिरफ्तार किया। अखबारों में यहां तक है कि उनको पुलिस ने तमाचा भी मारा। उसके बाद जब उन्होंने परिचय दिया तब शायद होम डिपार्टमेन्ट वगैरह से इंस्ट्रक्शंस मिले तो छोड़ दिया। तो यह भ्रम फैला हुआ है कि कौन सदस्य है, चोरी में हाथ था या पुलिस ने ज्यादती की, एक अनस्क्रूपुलस काम किया ? सारे प्रदेश में एक अपमानजनक भावना हमारे विधान सभा सदस्यों के बारे में हो गयी है कि चोरी कार के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए, और आप कहते हैं कि छोड़ दिया गया, मामला खत्म हो गया। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि सारे वाकयात को आप या मुख्य मंत्री जी बताएं कि किन परिस्थितियों में वह गिरफ्तार किए गए और छोड़े गए जिससे विधान सभा इस मामले में आश्वस्त हो सके और प्रदेश की जनता भी जान सके कि सत्य क्या है।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक कायदे का सवाल है अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर ले तो उसका फर्ज है कि अध्यक्ष को सूचना दे। और वह सूचना मैं यहां दे दूं जितनी आ जाय। नियम यह है कि अगर मेरे सूचना देने के पहले वह छूट जाय तो म चाहूं तो वह सूचना सुनाऊं या न सुनाऊं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

सूचना के लिए तो हम आभारी हैं, लेकिन माननीय, जब तक यह न बताया जाय कि भारतीय दंड विधान की किस धारा के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी की गई तब तक यह कैसे पता लगेगा। विस्तृत रूप से इसको आना चाहिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

सदस्य का नाम अखबारों में नहीं दिया गया था। केवल यह था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वे विधान सभा के सदस्य हैं। माननीय, आजकल शहर में कारों की बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं। उसी सिलसिले में शायद उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर उनको छोड़ भी दिया गया। माननीय, यह बताया जाय कि किस सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई अखबार ने यह भी छापा उनको अस्पताल भी भेजा गया और उनका डाक्टरी मुआइना भी हुआ जिससे पाया गया कि वह शराब के नशे में थे।

श्री अध्यक्ष--

अभी दूसरी चीजों पर चर्चा होना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शहरों में कारों की चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं जो माननीय सदस्य पकड़े गये वे कम्युनिस्ट पार्टी के थे समाचार-पत्र के अनुसार। अब जब आप पूरी सूचना देंगे तभी तो मालूम हो पायेगा कि किस सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया। समाचार-पत्र के अनुसार डाक्टरी जांच से पता चला कि वह शराब के नशे में धुत थे। साथ ही पुलिस ने उनको चांटा भी मारा। अगर ऐसा नहीं था कि इस खबर को छपवा कर तथा प्रसारित करके उस सम्मानित सदस्य का अपमान किया गया और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे आपको एक सूचना देनी है। मुझे यह मिल गया है कि भारतीय दंड विधान की धारा ३७९ के अन्तर्गत विधान सभा के सदस्य श्री गोविन्द सिंह नेगी को कल दिनांक ९ जुलाई, १९७१ को रात्रि में हजरतगंज थाने में बन्दी किया गया और उसी रात्रि में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

इस विषय में कल एस० एस० पी० ने एक बयान दिया है कि वह गलत चीज थी। आप इन सभी चीजों को इकट्ठा करके देख लें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो मुख्य मन्त्री का काम है।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

एक माननीय सदस्य को पकड़ लिया, फिर मारा भी और बाद में जमानत पर छोड़ दिया और फिर एस० एस० पी० न कह दिया कि वह गलत था। आप इसको अवश्य देखें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैंने सदन की अवमानना का भी एक प्रश्न दिया है। कृपया आप उसको स्वीकार कर लें क्योंकि पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया है जो एक घोर अपराध है। सदस्य को पकड़ कर चपत मार दी जो बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार का इसमें प्रश्न नहीं आना चाहिये। इस पर बहस शुरू नहीं होनी चाहिये। फार्मल जितनी बातें हैं वे हों। इनके ऊपर दफा जो लगायी गयी है वह है १२७ और एक है ३१।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस दफा में इनकी गिरफ्तारी की गई और फिर इनको छोड़ दिया गया। माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं कि एस० एस० पी० ने जो सूचना दी है उसमें यह है कि गलत-फहमी में उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर कोई दोष नहीं था। इससे तो इस सदन का अवमान होता है। उसके खिलाफ कोई चीज नहीं है और पुलिस ने पकड़ लिया।

श्री अध्यक्ष---

मैं देखूंगा और कल इसको रक्खूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह गलतफहमी में हुआ है या कैसे हुआ है यह निश्चित रूप से बतलाया जाय। आप इसको सू मोटो भी ले सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप किस बात की जांच करेंगे कि सरकार ने छोड़ दिया या क्या जांच करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस घटना को लेकर कई वर्जून हाउस के सामने आ रहे हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी सही स्थिति पर प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनसे इसके लिये कहूंगा लेकिन पहले वह मुझे बतलावें, सदन में यह बात बाद में आवेगी। उनको वक्तव्य देना चाहिये और इसकी डिटेल्स बतलानी चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष जी, क्या आप से पूछा था कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। यह ९ तारीख को घटना हुई जब कि माननीय सदस्य सेशन अटेन्ड करने के लिये चले आये। इनको दफा ३७९ जैसी रद्दी दफा में गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया, तो इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये। आप सदन के अधिकारों की रक्षा कीजिये।

पंचम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का नवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष (श्री वासुदेव)---

मैं विशेषाधिकार समिति का सभापति, सर्वश्री त्रिवेणी राय तथा मदन मोहन मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री जगदीश प्रसाद कालाढूंगी निवासी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर, जो माननीय अध्यक्ष द्वारा १६ दिसम्बर, १९७० को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सर्वश्री त्रिवेणी राय तथा मदन मोहन मिश्र ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि श्री जगदीश प्रसाद ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र, जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, की प्रतिलिपि ऐसे दस्तखतों के साथ, जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे जाली थे, प्रस्तुत की। श्री जगदीश प्रसाद ने इस आरोप को अस्वीकार किया।

समिति ने श्री त्रिवेणी राय व श्री मदन मोहन मिश्र के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। माननीय सदस्यों ने जिस पत्र के जाली होने की शिकायत की थी उस की मूल प्रति माननीय मुख्य मन्त्री जी को संबोधित थी और केवल उसकी प्रतिलिपि समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। समिति ने उस पर कोई विचार नहीं किया। उसके कारण समिति को कोई भ्रम या धोखा नहीं हुआ और न समिति ने इस पत्र पर अपनी पहिली सिफारिश आधारित ही की थी। अतः समिति ने यह राय व्यक्त की है कि इस मामले में विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न नहीं उठता और समिति यह सिफारिश करती है कि इस विषय को समाप्त किया जाय।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के संशोधन हेतु याचिका

श्री संजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

मैं उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के विनियम ७ (४) में संशोधन हेतु श्री दिगम्बर प्रसाद शर्मा, नेहरू टेलर्स, बब्बू वाली गली, डालीगंज, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ में संशोधन हेतु याचिका

श्री सजीवन लाल—

यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ में संशोधनए हेतु श्री दिगम्बर प्रसाद शर्मा, नेहरू डेलर्स, बब्बू वाली गली, डालीगंज, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विभागाध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिये ओम-बर्ड्समैन की संस्था की स्थापना हेतु अधिनियम बनाने हेतु याचिका

श्री सजीवन लाल—

विभागाध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिये ओमबर्ड्समैन की संस्था की स्थापना हेतु अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में श्री दिगम्बर प्रसाद शर्मा, नेहरू टेलर्स, बब्बू वाली गली डालीगंज, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी ९ जुलाई, १९७१ की बठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) श्री कृष्णानन्द राय के सुझाव पर १२ व १३ जुलाई, १९७१ को प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण खाद्यान्नों के खराब होने तथा बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से हुई हानि के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री का वक्तव्य और उस पर चर्चा हो।

(२) १३ जुलाई, १९७१ को प्रश्नोत्तर के बाद लेखानुदान के संकल्प तथा विनियोग विधेयक लिये जायं।

(३) १४ जुलाई, १९७१ को निम्नलिखित विधेयक, लिये जायेंगे :—

(१) उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अनर्हतानिवारण) विधेयक, १९६९, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(२) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(३) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१।

(४) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१।

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, ३१ वाला आप छोड़ गये जिसमें विशेषाधिकार का है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसलिये छोड़ा कि उस पर आज चर्चा नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि जो भी निश्चय होते हैं वह सर्व-सम्मति से होते हैं। आपने व्यवस्था दी है कि बहुमत उसके पक्ष में है। इसलिये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। क्या यह नयी व्यवस्था आपकी है कि प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार हो सकता है और सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यहां बहुमत से ही होता है। यह हम लोग वहां तय करते हैं कि सर्वसम्मति से तय करें। विरोध नहीं किया जाता। फिर से रिकंसीडरेशन के लिए भेजा जाता है। अगर आप चाहें तो यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि कार्य-मंत्रणा समिति इस प्रस्ताव को रिकंसी-डर कर लें। वह किसी ने किया नहीं। वह बहुमत से पास हो गया।

श्री महीलाल—

माननीय शंभू नाथ जी आपत्ति करने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन आपने व्यवस्था दे दी कि बहुमत उसके पक्ष में है। मैं आपका ध्यान आपकी दी हुई व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कभी इस तरह की आपत्ति उठायी गयी या संशोधन आये तो मान्यवर ने व्यवस्था दी कि सर्वसम्मति से होना चाहिए। श्रीमन्, आपकी पहली व्यवस्था को सही माना जाय या इस नयी व्यवस्था को।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर कार्य-मंत्रणा समिति से प्रस्ताव आया तो उसके ऊपर विरोध या यह कहना कि हम यह अमेंडमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। यहां पर यह प्रस्ताव ला सकते हैं कि हम इसको वापस करते हैं, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाय। यह प्रस्ताव किसी ने दिया नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह हमारा और सदन का दुर्भाग्य है कि हम इसी बात को कहने के लिए खड़े हुए लेकिन आपने मौका नहीं दिया। बिजली की चौंध यहां चमक रही है और मैं कहने के लिए खड़ा हुआ। आप संशोधन करा दें....

श्री अध्यक्ष—

नियम में संशोधन का इस समय प्रश्न नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं खड़ा हुआ था। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। मैं खड़ा हुआ। आपने कहा कि वोट ले रहा हूं। आपने मौका नहीं दिया। यह सदन कैसे चलेगा। यह संसदीय प्रणाली हमारे लिए ही है या आपके लिए भी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।

श्री महीलाल—

माननीय शम्भू नाथ चौधरी खड़े हुए लेकिन अपनी बात कह नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि मैं अपोज करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

प्रस्ताव आन पर मैं खड़ा ही हुआ था लेकिन श्रीमन् ने मेरा नाम पुकारा ही नहीं। जब आप मेरा नाम पुकारेंगे तभी तो मैं कुछ कह सकूंगा। क्या अब यही होगा कि आप न भी पुकारें तो हम बोलने लगें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपका नाम नहीं लिया, यह सही है लेकिन आपने खुद ही कहा कि मैं अपोज करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में भी सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जो विशेषाधिकार की सूचना आपने नेगी जी के सम्बन्ध में दी है, मैंने आपसे कहा था कि इस पर जानकारी हासिल करके तब मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

छितौनी बांध के टूटने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

आज छितौनी बांध के ऊपर चर्चा होगी और कल एक दिन सारे प्रदेश में आयी बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा होगी। दो दिन तो पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहेंगे तो दो चार घंटे समय और कभी दे देंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिल गाजीपुर)—

तो क्या श्रीमन्, एक दिन आप पूरा छितौनी बांध पर चर्चा के लिए देंगे और पूरे प्रदेश में जो बाढ़ आयी है और बारिश से किसानों की फसल की हानि हुई है, उसके लिये केवल एक दिन देंगे?

श्री अध्यक्ष—

वह जनरल बात है। अगर किसी खास जिले का कोई मामला है और आप नियम ५२ में देंगे तो उस पर दो घंटे की बहस होगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

अगर छितौनी बांध के सम्बन्ध में आप कोई कामरोको प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो दो घंटे केवल छितौनी बांध पर बहस करा दें और दो दिन की बहस की व्यवस्था आप ऐसी कर दें ताकि सारे प्रदेश में जो बाढ़ आयी हुई है और असामयिक वर्षा से सारे प्रदेश में फसलों को जो नुक्सान हुआ है उस पर बहस की जा सके। क्योंकि एक छितौनी में ही बाढ़ नहीं आयी है बल्कि सारे प्रदेश में बाढ़ आयी है, सारा पहाड़ बह रहा है। मिर्जापुर जिले में ही बाढ़ से बीसों आदमी बह गये। श्री राम प्यारे जो यहां मौजूद हैं। गाजीपुर, बस्ती आदि प्रदेश के २१ जिले बाढ़ की विभीषिका में फंसे हुए हैं। छितौनी बांध का महत्व तो एक खास जिले से है। उसके लिये आप चाहें तो बहस के लिए दो ढाई घंटे का समय रख दें लेकिन दो दिन का समय हमें अवश्य दें ताकि प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से जो संकट आया हुआ है उस पर हम अपने विचार रख सकें।

श्री अध्यक्ष—

आज के लिये यह चीज तय कर रखी है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मेर व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने बाढ़ व बारिश से नुक्सान हुई फसलों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी है, मिर्जापुर के बारे में वह पूरी नहीं है। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि देहातों में जो किसानों की फसल का नुक्सान हुआ है, सरकार उस सम्बन्ध में अपनी पूरी रिपोर्ट दे दे तब इस पर डिस्क्शन का मौका मिले। सारी चीजें तो हमारे सामने हों कि सरकार ने सहायता सम्बन्धी कौन-कौन से कार्य किये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो मैं छितौनी बांध पर बोलने लगूं ताकि कार्यवाही शुरू हो जाय?

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्रम मंत्री को पुकारा गया, वे सदन में नहीं थे)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ७ जून, १९७१ तक थी किन्तु समिति इस अवधि में किन्हीं कारणों वश अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी, अतः इस विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ५ मास तक और बढ़ा दी जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

५ मास की जगह दो माह कर दिया जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

इस विधेयक को जल्दी पास होना चाहिए। संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट श्रीमन्, तैयार हो गयी है। ५ मास तक उसको न टाला जाय। दो माह कर दिया जाय।

श्री बेनी सिंह—

मैंने तो प्रवर समिति में ही दो माह के लिये कहा था मगर माननीय सदस्यों ने ही यह आपत्ति की थी कि सेशन चल रहा है, सेशन चलते हम कमेटी में नहीं बैठेंगे, इस कारण ५ मास रखा गया। मुझे दो माह रखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर २ महीने ७ अगस्त को खत्म होते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, हम चाहते हैं इसी सत्र में यह विधेयक आए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप (मंत्री जी से) किसी दूसरे दिन इसे पेश करें। अब छितौनी बांध पर चर्चा होगी।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, विधेयकों का पुरःस्थापन जो होना है ?

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में हो जायगा, साढ़े चार बजे तक यह चर्चा चलेगी, फिर बजट पेश होगा।

छितौनी बांध के टूटने के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब इस पर कौन शुरू करेगा ?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा काम रोको प्रस्ताव है, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

वह ४५ में आयेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

छितौनी बांध पर ही यदि शुरू करना चाहते हों तो किसी देवरिया जिले के आदमी को आप शुरू करने का मौका दें और यदि सामान्य रूप से पूरे प्रदेश में हुई वर्षा से क्षति के बारे में आज विचार होना हो तो वह तो कल होगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री उदित नारायण शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

सरकार की तरफ से एक वक्तव्य रख दिया गया था, इस पर चर्चा विरोधी दल की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन आज आप उसके विपरीत जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अब रामधारी शास्त्री ही शुरू करें। (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री--

जो सरकार की तरफ से वक्तव्य रखा गया है, उसके संबंध में हमें दो-तीन बातें कहनी हैं, पहली बात तो यह है कि छितौनी बांध का प्रश्न आज का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

जिन्होंने उस बांध को देखा है, वहीं से आते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मैंने उसे देखा है। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सरकार की तरफ से जो वक्तव्य रखा गया है, वह असलियत से कोसों दूर है। ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से इतने बड़े तूफान के ऊपर ध्यान देने की चेष्टा नहीं की गई है।

(इस समय २ बज कर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

छितौनी बांध के संबंध में राजस्व मंत्री के वक्तव्य को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार की नजर में यह एक साधारण सी घटना है। यह चीन की हुवांगहो के समान विकराल और खतरनाक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खतरनाक नदी है। उसको बांधने के लिए जब प्रयत्न किए गए तो उनमें बार-बार कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। बड़ी गण्डक वह नदी है, जिस पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलाने के लिए बगहा में बड़ा भारी पुल बनाया गया था, ४२ साल पहले बड़ी गण्डक ने उसे ध्वस्त कर दिया। आज उसी नदी की विभीषिका पर चर्चा है। जब इस बात का खतरा पैदा हुआ कि नदी खड्डा और छितौनी रेलवे लाइन को काटकर पडरौना पहुंच जाएगी तो यह योजना बनी थी कि छितौनी बांध बनाया जाये और उससे बड़ी गण्डक का पानी रोक दिया जाये। यह योजना मूल रूप में १४ लाख की बनी। लेकिन अब उस बांध की मरम्मत की ही यह स्थिति है कि, जहां तक मुझे स्मरण है, करीब ८ करोड़ रुपया विभिन्न मदों से उस पर खर्च किया जा चुका है। और सिंचाई विभाग की तरफ से एक साल पहले एक करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ।

आज की स्थिति यह है कि जो उसकी भयंकरता है वह आज प्रकट हुई। २ जून, १९७१ को ११ बजे दिन में खड्डा और छितौनी के बीच में मलहिया नाम के स्थान पर गण्डक का पानी रेलवे लाइन को तोड़ कर आगे बढ़ा। ऐसा समझा जाता है कि २०-२५ फीट की ऊंचाई में पानी तेजी के साथ दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ा और मलहिया, नरकहवा, पथलहवा, कुलहवा, छितौन---इन गांवों को रौंदता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ने लगा। सरकार की रिपोर्ट है कि १६ जानवर का नुकसान हुआ और ६ जानवर मरे। मैं कहना चाहता हूं कि भलहिया के पास सैंकड़ों किसान जो अपने खेतों में काम कर रहे थे और हजारों की संख्या में जानवर जो चरवाहे चरा रहे थे, पानी में बह कर चले गये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जन-जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ न किया जाय। राजस्व मंत्री मौजूद हैं। वह सुनने की कृपा करेंगे। सरकार को चुनौती है और राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि क्षति का केवल इससे पता लगायें कि एक भी मवेशी, नरकहवा, पथलहवा और मलहिया में बचा है? इन गांवों में हजारों गायों, बैलों, भैंसों को बचाया नहीं जा सका, जिनका पता नहीं है। पानी का वेग इतना तेज है कि उसमें पता लगाना कठिन है। जो लोग इधर-उधर हटते जा रहे हैं उनसे कोई सूचना नहीं मिल रही है। जब सब एक स्थान पर एकत्र होंगे तब पूरी सूचना मिलेगी। हजारों इंसान और मवेशी बह गये। सरकार की ओर से चार-पांच छटांक चना बांटा जा रहा है। सरकार की ओर से ६ तारीख तक कोई इन्तजाम नहीं था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां के जितने रेस्पांसिबिल इन्जीनियर थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, वे छुट्टियों पर हैं। मौके पर १ जून से कोई भी अधिकारी मलहिया के पास मौजूद नहीं था। जिला के राजस्व विभाग के अधिकारी या जिलाधीश या सिंचाई विभाग के अधिकारी, वहां एक भी मौजूद नहीं था। ११ बजे दिन में बांध टूटता है। एक सेकेंड, एक घण्डा पहले जनता को खबर नहीं दी जा सकी कि यह बांध टूटने वाला है, भाग कर चले जाइए। इससे बड़ी जन जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है? अंग्रेजों के जमाने से लगातार इस बात की चेष्टा है कि मलहिया पर टूट न हो। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों को छुट्टी किसने दिया। पहले जिला अधिकारी एक दो हफ्ते पहले वायरलेस लगा दिया करता था। लेकिन इस वर्ष बेतार का तार केन्द्र ६ तारीख को बनाया गया। प्रदेशीय सरकार को समय से सूचना जिला अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं दी गई? मैं एक आधारभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं। छितौनी बांध जब तक बनता रहेगा तब तक इससे लाभ नहीं होगी सिवा इसके दस गुना और नदी की धारा में फेंकते चल जाएं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सन् १९५४ से लेकर इस साल तक इस बांध के टूटने से उस जगह को दो हिस्सों में बांट दिया है—एक रेलवे लाइन के उत्तर में और दूसरा रेलवे लाइन के दक्षिण में। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह बांध बनना शुरू हुआ था उस वक्त रेलवे लाइन के उत्तर में भगवानपुर, शिवपुर, कटहवा, मदनपुर, बीहरपुर तथा हरिहरपुर आदि गांव थे उस समय भी बाढ़ आती थी किन्तु ५ रोज, १० रोज या दो हफ्ते तक केवल परेशानी ही रहती थी। मगर कोई गांव कटता नहीं था। किन्तु जो यह बाढ़ आई है इस बांध के टूटने पर, उससे रेलवे लाइन के उस तरफ के छोटे-छोटे २७ गांव पानी में मिल गये और रेलवे लाइन के इस तरफ दक्षिण में १० अन्य गांव नष्ट हो गये। ५ गांवों का पता भी नहीं चला कि यहां पर गांव भी रहे होंगे। मंत्री महोदय वहां गये, विभिन्न विभागों के मंत्रीगण वहां कोई हवाई जहाज पर, कोई मोटर बोट पर सर्वे करने गये। उन्होंने वहां पर जाकर स्वयं महसूस किया होगा कि मलिहया नामक स्थान पर ५ मील से लेकर १५ मील तक के फासले पर एक भी गांव का पता नहीं चल सका। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पर किसी आधारभूत ढंग से विचार नहीं किया गया कि वहां पर यह मुसीबत हमेशा के लिए बनी रहेगी।

देवरिया में बाढ़ कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें माननीय सदस्य बांकेलाल जी भी थे और मैं भी था। हमने स्पष्ट कहा था कि इसको रोकने के लिए सोचा जाय और इसे रोकने के लिए एक नाला निकाला जाय ताकि वह कंट्रोल में हो जाय। हमारी वहां के जिलाधिकारी से भी बातें हुई थी कि इसे आधारभूत ढंग से सोचने की आवश्यकता है। वहां पर सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर श्री गुप्ता जी हैं उनका कहना था कि यह तो पोलिटिकल माइन्ड की उपज है। इस पर माननीय बांके लाल जी की उसके साथ झड़प भी हुई थी और कहा था कि इसमें अगर कोई टेक्निकल बात थी तो इसकी सफाई आपको पहले ही कर देनी चाहिए थी। इन्जीनियर्स से पूछने पर वे कहते थे कि इस नदी पर कब्जा करना बड़ा असंभव है किन्तु जब बाद में उसकी रिपोर्ट आती है तो यह कहा जाता है कि हम कब्जा कर रहे हैं।

अभी २४ तारीख की बात है जब हमने चेतावनी दी इस साल मलहैया को बचाया नहीं जा सकता तो इन्जीनियर्स का उस पर यह कहना था कि मलहैया को कोई खतरा नहीं है। उनके दिमा में यह बात थी। वे इस बात को समझते होंगे।

मैं एक दूसरा तथ्य भी उनके सामने लाना चाहता हूं कि २ जून को जब मलहैया टूटा है तो पता लगा है कि वहां पर कल भी एक भी पत्थर नहीं था जिससे उसे रोकने का इन्तजाम किया जा सके। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं था? जब आप जानते हैं कि वहां पर खतरा हमेशा बना हुआ है तो उसका इन्तजाम नहीं किया गया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इन बातों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। श्रीमन्, मुझे यह पढ़कर अत्यन्त दुख हुआ कि सरकार की रिपोर्ट में यह कहा

[श्री रामधारी शास्त्री]

गया है कि इसका पता नहीं लग रहा है कि जिम्मेदार कौन है ? यह क्यों टूटा है । और मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से जिम्मेदार ठहराया जाय ।

सिंचाई मंत्री जी वहां पर गये और उनका वक्तव्य हुआ कि वहां पर किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और बाद में अब राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वहां पर ६ व्यक्तियों की जानें गई हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक व्यक्ति इस्माइल नामक का था उसको जब मालूम हुआ कि वह बांध टूट रहा है तो वह अपने बीवी -बच्चों को लेकर टायर गाड़ी में बैठाकर बाहर गया । उसने कहा कि जल्दी से जल्दी भागो वरना यह पानी तुम्हें ध्वस्त कर देगा । लेकिन वह एक मील भी नहीं जा सका था और गण्डक का पानी जो कि २०–२५ फिट ऊंचो बाढ़ के रूप में चला आ रहा था उससे वह पकड़ा गया, भाग नहीं सका और उसकी पूरी टायर गाड़ी उसके बीवी बच्चों के साथ कहीं चली गयी, आज तक उसका पता नहीं है । उन तमाम गांवों के चरवाहे जो थे उनका भी पता नहीं है । मैं सरकार से कहता हूं कि एक सदन की समिति हो जो वहां मौके पर जाकर देखे, तमाम बातों की जांच करे, क्यों सरकार भी एक पक्षीय हो जाती है ? सरकार के वक्तव्य से लगता है कि वह इसको बड़ा छोटा सा मामला समझती है । मैं कहता हूं कि नेपाल की सीमा से लेकर पड़रौना तहसील तक १८ मील की चौड़ाई और ३५–३६ मील की लम्बाई में यह तूफान पैदा हो गया है, इसको रोका नहीं जा सकता ।

एक बात और कहना चाहता हूं । आप इस बात का पता लगायें । मेरा दावा है कि कोई इन्जीनियर कह नहीं सकता कि कब क्या हो जाय । आज भी जलवरहिया में जिस तरह से आपने बालू का बांध बना रखा है, अगर मलहिया की तरह वहां पानी टक्कर दे तो वह ५ मिनट भी नहीं रुक सकता । हमने उसको कई बार देखा है और इस दरमियान में भी देखा । मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक तो यह कि अगर प्रदेश की सरकार में हिम्मत हो तो वह यह ऐलान करे कि इस नदी पर अब नियंत्रण नहीं किया जा सकता, सिंचाई विभाग में इतना साहस होना चाहिए । मैं नहीं जानता कि अन्य सदस्यों की क्या भावना होगी, पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब भी अगर बांध को तोड़ दिया जाय नदी ने छितौनी बांध को तोड़ ही दिया है तो उसका फल अच्छा ही होगा । आप करोड़ों रुपया इस पर व्यय करते हैं, अब भी ९० लाख खर्च होगा । अगर उसको दूसरे कामों में लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा है ।

मैं जानता हूं कि बाढ़ कैसे आती है, एक साहब कह रहे थे कि मुझे तजुर्बा नहीं है । मैं अपने गांव की बात जानता हूं । भड़रिया में बाढ़ कैसे आती थी कि घरों में बच्चों को मचान पर बैठा दिया जाता था । ५–६ रोज में पानी चला जाता था । एक फसल बरबाद होती थी तो नदियों की लायी हुई मिट्टी से दूसरी फसल अच्छी होती थी, कोई गड़बड़ी नहीं होती थी । आज मदनपुर, गठेवर जैसे गांव कायम रहते अगर यह बांध न होता, वह मिटे नहीं होते । तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने अधिकारी हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं । आप पता लगाएं कि कौन सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर था, कौन एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर और कौन सुपरवाइजर और कौन अधिकारी थे और कौन इसके जिम्मेदार थे जिनकी लापरवाही से यह घटना घटी । मेरी राय में उनके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए । उनको वहां से तत्काल हटाना चाहिए । उनकी लापरवाही से हजारों इन्सानों और जानवरों की हत्या हुई, यह हत्या उन्होंने ही की है, यही अपराधी हैं । इन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए । इन्होंने जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उनको मजबूर किया है कि नदी की धारा में डूब जाओ । तो इनके खिलाफ मुकदमा चले ।

दूसरे, सदन की एक समिति होनी चाहिए जो इन बातों की जांच करे । मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बात को हल्के ढंग से न देखें, बल्कि आधारभूत ढंग से उसे सोचना चाहिए

कि यह बांध रहे या टूट जाय। मेरा विश्वास है कि अगर इसे तोड़ दिया जाय तो पहले भले ही डूब जायं, लेकिन गांव फिर बस जायेंगे और फिर कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार का रुपया भी बच जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार को प्रकृति के आगे अपनी पराजय स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह !

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

हम लोगों ने काम-रोको प्रस्ताव दिए हैं, हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसका आप ध्यान रखें।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से इस प्रश्न को उठाना चाहता था। जैसा कि आपने देखा बहुत से माननीय सदस्य इसमें भाग लेने को उत्सुक हैं। कई वर्षों से यह समस्या मेरे जिलें में चली आ रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी मिनिस्टर आया और केवल कुछ लाख रुपया खर्च करके चला गया लेकिन उसमें जो भी काम हुआ वह छितौनी नदी में बह कर दूसरे ही साल चला गया। सदा ही वहां के कर्मचारी उस रुपये का दुरुपयोग करते रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ जांच के लिए, जब श्री वीरेन्द्र वर्मा मिनिस्टर थे, तब मैंने लिख कर दिया था और उन्होंने आज्ञा दी थी १४–१५ दिन के अन्दर वहां पर हुए गबन के बारे में रिपोर्ट दी जाय। आज साल भर हो गया लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई बात मेरे सामने नहीं आयी। मुझे कभी किसी ने इस बारे में नहीं बुलाया। विभागीय कमी की ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है। कोई भी मंत्री आता है और अपना बयान देकर चला जाता है और चाहे कोई स्थानीय सदस्य हो अथवा न हो, वह उस पर अपना बयान दे देता है और बात खत्म हो जाती है।

वहां पर माननीय के० एल० राव आए थे, उन्होंने सही जानकारी उसके बारे में दी। उन्होंने बताया कि यह सब सरकारी कर्मचारियों की गलती के कारण ऐसा हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सिंचाई विभाग कई वर्षों तक संभाला है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वहां पर बाढ़ आयी थी, देवरिया जिले के जिलाधीश और पड़रौना के तहसीलदार का तबादला कर दिया गया था। वहां के नेता लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग ठीक तरह से काम करते रहें। यह ठीक है कि कर्मचारी लोग भ्रष्ट होते हैं लेकिन हमें पहले अपने को भी देखना चाहिए अगर कोई आफीसर अपने ट्रांसफर के लिए डरता रहेगा तो किस प्रकार से वह अपना काम ठीक प्रकार से कर पायेगा। तहसीलदार की केवल गलती यह थी कि उसने नीचे के आफीसर की गलती की वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया था जिसको नेता लोग नहीं चाहते थे और उसका ट्रांसफर करा दिया।

हमारे यहां जो बाढ़ आयी वह पिपरासी गांव की ओर से आयी बिहार गवर्नमेंट की उसमें लापरवाही थी। उस समय भूतपूर्व विधायक के चाहने पर जिलाधीश का ट्रांसफर कर दिया गया था। ५ तारीख को माननीय सिंचाई मंत्री जी हमारे यहां पधारे थे। उन्होंने बहुत मेहनत की। हैलीकोप्टर से उन्होंने पूरे इलाके को देखा। क्या उन्होंने देखा कि चिदेहा आदि ग्रामों में कोई एक गाय या बैल भी बचा ? मान्यवर, मैं इसी सदन में यह लिखकर देने को तैयार हूं कि अगर मंत्री जी यह कह दें कि इन गावों में कोई पशु नहीं मरा तो मैं स्तीफा दे दूंगा। मंत्री जी जब वहां पहुंचे उस समय तक वहां एक सेर आटा भी नहीं बांटा गया था। ब्लाक की गाड़ी केवल सड़क तक ही दिखायी दे रही थी। भला जब तक नाव का इन्तजाम न हो तब तक किस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा सकती है। शनिवार के दिन जब मंत्री जी वहां से चले गये तो पहले दिन आटा बांटा गया।

[कुंवर अग्र प्रताप नारायण सिंह]

तो पहली मर्तबा वहां पर आटा बांटा गया। वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं था। तहसीलदार साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करके एस० डी० एम० से मिलिये। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने अपनी विवशता दिखाते हुये कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या बांटा जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर पहले से कोई भी किसी प्रकार का प्रबंध नहीं था और जब मन्त्री लोग यहां से वहां गये तो आटा बंटना शुरू हुआ। नावों का भी कोई प्रबन्ध नहीं था। क्या ६ नावों से ५२ गांवों के लोगों को निकाला जा सकता था? कभी नहीं? यह सूचना बिल्कुल गलत है और निराधार है।

दूसरी बात मुझे आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से यह निवेदन करना है कि वहां पर सहायता शिविर खोले गये हैं तीन चार स्थानों पर। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस तरह से २-३ किलो आटा बांटने से काम नहीं चल सकता है वहां पर पूरा प्रबंध होना चाहिये। यदि लोग उस बहते हुये पानी को पियेंगे तो बीमार पड़ जायेंगे इसलिये वहां पीने के पानी का प्रबन्ध पहले होना चाहिये था। वहां पर दवा-दारू तथा डाक्टरों का प्रबंध होना चाहिये था। खाली हमारे यहां मंत्रियों और नेताओं तथा जिलाधीश आदि के दौरों से काम चलने वाला नहीं है। वहां के स्थानीय विधायक जो कि जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिये। माननीय शर्मा जी ने कहा कि लोगों को १०० रुपये सहायता के रूप में दिये जायेंगे इसके लिये, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। वहां पर जो शिविर बने हुये हैं और लोगों को हटाया जा रहा है तो उनके रहने के लिये कोई पहले प्रबन्ध होना चाहिये। वे बिचारे बड़ी परेशानी में हैं। उनके ऊपर से पानी बरस रहा है और उनके रहने का कोई प्रबंध नहीं है। उनकी हालत उतनी ही खराब है जितनी कि गांव के लोगों की गांवों में है। सच्चे रूप में उनको सहायता शिविर नहीं कहा जा सकता है। वहां पर किसी कर्मचारी को भेजा जाना चाहिये जो देखे कि कितने आदमियों के खाने के लिये प्रबन्ध करना है। सिर्फ खाली आटा बांट देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। खाली बातों से कुछ काम होने वाला नहीं है। वहां असली माने में काम करना चाहिये।

हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग ने अनेक कार्य किये हैं। उनके बारे में मुझे नहीं कहना है। लेकिन जो हमारे यहां गंडक योजना बनाई गई और जिसका सर्वे भी हमारे इंजीनियरों द्वारा किया गया। लेकिन जो बंधिया बनी हैं क्या वे सही बनी हैं। इस विषय में केन्द्रीय सरकार तथा मिलिटरी इंजीनियरों की सलाह लेना जरूरी था। लेकिन हमारे यहां काम ठीक ढंग से नहीं होता है। हमारे यहां बराबर कमीशन बैठते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। कमीशन बैठते चले जा रहे हैं लेकिन हमारे यहां बाढ़ का पानी और ज्यादा आता चला जा रहा है क्योंकि हमारे यहां की योजनायें गलत बनती हैं। हमारे राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि रेलवे एम्बैंकमेंट कट जाने से मलैया गांव में पानी आ गया। लेकिन क्या रेलवे एम्बैंकमेंट पानी रोकने के लिये बनाये जाते हैं। यह काम तो हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग का था। उसको इस चीज को देखना चाहिये था। लेकिन जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि वहां पर सिंचाई विभाग का कोई आफिसर मौजूद नहीं था। कहा यह जाता है कि वे लोग छुट्टी पर थे। वे लोग छुट्टी पर नहीं थे बल्कि वे लोग मौके पर नहीं गये थे, इसलिये बाद में उन्होंने छुट्टी ले ली। सिंचाई विभाग में कोई काम ठीक से नहीं होता है। खाली कागज की खानापुरी हो रही है। मलैया बांध बनने वाला है उसको केन्द्रीय सरकार द्वारा या मिलिटरी के इंजीनियरों की सहायता के द्वारा बनाया जाना चाहिये।

मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग नये चुनकर आये हैं और वहां की जनता ने हमको चुनकर भेजा है। अगर पार्टी पालीटिक्स के कारण आप अधिकारियों के तबादले करेंगे तो न तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहेगा और ये लोग भी कुछ काम न करके घर बैठ जायेंगे। जो हालत आज २२ साल में हमारे देश में हुई

है, खास कर हमारे जिले में हुई है कि किसी का बहुमत नहीं आता। हम तो साधारण राजनीति में सेवा करने के लिये आये और सेवा का भाव अगर हममें रहेगा तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ में यही कहूंगा कि मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शास्त्री जी ने छितौनी बांध और बड़ी गंडक को तोड़ने की जो चर्चा की उसके दो भाग की मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक तो बड़ी गंडक योजना है और दूसरी छितौनी बांध योजना है। १९५४ में पहली बार नारायणी नदी में बहुत तेज बाढ़ आयी। उसके बाद १९५६ में माननीय कमलापति जी सिंचाई विभाग के मंत्री थे जो आज मुख्य मन्त्री हैं। सारे देवरिया जिले के लोगों ने मांग की कि पानी के फैलाव को रोकने के लिये छितौनी से १२ मील और उत्तर में बांध बांधा जाय जहां नदी मैदान में घूमती है और उस पर यातायात की सुविधा भी हो। उससे कम से कम हजारों एकड़ जमीन खेती के लायक बच जायगी। जो रामधारी शास्त्री जी ने कहा, वह ठीक था। १०-१२ मील पानी के फैलाव को रोकने के लिये वह योजना चली और करीब ५४-५५ करोड़ रुपया लगा कर १२ मील लम्बा छितौनी बांध बना और पिछले १५ वर्ष के अन्दर ८ मील बांध कट चुका है। केवल ४ मील बाकी है। आज तक उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई। जब पहाड़ पर ज्यादा वर्षा हुई तो पानी का दबाव बढ़ा। आज से ४ वर्ष पहले जब भेंसा लोटन में पानी के दबाव के कारण तोड़ दिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी गंडक और छोटी गंडक के दो हिस्से हो गये। छोटी गंडक की बाढ़ तो रुक गई लेकिन छोटी गंडक का पानी बड़ी गंडक में आने लगा। नतीजा यह हुआ कि जो ४-५ हजार क्युसेक्स पानी हो जाता है बरसात में वह सब इकट्ठा हो गया। होना तो यह चाहिये था कि जब बंधा बांधा गया तो नदी की टेपिंग करनी चाहिये थी। लेकिन जैसा कि डा० के० एल० राव ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल पैच वर्क किया, पूरे क्षेत्र की दवा नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि एक ठोकर आज टूटा, दूसरा कल टूटी और तीसरी परसों टूटी और सारा १२ मील का एरिया इस तरह से धीरे-धीरे कटता रहा।

१९५६ में जब मैं विधायक था तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक टीम आई थी, सर्वे आफ इंडिया का मैप लाया। तत्कालीन सभी विधायकों ने उसको देखा और यह पाया गया कि बड़ी गंडक की जो धारा १८७० में थी, वह बदल गयी है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोगों ने महसूस किया कि हर ६०-७० साल में नदी अपनी धारा बदलती है। इसलिये जरूरी है कि मलहिया पर प्री-काशन लिया जाय। यह आज से १५ वर्ष पहले योजना बनी। मलहिया का खतरा सब को मालूम था। यह दो मील खड्डा के पूर्व में और दो मील छितौनी के पश्चिम में है। वहां जो लूप लाइन है वह प्राफिटेबिल (profitable) नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बार-बार कहा कि इस लाइन को हम तोड़ देंगे क्योंकि इससे लाभ नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि तोड़ना नहीं चाहिये। इतनी सूचना देने पर भी उत्तर प्रदेश शासन ने कोई सावधानी नहीं बरती और ५८-६० करोड़ की जो गंडक नहर योजना है उसको चालू कर दिया।

६० करोड़ लगाकर देवरिया के दो तिहाई हिस्से को आप डुबोना चाहते हैं। पुलिया बनाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे उत्तरी हिस्से को खो दिया है। आपने अगर गंडक योजना में ट्रेन नहीं किया तो उसकी ६० करोड़ की योजना बेकार हो जायगी। ६० करोड़ की छितौनी बांध की योजना और ६० करोड़ की गंडक की योजना में जो १ अरब २० करोड़ रुपया लगाने की बात है वह सब बेकार हो जायगा। उसमें एक हिस्सा हमारा है और दो तिहाई बिहार सरकार का है। यह बिहार सरकार की लापरवाही के कारण ही टूटा है लेकिन देवरिया तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार को तो खयाल करना

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

चाहिये था। मुझे दुख है कि एक्सपर्ट की राय होने के बावजूद और केन्द्रीय सरकार की राय के बाद भी जो हमारे सिंचाई विभाग के इंजीनियर हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है।

देवरिया जिले में यह बात मशहूर है कि जो इंजीनियर वहां पर एक बार रह जाता है वह करोड़पति हो जाता है क्योंकि वहां पर हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता है। बाढ़ आने के १५, २० दिन बाद वह सब टूट जाता है। सामान तथा कागज सब बह गये ऐसा वहां पर ठेकेदार कह देते हैं। इंजीनियर कहते हैं कि नदी में कागज बह गये हैं तो हिसाब नहीं मिलता है। यह सब इंजीनियरों की कार्यवाही होती रहती है। मैं ये सब बातें देवरिया की बाढ़समिति में कह चुका हूं। और सभी अधिकारी इस बात को जानते हैं। २७ तारीख जून, को माननीय राजस्व मन्त्री को लिखा। यह बात सही नहीं है कि मेरी जानकारी नहीं है। जो हमारी बी० के० डी के क्षेत्रीय प्रधान अमरनाथ यादव जी हैं वह मेरे पास देवरिया में २ बजे आये और कहा कि नदी के किनारे जो १० घर हैं वे गिर गये हैं। १० घंटे तक वहां पर कोई अधिकारी सिंचाई विभाग का या कलेक्टर मौजूद नहीं था। मैंने ३ बजे कलेक्टर को टेलीफोन किया और मुख्य मन्त्री जी को तार दिया जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है। यह हालत वहां पर हो गई कि गांव कटते चले गये लेकिन आज तक कोई अधिकारी वहां पर नहीं गया।

कलेक्टर ने मुझे लिखा था कि उस रोज वह १० बजे रात वहां पर गया था और सब व्यवस्था वहां पर शुरू कर दी गई है। मलैया की बात उनसे कही गई थी १०, १५ दिन पहले लेकिन अधिकारियों ने कहा कि कोई बात नहीं है बांध सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है। २ जुलाई, को ११ बजे तक किसी को पता नहीं है कि यह किस हालत में होता जा रहा है। उस दिन मालूम नहीं हुआ कि यह टूट रहा है। यह कोई अकस्मात घटना नहीं हुई। पानी की धार जोर पकड़ती जा रही थी और पिछले १५ दिन से यह हालत चल रही थी। वहां पर सीपेज बढ़ रहा था। सारे आदमी उस बाढ़ एरिया के रहन वाले इस बात को जानते हैं और कहते हैं कि यह लाइन बच नहीं सकती है लेकिन फिर भी इनके इंजीनियर, इनके शासन के लोग उन बातों को और उस स्थिति को बराबर देखते रहे। कहीं-कहीं पर जनता सावधान रही तो वे बच गये लेकिन अधिकतर लोगों का भारी नुक्सान हुआ और लोग वहां पर बह गये।

गत वर्ष सरकार ने आश्वासन दिया था कि यह नहीं टूटेगा लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। लोग अपने घरों में, जगलों में सो रहे थे। मलैया में ३६ आदमी सो रहे थे जब वे कहते हैं कि वह बह गये। ऐसे पानी की धार जोर के साथ ५० गांवों में निकलती चली गई। वहां पर जिस प्रकार की स्थिति थी उसको देखकर कोई भी आदमी रोये बिना नहीं रह सकता है। सही किसी को पता नहीं है कि कितने आदमी इस बाढ़ में डूब गये। आप कहते हैं कि वहां पर कलेक्टर देखभाल करता है और सिफारिश करता है लेकिन मैं तो यह निवेदन करता हूं कि यदि वहां पर मिलिटरी शासन होता तो ऐसे कलेक्टर को गोली मार दी जाती कि इतने आदमी वहां पर लापरवाही के कारण बह गये और डूब गये। सारी फसल उनकी वैसी ही रह गई। २५ फीट पानी वहां पर खड़ा था और एक फर्लांग से भी ज्यादा उसका विस्तार हो गया था। गंडक का एक चौथाई पानी इसी में गिर रहा है। यह तो भगवान का शुक्र है कि पुराना जो तुरकावा नाला था उसमें होकर पानी ने रास्ता बना लिया और वह छितौनी में जाकर ७–८ मील पर मिल गया और वहां पर एक त्रिकोण सा बन गया है और बीच में सारे गांव टापू से बन गये और वहां पर किसी आदमी या मवेशी का पता नहीं रह गया है। उनकी रिपोर्ट को पढ़ने से ताज्जुब होता है। मंत्री जी उसमें पेज ३ पर कहते हैं कि "८ व्यक्तियों की लाशें पानी में उतराती हुई मिल चुकी हैं वास्तव में

कुल मृत्युयें कितनी हुई, इसका सही पता जब गांव के सभी लोग इकट्ठे होंगे, तभी लग सकेगा ।"

अब पता नहीं कि वह अब कब इकट्ठे होंगे, जो बह गये वह अब कैसे इकट्ठे होंगे, वह बड़ी गंडक में चले गये । कितनी क्षति हुई है कितने आदमी, मवेशी बहे हैं इसका अनुमान नहीं हो सकता । ९ वर्गमील क्षेत्र में एक आदमी एक घर या एक मवेशी नहीं बचा है, वहां पर २० फुट धारा बह रही है । मंत्री जी आदमियों के इकट्ठा होने पर पता लगायेंगे । उन्होंने जो एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है वह ठीक है उसके लिये मैं राजस्व मंत्री जी की ईमानदारी को मानता हूं । वह समिति बना दें और सोचें कि वह सरकारी होगी या गैर सरकारी होगी और कैसे वह काम करेगी । माननीय राम लखन जी सिंचाई मंत्री हैं, उनके दल के ही एक विधायक हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा । लेकिन मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि जब मैं उनसे मिला तो कहने लगे कि नदियों की अपने ढंग से बहने दीजिये, न कोई पुल बनाये जायं और न बांध, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दीजिये । लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि इसी तरह से अगर गंगा को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जा : तो वाराणसी में उनका घर भी नहीं बचेगा, वहां के लिये तो पक्के घाट बनेंगे और अखबारों में उनकी सुरखिया छपेंगी । घाघरा और बड़ी गंडक जैसी नदियों को इस तरह से भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और अगर ऐसा करेंगे तो सारी हमारी जो सिंचाई की योजनायें हैं वे बेकार हो जायेंगी और सारी नहरें बड़ी गंडक में समाप्त हो जायंगी । इसलिये भगवान के ऊपर छोड़ने की बात आज का सभ्य इंसान बरदाश्त नहीं कर सकता ।

आज का इंसान अमेजन और मिसीसिपी को बांध सकता है, चन्द्रमा तक पहुंच सकता है तो क्या वह नारायणी नदी के १२ मील के क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर सकता ? यदि उत्तर प्रदेश की सरकार में यह क्षमता नहीं थी तो इस जिम्मेदारी को केंद्रीय सरकार को देने की बात करते । रुड़की के एक्सपर्ट्स ने स्पर्स बनाये लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी गई, जहां कमजोर स्पर्स हैं और नदी ने छोड़ दिया है वहीं कटान हुआ है । ३ साल से नदी लाइन की बगल में आ गई थी, नदी तो सन् ५४ में ४ मील दूर थी और वह काटती-काटती लाइन की बगल में आ गई और वह मलैया पर टक्कर ले रही थी । अब दोष किसको दिया जाय ? तमाम जानकारी होते हुए, नदी के तौर-तरीके को समझते हुये भी केंद्र के और रुड़की के रिसर्च स्टेशन के सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । वहां पर एक भी राज्य का कर्मचारी, अधिकारी या कोई नाव तक का प्रबन्ध नहीं था । आज यह बाढ़ समिति की व्यवस्था करने की बात है लेकिन जब कि २७ जून से वहां पानी बढ़ रहा था तब से क्या किया गया ? पिपरासी पर बिहार में तो पहले ही टूट चुका था, पानी पूर्व से, पश्चिम से और उत्तर से आ रहा था तो क्या उसी वक्त से विभाग के लोगों को सतर्क नहीं होना चाहिये था ? विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और वहां के लोगों को भगवान के भरोसे सचमुच ही छोड़ दिया गया । आज के जमाने में इस तरह से भगवान के भरोसे छोड़ने की बात कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं समझ सकता । इतनी क्षति जान व माल की हो और जमीन को बरबाद किया जाय ।

बड़ी गंडक को जो १२ मील के एरिया में फैली है, ठीक ढंग से टेप किया जाय । इसके दूसरी ओर भी गांव हैं । ये गांव लगभग १२–१३ हैं जो नदी के उस पार हैं । मैं चाहूंगा कि पथरावा घाट से छितौनी तक स्पर्स बनाकर २-३ वर्ष में एक लौग रेंज पौलिसी बनाकर इसको टेप किया जाय तो देवरिया जिले के लोग गौरान्वित होंगे और कटान से जमीन भी बचेगी और जो २५० गांव हैं वे प्रभावित होने से बच जायेंगे । ९ मील लम्बे और ९ मील चौड़े इलाके में पानी फैलने से आदमी बह गये, मवेशी बह गये, इसलिये इसे टेप करने की मैं मांग कर रहा हूं । मैं यह भी चाहूंगा कि जो समिति बने चाहे इस सदन के सदस्यों की या और किसी की वह इसकी जांच करें । यह बात अप्रैल से चल रही है और यह बांध टूटा है जुलाई में । अगर अप्रैल, मई या जून में इस पर कुछ काम हुआ होता तो यह स्थिति

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

न होती । एक महीने तक तो असेम्बली नहीं बुला सके । जब विरोध पक्ष में ये लोग बैठा करते थे तो कहा करते थे कि यह सरकार पचमेल सरकार है । यह सरकार डिफैक्टर्स की बनी हुयी है लेकिन ये भी सरकार नहीं बना सके । मैं आशा करता था कि यह सरकार चेते । इतनी बड़ी आबादी को नदी के पेटे में डाल देना कहां तक उचित है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये एक सुव्यवस्थित योजना बनाकर नदी को टेप किया जाय। हमारे मंत्री जी अपनी भूल को स्वीकार करें । जब उन्होंने यह कहा कि वहां की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिये तो हमने कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे और मरते दम तक कोशिश किए जायेंगे कि जितनी भूमि की सुरक्षा हो सकेगी हम करेंगे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवरिया जिले के अन्तर्गत १९५४ में १४ मील लम्बा बांध १४ लाख रुपये में तैयार किया गया, जिसका नाम छितौनी बांध है और उसकी मरम्मत में ६ करोड़ ८० लाख रुपया खर्च हो चुका है जिसकी चर्चा यहां सदन में हो रही है । इस १४ लाख रुपये में बने बांध की मरम्मत में ६ करोड़ ८० लाख रुपया मरम्मत में खर्च हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि २ तारीख को वह बंधा टूट गया जिसके परिणाम स्वरूप ८० किलोमीटर में पानी फैल गया और ३०० गांव डूब गये, जलमग्न हो गये, २,००० आदमी और १० हजार पशु बह गये । मैंने सरकारी रिपोर्ट इस सदन में फाड़ दी इसलिये फाड़ दी कि वह सारी रिपोर्ट गलत थी । २० हजार आदमी पेड़ों पर और घरों की छतों पर पड़े हुये थे जो बच गये। २५ करोड़ रुपये की बरबादी हुयी है, घरों की कीमत और फसलों की कीमत को लगाकर । अब तक जो सेंटर्स बनाये गये हैं उन पर २–२ छटांक आटा प्रत्येक आदमी को वितरण किया जा रहा है । वह बंधा कटने से पहले वहां कोई इंजीनियर नहीं था । किसी का पहरा नहीं था और वहां जिला स्तर का कोई कर्मचारी नहीं था । आर दिन पहले जब बंधा कटना शुरू हुआ था, लोगों ने सूचना दिया कि बंधा कट रहा है, इसको बचाने की व्यवस्था होनी चाहिये । उस समय इंजीनियर की यह गति थी कि १४ जून से वहां पर काम करने वाले जितने इंजीनियर थे वे सब छुट्टी लेकर चले गये थे ।

मान्यवर, चीफ इंजीनियर की यह हालत थी कि वे ३० जून से लखनऊ में हेडक्वार्टर बनाकर रहने लग गये थे अपना तबादला रुकवाने के लिये । हमारे देवरिया जिले के जितने अधिकारी थे उनका तबादला माननीय कमला पति त्रिपाठी की सरकार ने एक साथ कर दिया था । एस०डी०एम० और तहसीलदार हाटा का और जिलाधीश का और पडरौना के तहसीलदार का तबादला कर दिया था क्योंकि इनके मन के मुआफिक एक भी कर्मचारी नहीं था और सब इनके दरबार में हाजिरी देने लग गये कि हमारा तबादिला रुकवा दिया जाय । चीफ इंजीनियर की यह गति और जिलाधिकारी की यह गति, बंधे पर रहे कौन ? और मंत्री लोग इस बंधे को कामधेनु गाय समझ लिये हैं । ये तीनों उसको कामधेनु गाय समझ लिये हैं । १४ लाख रुपये में यह बंधा तैयार हुआ । ६ करोड़ ८० लाख रुपये इसकी मरम्मत में खर्च हुआ । परिणाम क्या हुआ ? ८० किलोमीटर जमीन जलमग्न हो गई । इसमें २५ करोड़ की क्षति हुई, २ हजार आदमी और १० हजार पशु बह गये । २० हजार आदमी जो पेड़ों पर बैठे हुए थे, उनको बचाया गया। जो अधमरे थे उनको जिलाधिकारी ने पानी में ही छोड़ दिया । सरकारी रिपोर्ट केवल इतनी आई है कि छः आदमी लापता और १०७ पशु मरे हैं । ८० किलोमीटर में पानी फैला है और जो कटान है वह छः फरलांग लम्बी है । जो खेतों में काम करते रहे वे वहीं रह गये और मर गये । सरकारी रिपोर्ट है कि छः ही आदमी लापता है और १०७ पशु मरे हैं । इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था अंग्रेजों की हुकूमत में मान्यवर कभी नहीं हुआ था ।

मान्यवर, १०० वर्ष पहले एक इंजीनियर ने नारायणी के बारे में रिपोर्ट लिखी है । उन्होंने लिखा है कि नारायणी नदी को छूना पाप है । मुझे मालूम होता है कि नारायणी नदी

से जो नहरें निकाली गई हैं, थोड़े दिनों के बाद वे इंजीनियरों के कुकर्म से वे सब नदी की शक्ल ले लेंगी । गोरखपुर और आजमगढ़ भी नारायणी के द्वारा तबाह होंगे । मान्यवर, मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस कमलापति की सरकार से, सिंचाई मंत्री, राजस्व मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मान्यवर विशेषकर आपसे, क्योंकि इनको कुछ दुरुस्त कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं, नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़े नशे में रहते हैं। जो आपोजीशन से सुझाव आते हैं उन पर सरकारी पक्ष के लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज माननीय कमलापति जी गायब हैं। ये मंत्री (श्री द्विवेदी की ओर संकेत करके) जो गोरखपुर से जीतकर आये हैं, ये बड़ी लम्बी लेते हैं। हवा में बहने वाले लोग कितना बोलते हैं मैं क्या बताऊं। यह हवा में जीतने वाले लोग हवा में बह जायंगे।

श्रीमन्, पानी हिरौली डैम तक पहुंच गया है, माननीय गेंदा सिंह जी के घर तक पहुंच गया है। अगर कोई व्यवस्था न की गयी तो गेंदा सिंह जी का घर और गांव नारायणी धारा में ही पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन इंजीनियर्स की वहां ड्यूटी थी उनको मुअत्तल किया जाय, तुरन्त मुअत्तल किया जाय। प्रान्तीय सरकार के अफसर क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। वहां टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। सूचना देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हर साल रहती थी लेकिन इस साल नहीं थी। छितौनी बांध मिल के कर्मचारियों ने जिलाधीश को सूचना दी कि बांध कटने जा रहा है। यह दुर्व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि जो सहायता दी जा रही है—दशा यह है कि ऊपर से मूसलाधार पानी बरस रहा है, बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनको भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। दियासलाई, नमक, दवा कुछ नहीं मिल रहा है।

मंत्री लोग जो वहां जाते हैं, मालूम पड़ता ह कोई प्रदर्शनी लगी है, मौज करने के लिए जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाता है अपना टी० ए०, डी० ए० बना कर चला आता है। इंजीनियर और ठेकेदार तो रोज लूटते हैं। सहायता जो पहुंच रही है उसमें लेखपाल और कानून गो अपना हिस्सा फिट करते हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि नारायणी का जो बन्धा है, बहुत पहले हम लोगों ने कहा था, इंजीनियरों से कहा, मीटिगों में कहा, वहां पर ठोकर बननी चाहिए। लेकिन वह नहीं बनी। हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि नारायणी बंधे को खाने-पीने का एक साधन इंजीनियरों, मंत्री लोगों और सरकारी कर्मचारियों ने बना लिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से कोई एक्सपर्ट मंगा कर उसका ढंग से सर्वे कराए और वहां के लोगों से भी सलाह लें जो कि बाढ़ की गतिविधियों से पूरी जानकारी रखते हैं। एक्सपर्ट लोग उसको देखें, समझें और कोई समुचित व्यवस्था करें।

एक निवेदन और है। जितना रुपया खर्च किया गया इस बन्धे पर उतना रुपया लगाकर वहां के बसे हुए लोगों को उजाड़ कर दूसरी जगह बसाया जा सकता ह और उनको सम्पन्न भी किया जा सकता है। ६ करोड़ ८० लाख रुपया कम नहीं होता। लेकिन यह नहीं हुआ। मैं आज भी कहता हूं कि यह कटाव की रोकथाम, बाढ़ की रोकथाम प्रान्तीय सरकार नहीं कर सकती है, और नहीं कर सकती है तो वहां के बसे हुए लोगों को दूसरी जगह हटाया जाये। जितना रुपया बंधे पर खर्च होता है उतने रुपये में उन्हें सम्पन्न किया जा सकता है।

एक बात और है। जो सहायता मिल रही है, वह बहुत कम है। ३०० रु० घर बनाने के लिए। अभी तो पानी है, घर कहां बनेगा, कहीं जमीन नहीं देते। पिछली साल जो बाढ़ आयी थी और नुकसान हुआ था, सरकार ने कहा था कि हम जमीन दे रहे ह।

जिन लोगों को जमीनें दीं उन लोगों पर मुकदमा चला दिया। वे बर्बाद हो गये। जो गांव जलमग्न हैं, बंधा कटेगा। उन लोगों को अलग बसाने का प्रबन्ध किया जाय और जो सहायता दी जा रही है वह बहुत कम है। अधिक से अधिक सहायता दी जाय। सारे

[श्री बांकेलाल]

इंजीनियर मुअत्तल किये जायं और उन पर मुकदमें चलाये जायं। मंत्रीगण हवाई जहाजों पर उसको देखने जाते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमें चलाये जायं और उनकी दुर्दशा की जाय।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ४ बार बोलने के लिये खड़े हुये पर उनको नहीं बोलने दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं कितनी बार खड़ा हुआ। मैं बोलूंगा नहीं दूसरे लोग बोलेंगे। यह तो आपके निर्णय करने की चीज है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस विरोध में मैं तथा मेरे साथी १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

त्रिपाठी जी खड़े हुये थे परन्तु उधर वाले पक्ष को भी बोलने का कुछ अवसर मिलना चाहिये। मैं अपने ही दृष्टिकोण से काम करूंगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

छितौनी बांध की घटना हर वर्ष होती है। जिस वक्त छितौनी बांध को बनाने की प्लानिंग हुई, वह बहुत फाल्टी प्लानिंग थी। टेक्निकल एडवाइस सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और बिहार गवर्नमेंट की शिरकत से होनी चाहिये और इन सारी चीजों को लेकर ही सारी चीजें होनी चाहिये। १४ लाख रुपये का एक बांध बनाया गया और उस पर ७ करोड़ रुपया रिपेयर में खर्च कर दिया गया। हरसाल उसकी रिपेयरिंग होती है। जिस वक्त छितौनी बांध बनाया गया उसकी जुगराफिया हालात सामने नहीं रखी गई। सबसे पहली हमारी मांग यह है कि अगर उस समय के कोई आफिसर्स आपके उत्तर प्रदेश सरकार में हैं जिनकी ओरिजिनल प्लानिंग के ऊपर इस बांध को बनाया गया तो उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलना चाहिये। उन्होंने ऐसी टेक्निकल एडवाइस क्यों दी कि १४ लाख के बांध पर ७ करोड़ रुपये रिपेयरिंग में खर्च हो चुके हैं। हर साल यह घटना होती है और हर साल लाखों करोड़ों रूपया इस मरम्मत पर खर्च किया जाता है। हवाई सर्वे होते हैं। गांव बर्बाद होते हैं, फसलें नष्ट होती हैं। बड़ी गंडक और नारायणी नदियों से इतनी तबाही होती है। बारिश हो रही है। यह अप्रैल, मई और जून में लगातार होती रही। इसके होते हुये भी वहां के इंजीनियर्स और आफिसर्स को छुट्टियां दी गई। ये अधिकारी जानते थे कि यह होने वाला है, सैलाब आयेगा जिससे बांध को खतरा पैदा हो सकता है। वह यह भी जानते थे कि ऐसी सूरत में वहां पर रहना ठीक नहीं है, उन्होंने वहां से ट्रान्सफर्स के लिये और छुट्टी के लिये प्रार्थना की और उनको वह दी गई। यह बड़े ही दुख की बात है कि उन अधिकारियों की ऐसी सूरत में छुट्टियां मंजूर की गई। क्या ऊंचे अधिकारी इस बात को नहीं जानते थे कि अगर इन आफिसर्स को, इन अधिकारियों को छुट्टियां दे दी जायेंगी और जब खतरा पैदा हो जायेगा तो उस खतरे से कौन निपटेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्त उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के अन्दर एक बात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और उसी का नतीजा यह छितौनी बांध की घटना है। यहां ब्यूरोक्रेसी की राय चलती है और जिस काम में जाती तौर से किसी को दिलचस्पी है वह उसके लिये न दिन देखता है और न रात देखता है लेकिन खेद की बात है कि अधिकतर अधिकारी यह सोच कर नहीं चलते कि देश का हित या प्रदेश का हित किसमें है और अपने इनीशियेटिव या इन्सेंटिव को लेकर किसी चीज के बेहतरी के लिये सोचना चाहिये। यदि किसी मंत्री के यहां से या किसी अधिकारी के यहां से किसी काम को करने के लिये कहा जाता है तो वह उसको करना यदि वह उसके अपने हित में है, अपनी ड्यूटी समझता है। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हर पार्टी की सरकार यहां रही है। बी० के० डी०, सिन्डीकेट, हर पार्टी की सरकार यहां रही है लेकिन ब्यूरोक्रेसी के रवैये में फर्क नहीं आया है। सभी इसके लिये जिम्मेदार रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि जनहित में, नेशनल हित में अपने इनीशियेटिव पर अधिकारी को क्या काम करने चाहिये और क्या नहीं करने चाहिये और अगर वह नहीं करता है तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी हर उस सरकार पर है जिस पार्टी की सरकार के हाथ में प्रदेश की बागडोर है।

इस घटना के सम्बन्ध में सदस्यों ने खुल कर बात की है। वहां जो हाल है वह यह है कि वहां पर रेलवे लाइन है जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है। वह कहते हैं कि यह अन-इकोनामिक है। उसके रख-रखाव में उनको दिलचस्पी नहीं है। रेलवे लाइन के नीचे से जमीन सैलाव के कारण निकल गई और बड़ा नुकसान हुआ। बिहार के भी कुछ गांवों को नुकसान हुआ है लेकिन बिहार सरकार को डूबे हुये गांवों में दिलचस्पी नहीं है। फिर सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर आती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ज्यादा हिस्सा डूबता है। मेरे खयाल से यह भी सभी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी चाहिये और अगर इसके बारे में सेन्टर से कहना पड़े तो उसकी भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले और बिहार सरकार से कहना पड़े तो उसकी भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले ताकि आगे यह घटना न हो। इस सम्बन्ध में मेरे दो सुझाव हैं।

(१) जितने भी अधिकारी उस जगह पर तैनात थे जो छुट्टी लेकर पहले से चले गये, चाहे किसी भी कारण से गये हों, उनको तुरन्त ससपेन्ड किया जाय। मंत्री महोदय इस बारे में हाउस के अन्दर ऐलान करें कि वह ससपेन्ड कर दिये गये और साथ में उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिये जिन अधिकारियों ने उनको छुट्टी मंजूर की थी।

(२) इसके लिये एक कमीशन बनाया जाय जिसमें उस क्षेत्र के एम० एल० एज० हों, और उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ रहे। उस कमीशन में टेक्निकल एडवायजर जो अच्छे से अच्छे आपको मिल सकें रक्खे जायं। जिससे उस इलाके में जो फ्लड से बरबादी होती है, वह रोकी जा सके। यह कहने से कि बिहार गवर्नमेंट ने खबर नहीं ली या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की वहां रेलवे हैं, हमारी जिम्मेदारी खतम नहीं हो जाती है। आपको अपने इनीशिएटिव से एक फ्लड कंट्रोल कमीशन गंडक का, नारायणी का बनाना चाहिये। मैं पुनः यह मांग करके कि वह ऐसा करेंगे, खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि उन सारे अधिकारियों को ससपेंड तो तुरन्त ही कर देंगे जो उस जगह से छुट्टी लेकर किसी बहाने से या काम से चले गये थे।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि माननीय जनसंघ के नेता ने एतराज किया था कि उनकी पार्टी को समय नहीं मिला। अभी तो केवल मैंने देवरिया के लोगों को, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से जानकारी थी, अवसर दिया था। सरकारी पक्ष से कोई नहीं बोला था और कोई मुझे दिखाई भी नहीं दिया लेकिन माननीय रियासत साहब खड़े हुए तो उन्हें समय दिया। अभी तक माननीय रियासत हुसैन को छोड़ कर किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं मिली जो

[श्री उपाध्यक्ष]

देवरिया का न हो और जिसने काम रोको प्रस्ताव न दिया हो। इस लिए जनसंघ के जो हैं उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

प्रश्न यह नहीं है। सदन की गरिमा का भी प्रश्न है। इतनी जिम्मेदार पार्टी के नेता बार-बार खड़े हों, तो श्रीमन्, आपकी आंख उधर जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

बार-बार कोई नेता खड़ा हो और मेरी आंख नहीं पड़ती तो मैं विवश हूं।

एक सदस्य---

आपने एक बार भी मौका नहीं दिया। वह इतने संतुलित हैं और आप कहते हैं कि बार-बार खड़े होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

हर नेता सूचित कर देता है कि वह बोलना चाहता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जब नेता खड़े होते हैं तो उसकी परम्पराएं दूसरी होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मेरी मजबूरी है। सचमुच मैंने देखा नहीं। एक मर्तबा जरूर खड़े हुए लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने रियासत हुसेन साहब को मौका दिया इसलिये कि उधर से कोई नहीं बोला था और एकतरफा बहस हो जाती। जनसंघ के हक को भी मैंने रोका नहीं। माधव-प्रसाद त्रिपाठी जी के ऊपर मेरी आंख गयी होती तो मैं समझ लेता। लेकिन मेरी आंख उन पर नहीं पड़ी। नहीं पड़ी तो जो कार्यवाही आपने की, वह की।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपन उस समय यह बात नहीं कही। आपने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले राम करन जी बोलेंगे और उसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अब मैं नहीं बोलना चाहता।

एक सदस्य---

मुझे भी अवसर नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष---

सबको अवसर मिलेगा अगर समय रहेगा।

*श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)---

छितौनी बांध के टूटने के संबंध में माननीय राजस्व मंत्री जी का बयान मिला। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जहां तक राजस्व मंत्री का संबंध है, उनका बयान तो आना ही चाहिए था लेकिन जो बन्धे से सबधित और सिंचाई विभाग मे संबंधित मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। मुझे खेद इस बात का है सिंचाई विभाग जो जिम्मेदार विभाग है, उस विभाग के मंत्री की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा। यह सही है कि छितौनी बांध की जो समस्या है नारायणी-गण्डक के द्वारा हर साल वहां यह स्थिति उत्पन्न होती है। यह समस्या अपने में एक बड़ी भयंकर समस्या है। हर साल आप देखें--- कोई साल नागा नहीं जाता है जिस साल सदन में यह बात न उठती हो। इस बन्ध की लापरवाही से सरकार को हर साल कुछ न कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। मान्यवर, पिछले साल जो स्थिति थी---उससे अधिक विकराल स्थिति जो पैदा हो गई, उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। नं० १ सन् १९६८ में फ्लड कंट्रोल बोर्ड नें एक एस्टीमेन्ट बनाया कि मलहिया बांध के रिटायर बांध के ऊपर एक रेगुलेटर बनाना चाहिये। फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने सन् ६८ में रिटायर बांध के ऊपर रेगेलेटर बनाने की बात कही लेकिन हमारे सिंचाई विभाग ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह भी एक घटना है जिसके कारण मलहिया बांध टूटा है।

दूसरी बात यह कि इम्बैंकमेन्ट बनाने की जो बात है, सन् ६८ में यह स्टीमेट बना कि खड्डा में रेलवे का जो इम्बैंकमेन्ट है उसको ऊंचा किया जाय। फ्लड कंट्रोल बोर्ड का सिफारिश थी और उसके लिए स्टीमेट किया गया था लेकिन इस तरफ हमारे विभाग का कोई ध्यान नहीं गया। हमारे कुछ साथियों ने वहां के अधिकारियों की तरफ भी ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश का सबसे गया गुजरा चीफ इन्जीनियर था उसकी पोस्टिंग गोरखपुर में की गई। उनके भ्रष्टाचार की एक नहीं तमाम शिकायतें हैं जिनकी तरफ पिछली सरकार में भी मैंने लगातार साल भर तक कोई एक नहीं बल्कि अनेक पत्रों द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान खींचा और जबानी भी माननीय मंत्री जी से कहा। इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट---सरकार ने यह आदेश दिया कि गोरखपुर चीफ इन्जीनियर का हेड क्वार्टर होना चाहिए। कुछ दिन तक चला भी लेकिन बाद में चीफ इन्जीनियर ने अपनी पैरवी करके अपने को एडिशनल चीफ इन्जीनियर करा लिया और बाद में चीफ इंजीनियर की जबह खाली हुई उसकी जगह पर पहुंच गये। वहां मेनीवेरिंग करके उन्होंने मंत्री जी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि हेड क्वार्टर गोरखपुर में न होकर लखनऊ में हो जाय। इस तरह के भ्रष्टाचार की एक नहीं अनेक मिसालें दे सकता हूं।

पिछले साल की ही बात है, इस बन्ध के रख-रखाव के लिए पानी में डालने का एक तार होता है। जो तार खरीदा गया था उसमें कुछ सरप्लस था। किस प्रकार से उस तार को खपत हो, उसको पानी में डाल दिया गया और वह पानी में पड़ा रहा। बाद में खड्डा की पुलिस ने उसको रिकवर किया जो करीब ५० हजार रुपये से ज्यादा का समान था और जो आज भी वहां बेकार पड़ा हुआ है। विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में बराबर लिखा पढ़ी चलती रही लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर जाता ही नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कुछ इन्क्वायरी की बात भी कही है माननीय शर्मा जी संविद में मंत्री थे। सन् ६७ में छितौनी बांध के संबंध में एक इन्क्वायरी कमेटी बनी थी। शर्मा जी जानते हैं---कमिश्नर गोरखपुर जो थे उनके सामने बयान देने की बात थी। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकरन सिंह]

१९६७ में जांच के लिये एक कमेटी बनी थी, श्री श्रीपत सहाय जो कमिश्नर थे, उनके सुपुर्द जाय की गयी थी, उन्होंने गवाही के लिये मुझको बुलाया, मगर जब में पहुंचा तो कमिश्नर साहब मिले नहीं। मैंने उसकी लिखित शिकायत की थी, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह छितौनी बांध कमाने का आज एक अड्डा बन गया है जिसकी तरफ सरकार को उचित ध्यान देना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा है कि रेलवे विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिये। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह रेलवे विभाग की ही समस्या नहीं है। रेलवे विभाग तो रेलवे लाइन को खड्डा और छितौनी तक ले जाना भी नहीं चाहता। प्रदेश की सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि रेलवे लाइन छितौनी तक जाय। पहले उसे चम्पारन से जोड़ने का भी प्रश्न था अगर माननीय मंत्री जी यह करा सकें तो इससे वहां की जनता को बड़ा लाभ होगा। इन शब्दों के साथ, माननीय साथियों ने जो जांच कमेटी की मांग की है, उसको मैं भी चाहता हूं, मंत्री जी को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही अवश्य करना चाहिये, उनके ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे गलत व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिले।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता की आज्ञा से कुछ उन विषयों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा जिनके कारण अपने प्रदेश के ऊपर यह भयंकर प्रकोप आया है। एक तो प्रकोप भगवान के द्वारा आता है जिसे दैवी प्रकोप कहा जाता है, किन्तु दूसरा प्रकोप वह है कि जो मनुष्य के द्वारा उचित कार्यवाही न करने कारण आता है जिसे सम्भाला जा सकता है, रोका जा सकता है। देवरिया के माननीय साथियों ने जिन बातों की ओर इशारा किया है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार इस इतनी बड़ी भयंकर दुर्घटना को बहुत छोटे रूप में जनता के सामने क्यों रखना चाहती है? राजनीतिक ईमानदारी तो इस बात में होगी, हम अपने कर्त्तव्य का पालन भी तभी करेंगे जब कि हम सही आंकड़े जनता के सामने रखें। सरकारी आंकड़े जो दिये गये हैं कि ३० गांव एफेक्टेट हुये हैं, यह बिलकुल गलत है। करीब १५० गांव प्रभावित हुये हैं और २५–३० गांव तो ऐसे हैं जो कि बिलकुल ही डूब गये हैं, जहां पर छप्पर तक दिखाई नहीं दे रहा है, वहां के पशुओं और आदमियों का पता तक नहीं है। सैकड़ों लोगों का पता नहीं है। हजारों पशु लापता हैं। खेती, फसल, धन और मकानों आदि की क्षति भी १०–१५ लाख के बीच होगी। सरकार ने जो ५ लाख का क्षति का अनुमान दिया है, वह गलत है।

मैं एक बात, श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ी हमारे प्रदेश में योजना है, ८८ करोड़ की योजना है। हम उस पर करोड़ों रुपया व्यय कर चुके हैं। इतना रूपया व्यय करने के बाद आज तक हम इस बात का इंतजाम नहीं कर पाये हैं। ४–५ बांध टूटा है और आज तक हमने उसको सुधारने की तरफ क्या कोई कदम उठाया है, इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। एक कमेटी नियुक्त हुई थी, उसने सिफारिशें की थीं। मुझे जानकर आश्चर्य होता है, जब सिचाई मंत्री ने कहा कि वह रिपोर्ट अभी पब्लिक डाकूमेंट नहीं है। मैं अभी नेशनल हेराल्ड पढ़ रहा था, उसके एडीटोरियल में इसके बारे में काफी विस्तार से कहा गया है। जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसको सरकार आज भी कहती है कि हम विचार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब तक उस पर विचार करते रहेंगे? उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही हो जानी चाहिये थी। जब सिंचाई मंत्री सेन्ट्रल के, श्री के० एल० राव वहां पहुंचे तो उन्होंने उसका निरीक्षण किया। श्री राव की सेवायें इस विभाग में किसी से कम नहीं हैं। इस देश के अन्दर। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर हमारे इस प्रदेश की सरकार मौके से पहले कुछ कर लेती तो यह दुर्घटना न होती। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिये।

२९ जून को दुर्घटना शुरू होती है और ३० जून से आपके सारे इंजीनियर्स छुट्टी पर चले जाते हैं ? आखिर एक ही दिन सबके छुट्टी पर जाने का औचित्य क्या है। जिन लोगों पर उस बांधो की सारी जिम्मेदारी है, वही सब लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। वहां पर फ्लड कन्ट्रोल वायरलेस स्टेशन होना चाहिये था, किन्तु वह काम नहीं हुआ। क्या कारण है कि जनता को सही समय पर सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ठोकरें वहां पर कायम की जानी चाहिये थी, ५ ठोकरें जो कि स्वीकार हो चुकी थीं, वह वहां पर कायम नहीं की गईं। इस कारण यह दुर्घटना हुई है और इसमें दो राय नहीं हैं वहां पर जो बांध बनाया गया है वह गलत जगह पर बनाया गया है। यदि मसले के अन्दर आप गहराई में जायेंगे तो आप पायेंगे कि पानी तो हर जगह बढ़ा है। भाखरा नांगल में भी बढ़ा है, लेकिन उन सारे बांधों में यह व्यवस्था होती है कि जब पानी बढ़ जायगा तो उसे कैसे कन्ट्रोल किया जायगा। और यदि मौके पर दरार पड़ने की संभावना है, बांध टूटने की संभावना है तो जनता को सावधान करने के लिये आपने क्या इंतजाम किया है ? यह सरकार आंख बन्द कर तकिये के नीचे रिपोर्ट रख कर आराम से सोती रही है और रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार की है सैकड़ों लोगों के जान-माल की जो हानि हुई है, हजारों पशुओं की जो हानि हुई है—इतनी बड़ी जो हानि हुई है, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की मिसाल कायम करते हुए, जिन्होंने कि अपने रेलमंत्री के काल में रेल दुर्घटना हो जाने पर अपने पद का त्याग कर दिया था, जिसमें कि उनको कोई गलती नहीं थी, माननीय मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं माननीय सिंचाई मंत्री से मांग करता हूं कि नैतिकता का तकाजा है और उस सुन्दर परम्परा को मानते हुए उन्हें अपने अपने पद का त्याग कर देना चाहिये। जो इंजीनियर दोषी हैं, जो छुट्टी पर गये हैं, जिन लोगों के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय। एक जूडिशियल इंक्वायरी की मैं मांग करता हूं। इसमें एक हाई कोर्ट का जज मुर्करर किया जाय और उनके साथ एक्सपर्ट हो सकते हैं, उनकी वह राय ले सकते हैं। वह यह जांच करे कि यह जो प्रकोप है, यह जो संकट है, यह सरकार की लापरवाही के कारण हुआ या नहीं। यदि लापरवाही के कारण हुआ तो कौन कौन से व्यक्ति दोषी हैं, इन सारी चीजों पर वह रिपोर्ट दे। मैं समझता हूं कि एक कत्ल, हत्या का जो जुर्म होता है, उससे कहीं १० गुना, २० गुना गंभीर जुर्म उन्होंने किया है, जिन्होंने लापरवाही की है। यह जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इसके बारे में सरकार ने सावधानी नहीं बरती, यह स्पष्ट है।

आज एक मौका है। कहा गया कि हम वहां पर राहत का कार्य कर रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। जब कि हजारों लोग बेघरबार हो गये, लोगों की जमीनें और मकान खत्म हो गये, केवल दो सौ बोरे आटा वहां पहुंचा है। वह किन-किन लोगों के मुंह के अन्दर डाला जायगा। इसको वार फुटिंग पर बड़ी योजना बना कर राहत का काम शुरू किया जाय। इन शब्दों के साथ कि जुडीशल इनक्वायरी होनी चाहिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने छितौनी बांध के सम्बन्ध में जो अपने विचार प्रकट किये उनको हमने ध्यान से सुना। ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के लिए उठे थे या जवाब देने के लिए, क्योंकि जिन्होंने कार्य स्थगन की नोटिस दी है उनमें एक नाम बचा हुआ है। उनको भी समय देने की बात है, दो चार मिनट का।

श्री रामलखन—

उसके बाद राजस्व मंत्री बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक तरह से इंटरवीन कर रहे हैं ।

श्री रामलखन—

बार-बार कहा गया कि छितौनी बांध पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप जबाव देंगे या वह जबाव देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा आपने सुना होगा, सदस्यों ने कहा है, अगर उनका कोई रेफरेंस हुआ है और उस पर स्पष्टीकरण के लिए खड़े हुए हैं तो उनको हक है स्पष्टीकरण करने के लिए खड़े हों ।

श्री रियासत हुसैन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जनरल आइटम आज के एजेंडा पर नम्बर ४५ पर था जिसके जबाव देने का अधिकार या जिम्मेदारी राजस्व मंत्री की थी । लेकिन आज सुबह जब यहां पर माननीय अध्यक्ष थे कहा गया कि छितौनी बांध का इश्यु सिर्फ आज से लिया जाय । मेरा मतलब यह है कि छितौनी बांध का इश्यु इर्रीगेशन मंत्री का है राजस्वमंत्री का नहीं है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जबाव इर्रीगेशन मंत्री को इर्रीगेशन मंत्री की हैसियत से देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा था तो माननीय उदितनारायण शर्मा के नाम से सुबह यहां वक्तव्य रखा गया तो आपने एतराज नहीं किया । फिर भी मैं शासक दल के होने के नाते तरजीह नहीं दे रहा हूं । इस बात को मैं मानता नहीं ।

श्री राम लखन—

मैं निवेदन कर रहा था, बार बार कहा गया कि छितौनी बांध पर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया । यह बात सही है कि छितौनी बांध पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उस बांध के बनने से देवरिया जिले की काफी बहबूदी हुई है और हिफाजत हुई है । वहां नदी मनमाने तरीके से बहती थी, प्रत्येक साल लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ी रहती थी, उससे सुरक्षा हुई है । इस बांध का निर्माण सन् १९५४ में शुरू हुआ । वहां के रहने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि उससे जनता का कितना लाभ हुआ । छितौनी बांध पर जो खर्चा हुआ वह बरबाद नहीं गया । बल्कि वहां की जनता को उससे लाभ हुआ । जो आज समस्या आपके सामने है वह छितौनी बांध की समस्या नहीं है बल्कि छितौनी के पास जो रेलवे का इम्बैंकमेंट टूटा है उससे है । उससे अधिक क्षति हुई है । छितौनी बांध का जहां तक सवाल है वह तो पूरा का पूरा सुरक्षित है । उसमें नुकसान नहीं हुआ है । छितौनी बांध के टूटने से मलहिया के पास जो रेलवे का इम्बैन्कमेंट है, वह टूटा है । नदी का बहाव १४ जून से बढ़ा और १४–१५ जून से २८ जून तक नदी में पानी बहुत काफी आ गया था । पहले उसका असर मलहैया पर नहीं हुआ था बल्कि मलहैया से हट कर हुआ था । ३० तारीख को बीरभार स्पर पर नदी का कटाव शुरू हुआ । हमारे इंजीनियरों ने इसको बचाने की बराबर कोशिश की और इसको बचा लिया । बीरभार स्पर के बचाव का प्रयास अभी भी हो रहा है । अगर बचाव न किया गया होता तो वह भी चला गया होता ..... ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे बचाव करने वाले कौन-कौन से इंजीनियर थे ?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

२ और पहली तारीख को कौन इन्जीनियर थे जो बचाव का कार्य कर रहे थे ?

श्री रामलखन---

मैं २८ और २९ तारीख का जिक्र कर रहा हूं .....

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

२८ तारीख से पहली तारीख तक ही आप बता दें कि कौन-कौन से इन्जीनियर्स थे ?

श्री रामलखन--

२८ तारीख को हमारे चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, उस क्षेत्र के संसद सदस्य (एम० पी०) श्री गेंदा सिंह ने उस पूरे क्षेत्र का दौरा किया और वहां की इन सारी चीजों को देखा । जिले के अन्य अधिकारी भी वहां से गये थे.... (व्यवधान) बीरभार स्पर पर पहले नौतार गांव का कटाव शुरू हुआ । वहां के निवासियों को सूचना दे दी गई थी कि गांव को खाली कर दें, नदी का कटाव नहीं रोका जा सकता है। १४ तारीख और २८-२९ तारीख को नदी में काफी पानी था और नदी का जो लेवुल ३०४ था उससे ऊपर पानी आ गया था । एकाएक पानी बीच में घट गया और मलहैया पर बीच की सम्भावना हो गयी, लेकिन पहले तारीख को पानी की धारा उतनी तेज नहीं थी जितनी कि १४-१५ जून को थी । उस दिन पानी का बहाव कम था ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं । माननीय सिंचाई मंत्री के मस्तिष्क में उनके इंजीनियरों को यह बात घर कर गई कि वहां पर जो इम्बैंकमेंट टूटा है, उसमें उनका हाथ नहीं है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, श्री के० एल० राव ६ जुलाई को कान्फरेन्स में यहां पर आये थे तो उन्होंने यह समाचार दिया था और यह समाचार उनका १० जुलाई को हिन्दुस्तान के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि रेलवे इम्बैंकमेंट के लिये यह चीज स्वीकृत हुई थी ...

(व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने उनको सुना । अगर आप शुरू करते तो मैं उनको इजाजत नहीं देता । अतः आप उनकी बात सुन लें... ।

श्री कृष्णानन्द राय--

केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, श्री के० एल० राव वहां पर गये थे और लौट कर ६ जुलाई को लखनऊ में एक प्रेस कानफरेंस हुई थी । १० जुलाई को समाचार पत्रों में निकला है कि रेलवे एम्बैंकमेंट की रक्षा के लिए यह चीज सैक्शंड थी, स्वीकृत थी कि वहां पर ५ स्पर्स इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स बनायेंगे और उसके लिए १ करोड़ रुपये का सैंक्शन भी चरण सिंह सरकार के जमाने में हो चुका था, लेकिन इनके विभाग के इंजीनियरों ने केवल एक स्पर को बनाया, ४ को नहीं बनाया, इसलिये वह इम्बैंकमेंट टूट गया और उसकी सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग वाले इंजीनियरों के ऊपर है । यह के० एल० राव के स्टेटमेंट से क्लियर है । उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा है कि "इट हैड बीन ड्यू टु दि नेग्लीजेंस आफ

[श्री कृष्णानन्द राय]

दि इंजीनियर इंचार्ज आफ यू० पी०।" इस प्रकार साफ चार्ज लगाया है कि इन्हीं की गलती के कारण यह बीच हुआ है और ये जिम्मेदार मंत्री होकर इतनी असत्य और निरर्थक बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। आप सवाल करने के अधिकारी हैं और उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात पूरी सुन लें, तब।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इन्होंने तो कोई मत्यु कबूल ही नहीं की थी। यह तो शर्मा जी ने ६ आदमियों की मृत्यु कबूल कर ली। इनकी बात छोड़िये।

श्री उपाध्यक्ष---

इस वक्त बोलने का हक उनको है, उनको कहने का अधिकार है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछ रहा हूं। सन् ५७ से मुझको याद है कि छितौनी बांध का प्रश्न यहां पर बाढ़ में अवश्य उठा है और जब यह बांध बन रहा था उस समय भी जो इंजीनियर्स की रिपोर्ट थी कि बांध को गलत स्थान पर बांध दिया गया है तो रेलवे ब्रिज के स्पर्श के बारे में चरण सिंह सरकार और आज की सरकार ने क्या किया है। इस प्रश्न के संबंध में और आज तक जो गलती हुई है, इंजीनियरों की गलती से उस पर मंत्री जी क्या कर रहे हैं? आज तो वह बांध टूट गया। आज यह प्रश्न नहीं है कि वह पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन यह जो गलती हुई है, गलत नीति के कारण, जरा मंत्री जी उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मैं जानकारी चाहता हूं.....।
(व्यवधान)

श्री बांकेलाल---

एक मेरा प्रश्न है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

जो और सवाल कर रहे हैं और जो उनका वह जवाब दे रहे हैं, वह तो सुन लें।

श्री रामलखन---

मल्हैया पर कटाव हो रहा था और हमारे अधिकारियों ने और रेलवे के जो इंजीनियरों थे सब उसका बचाव कर रहे थे.....(व्यवधान) जहां तक रेलवे इम्बैंकमेंट की रक्षा का प्रश्न है यह रेलवे सेंट्रल का है और रेलवे लाइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे पर है। प्रान्तीय सरकार ने प्रयास किया कि बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रयास किया जाय। इसीलिये रेलवे के इन्कार करने पर, जैसा कि सदस्यों ने बताया कि वे तो यह चाहते हैं कि रेलवे चौपट हो जाय क्योंकि वह अनइकोनामिक है, हमें उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तब प्रान्तीय गवर्नमेंट ने रेलवे के लिये नहीं बल्कि बाढ़ की रोकथाम के लिए प्रयत्न किया कि उससे रक्षा कैसे की जा सकती है और तब तक यह निर्णय लिया कि स्पर्स बनाना शुरू किया जाय और जैसा कि राय साहब ने कहा कि ५ स्पर्स बनाने को थे तो जहां क्षति हुई है वहां पहले से खड्डा से छितौनी बांध के बीच में स्पर्स बनाये जा चुके हैं और आगे भी बनाने का काम चल रहा है। (व्यवधान) मल्हैया पर तो मैं कह ही नहीं रहा हूं....।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह जो ५ स्पर्स के बनने की बात कही जा रही है, यह बिलकुल नहीं बने हैं । यह सदन में गलत बयानी की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो जानकारी आपके हिसाब से ठीक नहीं है, उसके बारे में आप सदन में प्रश्न उठा सकते हैं । अगर कोई गलत बात कही जाती है तो बाद में उसके लिये आपके पास उपचार मौजूद है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । जैसा मैंने अभी माननीय के०एल० राव की प्रेस कांफरेंस का जिक्र किया, उसको मैं पढ़ कर सुनाने को तयार हूं । उन्होंने कहा कि ५ स्पर नहीं बने हैं केवल एक बना है । हम लोगों को ही इसी प्रकार की जानकारी है लेकिन सिंचाई मंत्री जी उस रिपोट पर परसिस्ट कर रहे हैं जो चीफ इंजीनियर ने उनके पास भेजी है । वे बता रहे हैं कि हम लोगों की बात और केंद्र के सिंचाई मंत्री की बात सही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने पहले ही आपको कह दिया कि अगर कोई गलत बात कही जाती है या जवाब में कोई खामी रह जाती है अथवा जानबूझकर कोई ऐसा बयान दिया जाता है जिससे आपको भ्रम हो जाता है तो बाद में उसके लिये आपके पास उपचार मौजूद है ।

श्री बांकेलाल---

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब मकेहरा कट रहा था उस वक्त कौन-कौन से इंजीनियर ड्यूटी पर थे ?

श्री रामलखन---

खड्डा और छितौनी के बीच में ५ स्पर बनाये गये थे और उन पर एक करोड़ रुपया खर्च हुआ था । मलैहिया पर भी उसकी सुरक्षा के लिये स्पर बनने थे लेकिन मुझे खेद है और इसको कबूल करता हूं कि रेलवे एम्बैंकमैंट की रक्षा के लिय नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिये वे स्पर बनने चाहिये थे लेकिन समय पर नहीं बन पाये और जिसके कारण से वहां पर ब्रीच हो गयी और इतनी क्षति हुई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से अगर ४-४, ५-५ लोग एक साथ बोलेंगे और मंत्री जी को नहीं बोलने देंगे तो किस प्रकार उनकी बात सुनी जा सकेगी और किस प्रकार से बहस (डिबेट) चलेगी और जो असर आप सरकार पर डालना चाहते हैं वह कैसे पड़ेगा । पहले आप उनको शांति के साथ सुन लें फिर आपको तो अपनी बात कहने का हक है ही ।

श्री रामलखन---

बार-बार यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय सिंचाई मंत्री ने यह कहा है कि प्रान्तीय सरकार की गलती है । गलती तो मैंने भी बतलाई कि समय पर सुरक्षा का काम नहीं हुआ । अगर हुआ होता तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती । मैंने आपके सामने इस बात को कबूल किया कि इसमें यह गलती हुई कि समय पर अधिकारियों को जो सुरक्षा का ऐक्शन लेना चाहिये था, वह नहीं लिया । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी दोषी अधिकारी होगा, चाहे वह छोटा अधिकारी हो अथवा बड़ा हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की

[श्री रामलखन]

जायगी । माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अधिशासी अभियंता और असिस्टट इंजीनियर छुट्टी चले गये हैं, उनको सस्पेंड करें, मैंने मुख्य अभियंता को यह आदेश दे दिया है कि सारे मामले में जांच करके रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स की जाय कि किसको गलती से फ्लड प्रोटेक्शन का काम नहीं हुआ । रेस्पेंसीबिलिटी फिक्स होते ही दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी---

जांच कौन करेगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हाईकोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच करायी जाय ।

श्री रामलखन---

अब सवाल यह है कि बीच तो हो गयी और जो नुक्सान होना था वह भी हो गया । इसलिये जैसा कि केंद्रीय सिंचाई मंत्री ने सुझाव दिया है बिहार और उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियरों तथा केंद्र के इंजीनियरों की एक कमेटी बनायी जाय....जो इसके लिये एस्टीमेट तैयार करे ।

(व्यवधान)

हमने यह निश्चय किया है कि इसको बनवा दिया जाय और बरसात से पहले कार्यवाही पूरी कर लें ताकि निर्माण कार्य पहली नवम्बर से प्रारम्भ किया जा सके । इसके लिये बराबर हमारी ओर से प्रयास हो रहा है और जैसा कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने सुझाव दिया है उसके अनुसार हम कार्यवाही करने जा रहे हैं और हमारी ओर से यह प्रयास किया जायेगा कि देवरिया जिले को बाढ़ से भविष्य में किस तरह से बचाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो घटना इस समय घटी है उसमें मृत्यु की संख्या जो हमने बताई है, उसको गलत बताया है । मैं ५ तारीख को वहां गया था और जो सूचनायें मुझे वहां पर मिलीं थीं उनके आधार पर मैंने बताया था और उस समय तक कोई मृत्यु की सूचना हमको नहीं मिली थी । हमारे सामने और आपके सामने सब से बड़ी समस्या यह थी कि डूबते हुए लोगों को पहले किसी न किसी तरह से बचाया जाय । इसलिये हमने लोगों को बचाने का कार्य तेजी के साथ शुरू किया और कितने मरे कितने नहीं मरे इसके पूछने का उस समय मौका नहीं था । यह नौबत तो उस समय आ सकती है जब कि सब लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जायं ।

(व्यवधान)

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो सूचना माननीय सदस्यों को दी है वह भी बिलकुल सही है । इसमें कोई शक नहीं है । उस समय ६ आदमियों के लापता होने की खबर थी । फिर भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जो सूचना हमको अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई है वह सही है और उतनी ही मृत्युयें हुई हैं । इससे अधिक भी मृत्युयें हो सकती हैं । हम सभी को इस बात का पूरी तरह से अहसास है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने सब से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो आदमी मुसीबत में पड़े हुये हैं उनको किसी तरह से मुसीबत से उबारा जाय और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से हो । इसके प्रति हमारी सरकार जागरूक है और आगे के लिये पहली बार नवम्बर से बाढ़ की सुरक्षा का कार्य तेजी से चालू किया जायेगा और यह प्रयास किया जायेगा किसी तरह गंडक को टेप किया जाय और लोगों की बाढ़ से सुरक्षा की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय हरिवंश सहाय जी बोलेंगे। इसके बाद यदि समय रहेगा तो आपको भी समय मिलेगा ।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला देवरिया के विधायकों ने जो बातें कही हैं उसमें मैं अपनी बात भी जोड़े देता हूं। जो बातें कही गई है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इसमें तीन बातें कही गई हैं। एक तो यह कि १४ जून को बांध में काफी दरार पड़ गई थी, २९ जून को छितौनी बांध से पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था तथा मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकी है। जब सब लोग इकट्ठे होंगे तभी निश्चित संख्या ज्ञात हो सकती है।

यहां इस तरह की बातें हुई हैं। और बाकी फर्जी बातें लिखकर भेज दी हैं जो इस सदन में पेश कर दी गई हैं। जो पहली बात है वह यह है कि बंधे में १४ जून को ही दरार पड़ गई थी। १५ जून को वहां से सारे इंजीनियर छुट्टी चले गये जो चीफ इंजीनियर ओ० पी० शर्मा हैं, वह २३ जून को इस सरकार से आवेदन किया कि गोरखपुर आफिस रखने के बजाय लखनऊ में आफिस कर दिया जाय। राज्य सरकार ने उनको आदेश दे दिया कि उनका दफ्तर गोरखपुर से लखनऊ चला आये। तो वहां से सारे इंजीनियर १५ तारीख को ही छुट्टी पर चले गये। २९ तारीख को जिस अधिकारी न रिपोट दी है वह उस समय की है जब बन्धे पर बीरभार के पास अधिक प्रेशर पड़ रहा था लेकिन उस दिन २९ तारीख थी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं २ जुलाई को देवरिया म था। वहां पर राजनारायण जी से मिलने गया था। मैं जिलाधीश के यहां मिलने गया। इस समय जिलाधीश अपनी जीप से उतर रहे थे। मैंने उनके चपरासी से पूछा कि जिलाधीश महोदय इतने बदहव स क्यों हैं ? उसने बताय कि छितौनी बांध पर पानी बहुत तेज बह रहा था अ इनको जब मालूम हुआ तो ये बहुत तेजी से जीप लेकर भागे लेकिन २० मील की दूरी पर इनकी जीप फंस गई। किसी तरह से जीप निकाल कर जान बचाकर वापस आये हैं। उस समय जिलाधीश जीप को ६० मील की रफ्तार से चला रहे थे। पानी इतने जोर से बह रहा था और जो लोग अपने खेतों पर काम कर रहे थे जिनको पेड़ मिला, वे पेड़ पर चढ़ गये और जो आदमी खाली मदान में थे और कोई सहारा नहीं मिला वे सब बह गये। मैं जब ३ तारीख को वहां पर गया तो लोगों ने वहां पर बताया कि कम से कम २ हजार लोग धारा में बह गये हैं। पशुओं का कोई ठिकाना नहीं है कि कितने बह गये क्योंकि पशुओं को कोई बचा नहीं सका। वे सब धारा में बह गये। उनको निकालने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

दूसरी बात यह है कि पहली तारीख को वहां के किसानों ने छितौनी के मालिक से कहा कि आप जिलाधीश को सूचना दें कि आज बांध टूटने वाला है। छितौनी के मालिक न २ बज सूचना भेजी और तार भी दिया है लेकिन उस दिन जिलाधीश या उनका कोई अधिकारी वहां नहीं गया। वहां पर कोई इनका इंजीनियर भी नहीं था। केवल एक ओवरसियर था, उसने बताया कि बांध टूटने वाला है। पानी तेज बह रहा था। बोल्डर डालने के लिये वहां पर नहीं थे जिससे कुछ धारा को रोका जा सके। बोल्डर मिर्जापुर से आता है। पिछली सरकार ने बोल्डर रेल से मंगाया था लेकिन अब रेल से नहीं आता है। उसको ट्रक से मंगाने की इजाजत मांगी गई कि ट्रक से लाने की इजाजत दी जाय। तो वहां पर ट्रक से बोल्डर आता है। इसका कोई रिकार्ड मेन्टेन नहीं किया गया कि कितने टन बोल्डर मंगाया गया, अल्मुंनियम का तार भी वहां मंगाया गया। वह भी बहुत बड़ी संख्या में, वहां पर मंगाया गया लेकिन देवरिया के अरोरा फैक्ट्री वालों को वह दे दिया गया। इस तरह से उस फैक्ट्री ने लाखों रुपया उस तार से कमा लिया। ठेकेदार ने भी कमाया। अगर सरकार जानकारी करना चाहती है तो जितने ठेकेदार हैं उनके हिस ब किताब को और उनकी हैसियत को जांच करा ले। जिसने छितौनी पर काम किया है उनकी हैसियत एक साल के अन्दर बहुत बढ़ गई

[श्री हरिवंश सहाय]

है । हमारे इलाके में एक ठेकेदार न एक ट्रक खरीदी, एक जीप खरीदी, एक पिस्तौल खरीदा और बहुत सा कीमती सामान भी खरीदा । एक साल के अन्दर उसने अपनी हैसियत २० लाख की बना ली । इंजीनियर की हैसियत भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जो इंजीनियर वहां पर रहे हैं उनकी हैसियत को जानने की कोशिश करें तो आपको मालूम हो जायगा कि उनकी हैसियत क्या है.....

म आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आजतक ऐसा होता रहा है कि जो भी प्रदेश का मुख्य मंत्री होता रहा है उसके पाकेट का आदमी सिंचाई मंत्री होता रहा है । और मैं यह देखता हूं कि जब सिंचाई का उपमंत्री देवरिया जिले में जाता है तो उसके पीछे ५० गाड़ियां चलती हैं और जब कैबिनेट स्तर का कोई अन्य मंत्री वहां जाता है तो उसके पीछे ५ गाड़ियां दिखाई देती हैं । बंधा कटने के बारे में एक बात और है । जो भी मंत्री छितौनी बांध देखने गये उन्होंने बयान दिया अखबार में कि छितौनी बांध पर कार्य करने वाले इंजीनियर बड़ी तत्परता से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी लगन से काम करते हैं । जब यह बयान मंत्री दे देता है तो उसके बाद इंजीनियरों के हौसले बढ़ जाते हैं और वह लूट करना शुरू कर देते हैं । श्री ओ० डी० शर्मा, जिनको वतमान सरकार चीफ इंजीनियर बनाने जा रही है वह जिस बंगले में गोरखपुर में रहे ह वहां से जो उन्होंने ट्रंक काल्स किये हैं, चाहे लखनऊ किये हों, चाहे इलाहाबाद किये हों और चाहे बनारस किये हों, उनके ट्रंक काल्स का खर्चा १० हजार से २० हजार रुपये तक है अगर इसकी जानकारी की जाय तो पता चल जायगा कि उन्होंने किस को ट्रंक किया । इससे आपको यह भी स्पष्ट हो जायगा कि छितौनी का बांध इसलिये भी टूटा कि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े अफसर और मंत्री इंजीनियर्स और ठेकेदारों की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं ।

हमारे देवरिया जिले में तो यह कहा जाता है कि छितौनी का बांध खाओ कमाओ बांध है । अगर बांध को बनवा दें तो उनका खाना-पीना बन्द हो जायगा । फिर आगे उनका गुजारा कसे चलेगा । हमारे जिले में तो यह भी कहा जाता है कि छितौनी बंधा कामधेनु गाय के समान है जिसे उसके इंजीनियर और ठेकेदार बराबर दुहा करते हैं । छितौनी बांध पर जो इंजीनियर गया वह देवरिया में जाते-जाते नयी एम्बासेडर या फिएट कार ८ दिन के अन्दर खरीद लेता है । वहां जो जिलाधीश जाता है वह भी ८ या १५ दिनों के अन्दर एक नयी गाड़ी खरीद लेता है । छितौनी बांध लूट का एक साधन हो गया है । वहां की जनता कहती है कि जब बंधा नहीं बंधा था तब बाढ़ आती थी और चली जाती थी, कोई मरता नहीं था, लेकिन जब से बंधा बंधा है तब से हर साल बाढ़ आती है और लोग मरते हैं वहां के लोगों ने हमें सूचना दी कि दे की हरिजन अपने ६ आदमियों के साथ खेत में सोहनी कर रहा था । पानी की धारा आयी और वह बह गये । इसी रह रामवती और उसके दो बेटे भी पानी में बह गये । बिहारी और उसके दो बेटे और रामपाल और उसके दो बेटे भी सोहनी कर रहे थे, वह भी पानी की धारा में बह गये । कहा जाता है कि पडरौना तहसील के तहसीलदार ने वहां के अमीन को हाटा भेजा कि वहां से नाव लाओ । अमीन की मां बीमार थी । वह मर गई । वह नाव लेकर लौटा नहीं । वह भी पानी की धारा में बह गया । आज तक उसका पता नहीं चला । इतने लोगों के मरने की सूचना जो लोग वहां से आये थे उन्होंने दी कि ये लोग डूब गये ।

वहां के लोगों ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे आदमियों को भी डुबो दिया गया जो मरे नहीं थे और जी रहे थे और अधमरे थे, उनको इसलिये बहा दिया गया कि सही बात पर पर्दा डाला जा सके, देवरिया के कलेक्टर का स्थानान्तरण इटावा को हुआ और २५-२६ तारीख को उसको स्टे कर दिया गया फिर बांदा को तबादला हुआ, फिर स्टे कर दिया गया । इस तरह से जिलाधीश का ध्यान तो ट्रांसफर में था उसका ध्यान छितौनी बांध पर नहीं था । हाटा के एस० डी० एम० का भी ट्रांसफर हुआ, वहां पर कोई रेवेन्यू आफिसर जिम्मेदार था ही नहीं । जो जानकारी रखता । १४ जून को छितौनी में हर साल वायरलेस सन् ५४ से बराबर लगता रहा

है लेकिन इस साल बांध टूटने के ४ दिन के बाद ६ जुलाई को वायरलेस लगा जबकि सब लोग बह गये । कलेक्टर १४ जून को बिहार सरकार को वायरलेस करता है लेकिन अपना वायरलेस छितौनी पर वह नहीं लगवाता । ऐसे समय पर सारे इंजीनियर छुट्टी पर थे । मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे इंजीनियर इस बात को पहले से जानते थे कि इस बार बांध टूटेगा और हमें जनता ऐसे समय में माफ नहीं करेगी और वह हमें ठीक करेगी । इसलिये १५ तारीख से ही सारे इंजीनियर छुट्टी पर चले गये थे । मैं मांग करता हूं कि इस छितौनी की क्षति के लिये एक हाईकोर्ट जज के द्वारा जांच कराई जाय और साथ ही सदन के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय वह भी तथ्यों की जांच करे ताकि सही बात का मूल्यांकन हो सके ।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि वहां पर तकनीकी आदमियों को भेजा जाय । सन् ६९ में कलेक्टर ने मांग की थी कि वहां के लिये मिलिटरी के इंजीनियर दिये जायं, उस साल उनकी मदद से बांध टूटना रुका लेकिन उसका वहां के इंजीनियर्स ने घोर विरोध किया । पिछले साल तो किसी तरह से बांध बच गया लेकिन इस साल मिलिटरी इंजीनियर तो क्या, अफसर इंजीनियर कोई था ही नहीं और नतीजा यह हुआ कि बांध टूटा और २ हजार आदमी और दस हजार मवेशी धारा में बह गये, ऐसा अनुमान वहां के लोगों का है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमें सूचना मिली है कि हमारे सदन के सदस्य श्री लक्ष्मण स्वरूप गिरफ्तार किये गये हैं और वह पुलिस की हिरासत में हैं । सरकार इस का कारण बताये ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें । अब समय नहीं है, अब माननीय राजस्व मंत्री बोलेंगे ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

यह मामला बहुत अहम है । इसके बारे में बताया जाय कि वह क्यों हिरासत में लिये गये हैं ?

श्री बैजनाथ (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मसला है और मुझे इस पर बोलने का मौका नहीं दिया गया है, मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे वहां के लोगों पर आई आपत्ति का हाल मालूम है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके क्षेत्र का मसला है लेकिन आपके नाम से कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं था, जिनके नाम से था उनको अवसर दिया जा चुका है । आप २ मिनट में अपनी बात कहना चाहें तो कह दें ।

श्री बैजनाथ (देवरिया)---

शास्त्री जी जो दिये थे उस में मेरा भी नाम था ।

(श्री चन्द्रभान शर्मा तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा । अब समय अधिक नहीं है । आप बैठें ।

श्री बैजनाथ (देवरिया)--

श्रीमन्, थोड़ी सी बात मेरी सुन लें मैं उसी क्षेत्र से आता हूं । मैं अपने क्षेत्र की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं । मेरी बात को जरूर सुना जाय ।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की बात है और मुझे इस बारे में कुछ कहना है । मैंने ११ जून को एक प्राथना-पत्र माननीय सिंचाई मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी । मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि यदि कोई प्रबन्ध न हुआ तो छितौनी बांध कट जायगा । उसी बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी का २ बार दौरा हुआ परन्तु हमें कोई सूचना नहीं मिली । वहां पर सरकारी कर्मचारियों के कहने के अनुसार मसले तय किए गये, जब कि वहां की समस्या को बतलाने वाले हम लोग थे, लेकिन हम लोगों से कोई राय नहीं ली गयी । वहां पर कोई भी सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं था, सब मौके पर थे । और छुट्टी बाद में ली गयी कि कहीं उन लोगों का गला न कट जाय । सारी बातें वहां पर एक ओवरसियर के ऊपर रख दी गयी हैं । जब मैं यह सब सूचना पहले ही मंत्री महोदय को दे चुका था तो इस बारे में मुझे से भी बात कर ली जाती । कहा जाता है कि ६ आदमी मरे । झील में १० आदमियों की लाशें बरामद हुयी हैं । कितने आदमियों की लाशें बह गयी हैं और इसके अलावा जितने लोग बाढ़ की वजह से मरने और डूबने लगे उन्हें सरकारी कर्मचारियों ने पानी में बहा दिया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायिक जांच कराई जाय और इन लोगों को वहां तुरन्त निलम्बित किया जाय । इसके अलावा इन लोगों पर मुकदमें भी चलाये जायं । मैं चाहूंगा कि हमारे जिले के विधायकों की एक समिति बनाकर इसकी जांच करायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)--

मान्यवर, एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, आप हमारी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, अगर किसी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है तो इस समस्या के ऊपर मैं उसे तरजीह नहीं दूंगा । इससे भी महत्वपूर्ण और क्या मामला हो सकता है । बहुत से लोगों की जान गयी है । अगर आप लिख कर दे दें तो जिस किसी ने अवैध कार्यवाही की होगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, लेकिन वह एक अहम मसला है । आज सारे प्रदेश का जन मानस उद्वेलित हो गया है । इस प्रकार के दूसरे सवाल उठाकर इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

श्रीमन् २-१ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक बार बोल चुके हैं । अब आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद इस प्रकार से काम नहीं चलेगा ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

उन्होंने कह दिया कि पडरौना का बंधा टूटा है ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दीजिये ।

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस विषय पर आज चर्चा हो रही थी वह साधारण नहीं असाधारण विषय है। मुझे यह भी आपके सन्मुख मान लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि हम इस आपत्ति को साधारण नहीं असाधारण आपत्ति मानते हैं । मुझे तकलीफ हुई जब मेरे मित्र और माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने जो जवाब दिया है वह इस प्रकार से दिया है जैसे कोई साधारण घटना हो गई हो । वे जो चाहे कह सकते हैं । लेकिन मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी इस घटना को साधारण नहीं समझा । मैंने वक्तव्य में भी कहा कि यह बात साधारण बात नहीं थी । इतनी बड़ी बात थी कि जिससे आदमी का मन उद्वेलित हो उठता है । पहली बात यह है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत बड़ी घटना हुई है । इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि यह जो गंडक नदी है इसको टेम करना और उसके प्रकोप से मानव को बचाना है यह साधारण बात नहीं है । इतने दिन का इतिहास इस बात को बता रहा है कि यह बहुत मुश्किल बात है । मेरे कुछ दोस्तों ने कहा और मुझे जरा तकलीफ हुई जब उन्होंने कहा कि सन् १९५४ में जब बांध बांधा गया था तो वह भी पालिटिक्स थी ।

श्रीमन्, उस समय क्या पालिटिक्स हो सकती थी उस समय लोगों ने मांग की थी कि गंडक को रोकना चाहिये वरना यह पडरौना को साफ कर देगी । वहां उस समय इंजीनियर लोगों ने काम किया । मैंने माननीय शास्त्री जी को बड़े ध्यान पूर्वक सुना । उन्होंने राय देते हुये कहा है कि गंडक को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना चाहिये और इसको बांधने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिये । श्रीमन्, यह बात उनकी समझ में आती है, सम्भव है कि किसी और की भी समझ में आती हो । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शासन में होगा, या आपसे भी यह बात कही जाय तो क्या यह बात सही नहीं होगी कि आपको इस बारे में अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं करना होगा जितना कि तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों पर करना होगा । हमको उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनकी जो राय होगी उसके मुताबिक हमको कार्य करना पड़ेगा । मैंने अपने वक्तव्य के आरम्भ में ही कह दिया कि शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि हम इस बात की जांच करायेंगे कि आइंदा इस बंधे से नुक्सान न हो पाये इसके लिये क्या क्या उपाय कराये जायं । हमने यह भी कहा है कि आज जो यह बंधा टूटा है इसका क्या कारण था और इसके साथ साथ यह भी कहा कि जिन लोगों को गफलत हुई है और जिन लोगों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है उसकी भी हम जांच करायेंगे । यह तो आप जानते हैं और आपने इस बात को स्वीकार किया है कि माननीय के०एल०राव ने निष्पक्ष राय दी है जो बात कह देंगे वह हमें शिरोधार्य होगी । मैं इसके लिये तैयार हूं कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है अखबारों में जो कुछ आया है वह तो लोगों ने अपने अपने मन से बात लिख दी है, लेकिन जो उनकी अधिकृत रिपोर्ट है जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उस रिपोर्ट को भी हम उपलब्ध करा देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यदि आप चाहेंगे तो मैं वह रिपोर्ट हूबहू आपके सामने पेश कर दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कृपया यह बता दें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही कही है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा । अगर अध्यक्ष महोदय आदेश देंगे तो वह रिपोर्ट हम ज्यों की त्यों उपलब्ध करा देंगे ।

(इस समय ४ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी शर्मा जी ने कहा कि के०एल० राव साहब जो अपनी रिपोर्ट देंगे उसे शिरोधार्य करूंगा । श्रीमन्, ६ जुलाई की प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने साफ कहा है कि यू० पी० गवर्नमेंट के इरीगेशन डिपार्टमेंट की नैग्लीजेंस की वजह से और पांच स्पैन जो इम्बैंकमेंट में बनाने के लिये कहा गया उसमें से केवल एक बनाने के कारण यह हुआ है। लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा । तो अगर राव साहब ने कोई रिपोर्ट दी है इनके विभाग को तो उसे यहां रख दें ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

हमारे विभाग को उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी । यह केन्द्र की ओर से आये थे और केंद्र को ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मंत्री जी को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, लेकिन. . . .

श्री उदित नारायण शर्मा—

केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दी जाय तो भी हमको देखने को मिल सकती है ।

श्री राम करन सिंह—

के० एल० राव साहब का एक बयान अखबारों में छपा । शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी और अखबारों में जो छपा है वह तोड़-मरोड़ कर छाप दिया गया है । अगर शर्मा जी उस रिपोर्ट को मंगा कर सदन में रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी और सारी कंट्रोवर्सी दूर हो जायेगी ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं तो कह ही रहा हूं कि के० एल० राव साहब ने जो कुछ कहा है कि मैं उसे सदन में छिपाना नहीं चाहता हूं। हम तो तैयार हैं माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश देंगे तो हम उसे रख देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप उसको प्राप्त कर लें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । दिल्ली में स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारे यहां के समाचार पत्र बहुत ही रिलायेबुल हैं और अगर कोई समाचार छपे तो सदस्य उस पर रिलाई कर सकते हैं जब तक कि कोई उसको झूठा न साबित कर दे । श्रीमन्, नेशनल हैराल्ड बहुत जिम्मेदार अखबार है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी पक्ष से वह विमुख रहता है । उसमें. . . .

श्री अध्यक्ष—

उसे आप मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इसमें यह साफ लिखा है—

"This has been due to the negligence of Irrigation Engineers of U. P., Bihar and also of the railway authorities."

तो श्रीमन्, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने साफ कहा है कि यू० पी० के इंजीनियर्स की गलती की वजह से यह ब्रीच हुआ है और मंत्री जी कहते हैं कि नैग्लीजेंस नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह रिपोर्ट वहां से मंगालें और पढ़कर सूचना दे दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी ने तो यह कहा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। इसके माने यह हुए कि समाचार पत्र गलत छाप रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो सच्ची बात है उसको निकालना चाहिये । जो रिपोर्ट उन्होंने की है उसकी जानकारी या तो मुख्य मंत्री ले लें या राजस्व मंत्री ले लें और सूचनार्थ सदन के पटल पर रख दें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, उन्होंने एक वक्तव्य अखबारों में दिया है जिसमें जैसा कि माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा कि उन्होंने यू० पी० के इंजीनियर्स और बिहार के इंजीनियर्स के नाम लिये और यह कहा कि उन लोगों की नेग्लोजेंस की वजह से यह बात हुई । यह अखबारों में दिया हुआ उनका वक्तव्य है । दूसरी रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया को दी है जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा । हम उस रिपोर्ट को मंगवा रहे हैं और फिर जैसा कार्य करने के लिए कहा जायगा वह किया जायगा । जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने बताई है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी लादी जायेगी और सजा दी जायेगी । जब केन्द्रीय सरकार से वह मिल जायेगी तो उसको सदन के पटल पर रख दिया जायगा ।

एक सदस्य—

क्या मंत्री जी जिनका यह दोष पाया जायगा उनको मुअत्तल करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, अब एक मिनट रह गया है । इस विषय पर मुझको बहुत जरूरी चीजें कहना है । अगर कल के लिये समय दे दें तो मैं उस समय उसको कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

कल आप कह दें ।

एक सदस्य—

एक सदन की कमेटी इस पर जांच करें । क्या माननीय मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालेंगे ?

१९७१-७२ का आय-व्ययक

श्री अध्यक्ष—

आपको बजट स्पीच की प्रति यहां मिल जायेगी और जो लिट्रेचर है उसको आप लाबी से दस्तखत करके ले लीजियेगा। वित्त मंत्री स्पीच आरम्भ कर दें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

महोदय,

मैं वित्तीय वर्ष १९७१-७२ का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पिछली सरकार ने २२ मार्च, १९७१ को अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था और वर्तमान सेवाओं और योजनाओं के लिये, जिनमें चालू आयोजनागत योजनायें सम्मिलित हैं व्यय की व्यवस्था करने के प्रयोजन से चार मास की अवधि के लिये लेखानुदान प्राप्त किया था। अब मैं पूरा ब्योरेवार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें नई मदें और योजनायें सम्मिलित हैं। इस सदन के कुछ वर्गों की इच्छा का समादर करते हुये विधान मंडल का यह सत्र इस मास तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप एक मास की अवधि के लिये लेखानुदान पुनः प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इस प्रसंग में आवश्यक प्रस्ताव मैं अलग से प्रस्तुत करूंगा।

देश के इतिहास में गत वित्तीय वर्ष इस अर्थ में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि संसद के पिछले आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रजातांत्रिक समाजवाद के ध्येय तथा कार्यक्रम एवं प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रगतिशील नेतृत्व को भारी समर्थन प्रदान कर राष्ट्र की सेवा करने का अवसर दिया। इस पृष्ठ भूमि में राज्य स्तर पर स्थापित नयी सरकार को भी इस सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति तथा जन साधारण के उत्थान और पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिये निरन्तर चेष्टाशील रहना है।

पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में मैंने कतिपय बजट प्रणाली संबंधी सुधारों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे तथा सदन ने सामान्यतया इन सुझावों का स्वागत किया था। प्रशासन में दो तीन बार व्यवधान हो जाने के कारण इन सभी सुझावों पर ब्योरे से विचार कर उन्हें कार्यान्वित करने में बाधायें आईं। फिर भी, जो सुधार निम्न प्रकार कार्यान्वित किये गये, वे नगण्य नहीं हैं।

गत वर्ष हमने विधान मण्डल के समक्ष सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा परिवार नियोजन विभाग नामक तीन विभागों के परफार्मेन्स बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक) पहली बार प्रस्तुत किये। परफार्मेन्स (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक) बजट तैयार करना एक ऐसी प्रविधि है, जिसका अभिप्राय वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों के बीच कड़ी जोड़ना तथा निवेशों (इनपुट्स) और उत्पादों (आउटपुट्स) के बीच सार्थक सम्बन्ध स्थापित करना है। मेरी धारणा है कि माननीय सदस्यों ने सामान्य रूप से परफार्मेन्स बजट के संबंध में काफी अभिरुचि दिखाई और उनकी यह मांग थी कि इसका विस्तार अन्य विभागों तक भी किया जाय। अतः इस वर्ष उल्लिखित तीन विभागों के अलावा दो और विभागों अर्थात् कृषि और उद्योग विभागों के परफार्मेन्स बजट भी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अन्तर्ग्रस्त प्राविधिकताओं और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिये जाने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये इस विषय में हम शनैः-शनैः ही बढ़ सकते हैं। अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत करने की दिशा में शनैः-शनैः ही बढ़ पायी हैं और कदाचित कुछ राज्यों ने तो अभी तक कोई परफार्मेन्स बजट (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट) प्रस्तुत किया ही नहीं है।

मैंने अपने गत वर्ष के बजट में संकेत किया था कि सरकार ने पुराने मैनुअलों, फाइनेन्शियल हैण्डबुकों और सर्विस नियमों के पुनरीक्षण एवं प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया है ताकि

वितीय नियम विकास व प्रशासन की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें। यह कार्य चालू रहा है और इसमें तेजी आयी है। माननीय सदस्यों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि वर्ष १९७०-७१ के दौरान बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैन्डबुक, खण्ड १, फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड ७ तथा फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड ५, भाग २ के पुनरीक्षित हिन्दी संस्करण संकलित तथा प्रकाशित कर दिये गये हैं। लेखा-परीक्षा संबंधी आपत्तियों के निराकरण के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का एक हिन्दी संकलन भी प्रकाशित किया गया है। फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड ५, भाग १ का पुनरीक्षित हिन्दी संस्करण प्रेस में है और इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अन्तिम प्रूफ की प्रतीक्षा की जा रही है। फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड ६ का पुनरीक्षित हिन्दी संस्करण भी प्रेस को भेजा चुका है। फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड २ का तथा प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स के मैनुअल का पुनरीक्षित संस्करण भी प्रेस में है। फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड ३ का पुनरीक्षित हिन्दी संस्करण तैयार किया गया है और वह अन्तिम परिनिरीक्षा की अवस्था में है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने (क) विभिन्न अधिकारियों को अधिकारों के प्रतिनिहित किये जाने, (ख) कोषागार प्रक्रिया (ट्रेजरी प्रोसीजर), (ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधी प्रक्रिया, (घ) सामान्य लेखाकरण प्रक्रिया (जनरल एकाउन्टिंग प्रोसीजर) और (ङ) प्रक्रिया को सरल बनाने और विलम्ब को कम करने के लिये विभिन्न वितीय नियमों के परिष्करण (माडीफिकेशन) के संबंध में जो सिफारिशें की हैं उनकी भी जांच शीघ्र निर्णयार्थ हो रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने मार्च, १९७० में अपनी रिपोर्ट में कोषागारों (ट्रेजरीज) में प्रचलित कार्य-प्रणाली के सुधार के लिये ३१ संस्तुतियां की। इनमें से आठ के अनुसार इस प्रदेश में पहले ही से कार्यवाहियां हो रही हैं। शेष संस्तुतियों में से १३ संस्तुतियों को मान कर शासन ने उन्हें तुरन्त कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इनमें से मुख्य संस्तुतियां निम्न प्रकार हैं:—

(१) सौ रुपये तक की छोटी-छोटी धनराशियां, जिनका भुगतान सरकार की ओर से नागरिकों को किया जाता है, अब रूपया पाने वालों के नाम, यदि वे चाहें, मनी आर्डर द्वारा भी भेज दी जायं।

(२) जो पेन्शनदार १०० रु० प्रतिमास तक पेन्शन पाते हैं उनको पेन्शन का नकदी भुगतान कोषागार में हो जाता है। इससे अधिक पेन्शन पाने वालों को बैंक से पेन्शन प्राप्त करनी पड़ती है। अब १०० रु० की यह सीमा बढ़ा कर ३०० रु० कर दी जाय।

(३) सरकारी कर्मचारी को छुट्टी का वेतन प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है इसको दूर करने के लिये ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी का वेतन बिना किसी कटौती के डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा भेज दिया जाय।

(४) इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके अवकाश काल का वेतन मनी आर्डर द्वारा सरकारी खर्चे पर उनके पास भेज दिया जाय।

(५) कोषागारों के कर्मचारियों को यथाक्रम प्रशिक्षण दिया जाय क्योंकि अब कोषागारों का काम दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है।

आयोग की शेष दस संस्तुतियों पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

पेन्शनों के स्वमेव राशिकरण की व्यवस्था करने और इस कार्य में अब तक होने वाली देरी को यथासम्भव कम करने के उद्देश्य से एक नई पेन्शन-राशिकरण नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है। विभिन्न वित्तीय नियमों के संशोधनों के प्रारूप भी तैयार किये गये हैं जिससे कि वे हमारे संविधान के उपबन्धों के अनुरूप हो सकें।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सेवा संबंधी नियमों का प्रारूप तैयार करने, उनका पुनरीक्षण करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के कार्य में भी प्रगति हुई है। सेवा संबंधी नियमों को अन्तिम रूप देने में कई प्राधिकारियों से परामर्श लेना पड़ता है और इसमें समय लगता है किन्तु आशा की जाती है कि इस वर्ष अनेक सेवा संबंधी नियमावलियों को अन्तिम रूप देना सम्भव होगा।

आयोजनागत योजनाओं (प्लान स्कीम्स) का शीघ्रतिशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे कुछ अधिकार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये थे जो वर्ष १९६७-६८ की अवधि के बाद स्वीकृत योजनाओं पर लागू न थे। अब प्रतिनिहित अधिकार उक्त अवधि के बाद स्वीकृत योजनाओं पर भी लागू कर दिये गये हैं। योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की कार्यविधि में अड़चनों को पूरा करने के प्रश्न पर भी शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

किसी वर्ष के लिये बजट में व्यवस्थित धनराशि के उसी वर्ष के ठीक अन्त में व्यपगत (लैप्स) हो जाने की जो वर्तमान प्रणाली है उससे मैं चिन्तित रहा हूं क्योंकि इससे वर्ष के अन्त में जल्दी-जल्दी में अत्यधिक व्यय करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने गत वर्ष के बजट भाषण में भी चिन्ता व्यक्त की थी। हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया और विधिक राय के साथ-साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड एडीटर जनरल) के भी विचार प्राप्त किये। अनुच्छेद २०२ में वर्णित वर्तमान संविधानिक स्थिति के कारण बजट में व्यवस्थित धनराशि का वर्ष के अन्त में व्यपगत हो जाना अनिवार्य है। इसका विकल्प यह हो सकता है कि यदि आवश्यक हो तो निधियों को वैयक्तिक बहीखाते (पर्सनल लेजर एकाउन्ट) में संक्रामित कर दिया जाय। लेकिन यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि हमारी लोक लेखा समिति ने इससे पहले कई बार कहा है कि निधियों को व्यपगत होने से बचाने के विचार से कोई धनराशि वैयक्तिक बहीखाते में संक्रमित नहीं की जानी चाहिये। हमने भारत सरकार को लिखा है कि वे संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करें जिससे कि कुछ श्रेणियों के निर्माण-कार्यों के लिये बहु-वर्षीय बजट विनियोजना हो सके या किसी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में एक निश्चित अवधि में किये गये व्यय को पूर्ववर्ती वर्ष के बजट में व्यवस्थित धनराशि में से किया गया माना जा सके। ऐसी प्रणाली कतिपय देशों में पहले ही से विद्यमान है।

बजट साहित्य में यथासम्भव सुधार करने के विचार से मैंने नई मदों, सार्वजनिक और सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों, सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने और राज्य आयोजना (प्लान) और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं आदि को प्रदर्शित करने की रीति के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श कर कतिपय सुझाव संकलित किये हैं। इनमें मुख्य निम्न प्रकार है:—

(१) राज्य सरकार के बजट में व्यय की नई मदें आयोजनेतर तथा आयोजनागत के अन्तर्गत अलग-अलग दिखाई जाती हैं तथा इनका वर्गीकरण राजस्व व्यय, पूंजी व्यय तथा ऋण के अनुसार किया जाता है। इस तरह से एक विभाग की योजनाओं का व्यय एक साथ मालूम नहीं हो सकता। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने यह सुझाव दिया है कि नई योजनाओं की सूची विभागों के अनुसार बनाय जाय जिसमें उस योजना पर होने वाला कुल व्यय तथा बजट वर्ष में होने वाला राजस्व, पूंजी व्यय तथा ऋण संबंधी व्यय और उस लेखा शीर्षक का संदर्भ जिसके अन्तर्गत वह प्राविधान किया जा रहा है, एक ही स्थान पर दिखाया जाय जिससे कि किसी योजना विशेष पर होने वाले व्यय की सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके।

(२) यह सुझाव है कि सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभागों के बजट अनुमान अलग खण्डों में छापे जायें जिनमें प्रत्येक निर्माण-कार्य का विनियोग की इकाइयों के अनुसार विभाजन, उसका अनुमानित व्यय, बजट वर्ष से दो वर्ष पहले तक का क्रमानुगत परिव्यय (प्रोग्रेसिव

आउट ले), चालू वर्ष के बजट और पुनरीक्षित अनुमान तथा बजट वर्ष के बजट अनुमान दिखाये जायें। इससे सदन को तुलनात्मक प्रगति व सही जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।

(३) राज्य सरकार के बजट में राज्य आयोजनागत योजनायें तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें खण्ड ५ में एक ही साथ दिखाई जाती हैं। यह सुझाव है कि प्रत्येक मुख्य (मेजर) और लघु (माइनर) शीर्षक के अन्तर्गत इन्हें दो पृथक शीर्षकों अर्थात् "राज्य आयोजनागत योजनायें" तथा "केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें" के अन्तर्गत अलग-अलग दिखाया जाय।

(४) अभी तक राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन वाणिज्यिक उपक्रमों के बारे में कोई परिशिष्ट (सप्लीमेन्ट) अलग से प्रकाशित नहीं किया जाता है। अब प्रस्ताव यह है कि कुछ अन्य राज्य सरकारों की तरह सरकारी तथा अर्द्धसरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के विषय में एक परिशिष्ट अलग से प्रकाशित किया जाय जिसमें उनके कार्यकलापों का वर्णन, उनके लाभ और हानि का वित्तीय विवरण, उत्पादन तथा बिक्री का विस्तृत उल्लेख किया जाय।

ये सुझाव ऐसे समय में प्राप्त हुये हैं जबकि समुचित रूप से विचार करके उन्हें चालू बजट में समाविष्ट करना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी यह प्रस्ताव है कि इन सुझावों पर निर्णय लेकर अगले वित्तीय वर्ष के बजट में जहां तक सम्भव हो सके लागू किये जायें।

राज्य की आय

वर्ष १९६०-६१ के प्रचलित भावों के अनुसार राज्य का शुद्ध आन्तरिक उत्पादन १७९९ करोड़ रुपये था। १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करने से १९६९-७० का पुनरीक्षित अनुमान २२६१ करोड़ रुपये था, जो १९७०-७१ में बढ़ कर २३७० करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इस वर्ष भी ४.५—५ प्रतिशत वृद्धि रही। १९६०-६१ के स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय १९६९-७० के २५३ रुपये से बढ़ कर १९७०-७१ में २५९ रुपये हो गई और इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में लगभग २.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनगणना, १९७१ के अनन्तिम आंकड़े जनसंख्या के प्रेक्षित अनुमानों से कम है। यदि उनको ध्यान में रखा गया तो प्रति व्यक्ति आय के अनुमान कुछ और ऊंचे होंगे।

दशक १९६०-७० के बीच कृषि से आय १०९६ करोड़ रुपये से बढ़ कर १३३९ करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन से आय १८३ करोड़ रुपये से बढ़ कर २८६ करोड़ रुपये हो गई।

समूचे राज्य की अर्थ-व्यवस्था में १० वर्ष की इस अवधि के दौरान लगभग ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई जो लगभग २.८ प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर के बराबर है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में ५.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस तथ्य का उल्लेख इस स्थल पर करना रुचिकर होगा कि १९६०-६१ में राज्य की कुल आय में कृषि का अंशदान जहां ६०.९ प्रतिशत था वहां १९६९-७० में वह ५६.५ प्रतिशत और १९७०-७१ में लगभग ५६ प्रतिशत रहा। इस अवधि में उद्योगों से राज्य को होने वाली आय १०.२ प्रतिशत से बढ़ कर १२.१ प्रतिशत और व्यापार तथा वाणिज्य से होने वाली आय १२.३ प्रतिशत से बढ़कर १४.१ प्रतिशत हो गई। इस प्रकार जहां १९६०-६१ में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और परिवहन के क्षेत्रों से कृषि क्षेत्र की आय की लगभग एक तिहाई आय हुई, वहां १९७०-७१ में यह प्रतिशत बढ़ कर कृषि क्षेत्र की आय का लगभग ४६ प्रतिशत हो गया।

औद्योगिक उत्पादन

यह पहले कहा जा चुका है कि १९६०-६१ में औद्योगिक उत्पादन से आय १८३ करोड़ रुपये थी और यह १९६०-६१ के स्थिर भावों के अनुसार १९७०-७१ में बढ़ कर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

२८६ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार १९६०–७० के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में समग्र रूप से ४.८ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अर्थ-व्यवस्था के वाणिज्य, परिवहन एवं संचार क्षेत्र से राज्य में जो आय हुई वह १९६०–६१ के २२१ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९७०–७१ में ३३५ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार ४ १/४ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

यह आशाजनक स्थिति है कि औद्योगिक उत्पादन से आय में वृद्धि की प्रवृत्ति इस वर्ष भी बनी रही और गत वर्ष की तुलना में ऐसी आय लगभग ८ १/२ प्रतिशत अधिक थी। यदि केवल संगठित उत्पादन क्षेत्र (आर्गेनाइज्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर) को देखा जाय तो उस क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ वह गत वर्ष की तुलना में २०–२२ प्रतिशत अधिक था।

मूल्य स्तर तथा उपभोक्ता भाव सूचकांक

वर्ष १९७०–७१ का कृषीय थोक भाव सूचकांक (१९६०–६१ आधार वर्ष पर) १८९.० था। जो गत वर्ष के सूचकांक १९९.४ से ५.२ प्रतिशत नीचे रहा। कृषीय थोक भावों की सहानुभूति में औद्योगिक थोक भाव भी नर्म रहे। १९६९–७० का औद्योगिक थोक भाव सूचकांक १८९.८ (१९६०–६१=१००) था जो वर्ष १९७०–७१ में ७.४ प्रतिशत घट कर १७५.७ रह गया। इसके विपरीत कानपुर श्रमिक वर्ग उपभोक्ता भाव सूचकांक में कुछ वृद्धि आई और १९७०–७१ का औसत सूचकांक १८६.७ गत वर्ष के सूचकांक से ३.४ प्रतिशत अधिक था। गत वर्ष यह सूचकांक मार्च, १९७० में सर्वाधिक १८८.७ था। उसके बाद मई, १९७० में यह घट कर १८१.२ हो गया। परन्तु इसके बाद मुख्यतया कपड़ों के भाव में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता सूचकांकों में पुनः वृद्धि आती गई और मार्च, १९७१ में यह सूचकांक लगभग उतना ही हो गया जितना कि मार्च, १९७० में था। खाद्य वस्तुओं के भाव इसी प्रकार वर्ष १९७०–७१ में गत वर्ष की अपेक्षा ३.७ प्रतिशत ऊंचे रहे। उनके भाव इस वर्ष मई, १९७१ तक गिरे और सूचकांक मार्च, ७० में २१५.६ की अपेक्षा २०३.६ हो गया। परन्तु उनमें पुनः वृद्धि आ जाने के कारण मार्च, १९७१ में यह सूचकांक २०८.० हो गया और जो फिर भी मार्च, १९७० के सूचकांक से ३.५ प्रतिशत कम था।

वार्षिक आयोजना १९७१–७२

१९७१–७२ की वार्षिक आयोजना चौथी पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे वर्ष के लक्ष्य को प्रदर्शित करती है। १९६१ की जनगणना में इस राज्य की जनसंख्या ७ करोड़ ३७ लाख थी, किन्तु गत जनगणना में वह बढ़ कर ८ करोड़ ८३ लाख हो गई है। आयोजना आयोग ने हमारे प्रदेश के लिये २०९ करोड़ १५ लाख रुपये की लागत की वार्षिक आयोजना स्वीकृत की जिसके लिये इस राज्य को १०५ करोड़ २० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने वार्षिक आयोजना की धनराशि को बढ़ा कर २१४ करोड़ ७४ लाख रुपये करने का निश्चय किया है, भले ही परिव्यय में की गई इस वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध न भी हो। २१४ करोड़ ७४ लाख रुपये के परिव्यय में से २२ प्रतिशत कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिये, १५ प्रतिशत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा ३७ प्रतिशत विद्युत् विकास के लिये रखा गया है। प्राथमिकता की दृष्टि से विकास के ये तीन बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि आयोजनागत परिव्यय का लगभग तीन-चौथाई भाग इनके लिये पृथक रूप से रक्षित कर दिया गया है। कुल परिव्यय का १३.८ प्रतिशत सामाजिक सेवाओं के लिये हैं एवं सड़क और सड़क परिवहन, उद्योग तथा खनिज विकास, सहकारिता एवं सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिये कुल परिव्यय का क्रमशः ५.२ प्रतिशत, ३.७ प्रतिशत और २.८ प्रतिशत नियत किया गया है, शेष धनराशि की व्यवस्था प्रकीर्ण मदों के लिये की गई है। मुख्यतया चीनी निगम की आवश्यकताओं के कारण २१४ करोड़ ७४ लाख रुपये

के उपर्युक्त परिव्यय में ४ करोड़ ७६ लाख रुपये की और वृद्धि हो गई है यानी परिव्यय का कुल योग अब २१९ करोड़ ६० लाख रुपये हो गया है ।

उल्लेखनीय प्रस्ताव

श्रीमन्, अब मैं आपकी अनुमति से कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों और प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहता हूं जो वर्तमान सरकार की घोषित नीति को परिलक्षित करते हैं और भविष्य के लिये इस सदन के सहयोग से इस प्रदेश को विकास की एक नई दिशा व गति देने में यत्किंचित समर्थ हो सकते हैं ।

(१) यह निश्चय किया गया है कि आर्थिक एवं नियोजनात्मक विकास की नीतियों को योजना रूप में निर्धारित करने एवं उनके अनुरूप कार्य-क्रमों के कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने हेतु सर्वोच्च अधिकरण के रूप में मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश में एक प्लानिंग बोर्ड स्थापित किया जाय ।

(२) इस समय ऐसी कोई क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं है कि जिसके अन्तर्गत दीर्घकालीन एवं क्षेत्रीय योजनायें श्रम शक्ति नियोजन (मैन पावर प्लानिंग) आदि आधुनिक नियोजन प्रणालियों के अन्तर्गत बनायी जा सके । अतएव यह प्रस्ताव है कि विकास अन्वेषणालय, मूल्यांकन निदेशालय और अर्थ एवं संख्या निदेशालय को मिलाकर एवं परिवर्धित कर प्रदेश में एक "प्लानिंग इंस्टीट्यूट" (उत्तर प्रदेश नियोजन संस्थान) की स्थापना की जाय । इस इंस्टीट्यूट में अर्थ शास्त्री, गवेषक एवं अन्वेषक स्थिर चित्त होकर एक "ब्रेन्स ट्रस्ट" (विचार पुंज) के रूप में कार्य कर नियोजन प्रक्रिया को प्रभावशाली, अधिक उपयोगी और स्वीकार योग्य बना सकेंगे ।

(३) प्रदेश में ऐसी कई चीनी मिलें हैं जिन्होंने अपने कुप्रबन्ध और अन्य कारणों से लगातार गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों और अपने क्षेत्र की सामान्य आर्थिक व्यवस्था के लिये समस्यायें पैदा की हैं । भलीभांति छानबीन के बाद राज्य सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि इन मिलों का अधिग्रहण करके उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाय जिसके फल-स्वरूप उनके आधुनिकीकरण, पुनर्वासन अथवा एक बड़े पैमाने पर प्रबन्ध में सुधार करने की आवश्यकता होगी । अतः सार्वजनिक हित में राज्य सरकार ने १२ चीनी मिलों का अधिग्रहण ३ जुलाई, १९७१ को एक अध्यादेश द्वारा किया और यह मिलें राज्य चीनी निगम में निहित हो गईं । यह आशा की जाती है कि अब उनके सुधार के लिये एक गतिशील आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ किया जा सकेगा, यद्यपि इस प्रक्रिया में समय लगेगा । इन चीनी मिलों के अधिग्रहण के लिये उचित मुआवजा दिया गया है जो कि राज्य और मिल मालिकों दोनों के लिये न्यायोचित है । मैं अध्यादेश की रूपरेखा का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । बजट अनुमानों में चीनी निगम को ऋण देने के लिये ३ करोड़ २६ लाख रु० और अंश पूंजी में धन लगाने के लिये २ करोड़ ५० लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था भी शामिल है ।

इन चीनी मिलों के अधिग्रहण से प्रदेश की सभी चीनी मिलों की सम्पत्ति का जनहित में अधिग्रहण करने की वर्तमान सरकार की घोषित नीति को बल मिलता है । सरकार सदन के इस प्रसंग में अभिव्यक्त मत को कार्यान्वित करने के लिये कृत-संकल्प है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के केस पर निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे संबंधी जो सिद्धान्त वर्णित किये हैं उनके आधार पर अधिग्रहण होने पर कितना ज्यादा या कम मुआवजा देना पड़ेगा, प्रश्न के इस पहलू से सदन के माननीय सदस्य सम्भवतः अवगत होंगे । अस्तु, प्रारम्भिक वर्ष में सम्पूर्ण अधिग्रहण का वित्तीय पहलू सर्वाधिक महत्व का विषय बन जाता है । संसद द्वारा निकट भविष्य में कौन-कौन से संवैधानिक संशोधन किये जाते हैं यह प्रश्न भी महत्व का बन जाता है । इस विषय पर भारत सरकार से निरंतर परामर्श हो रहा है ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गन्ना उत्पादकों के मूल्य के बकाया की अदायगी के बारे में सरकार बहुत चिंतित रही और बकायों को शीघ्रातिशीघ्र अदा कराने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया गया, जिसमें काफी सफलता मिली है। सरकार की नीति यह रही है कि जहां-जहां चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को भुगतान करने में शिथिलता रही है वहां कड़ी कार्यवाही की जाय। इस प्रकार ४० से अधिक मिलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। ६ मिलों की नीलामी के लिये कलक्टरों ने विज्ञप्ति जारी कर दी और जगह-जगह कुड़की की गई। ८ मिलों में सरकारी रिसीवर कार्य कर रहे हैं और एक गिरफ्तारी भी हुई है। १५ जून तक गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई मौसम की कुल देय ९९ करोड़ ५८ लाख रूपये की धनराशि में से ८३ करोड़ ३० लाख रुपये का भुगतान हो चुका है। ३ करोड़ ३६ लाख रुपये की धनराशि को हाई कोर्ट ने मिलमालिकों की अपील कर किश्तें कर दी हैं। इसके अलावा २ करोड़ ६२ लाख रुपया पिछले मौसमों का बकाया था। शेष भुगतान कराने के लिये सरकार और भी कदम उठाने के लिये चेष्टाशील है।

(४) यूगोस्लाविया और पोलैंड जैसे कई समाजवादी देशों में जहां व्यक्तिगत खेती होती है किसानों की सहूलियत के लिये सर्विस स्टेशन एक मुख्य सेवा के रूप में चलाये जाते हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में जहां इस समय खेती का मशीनीकरण बहुत कम हुआ है, विशेष तौर पर छोटे किसानों के लाभ के लिये "कृषि सेवा केन्द्र" खोले जायें जहां ट्रैक्टर, थ्रेशर, पम्प सेट्स इत्यादि की सुविधायें किराये पर मिल सकेंगी। छोटे किसानों के हित में यह एक बड़ा कदम होगा।

(५) हमारे प्रदेश में खेती के रोजगार पर आश्रित लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है और हमारे लिये भविष्य की एक चेतावनी भी है कि हम यथासम्भव उपलब्ध श्रम शक्ति को खेती से हस्तान्तरित कर दूसरे रोजगारों में लगायें। तजुर्बे के तौर पर सरकार ने यह निश्चय किया है कि एक ऐसे जिले में जहां हरिजनों और खेतिहर मजदूरों की संख्या सर्वाधिक हो, एक एग्रो-इंडस्ट्रियल" कालोनी कायम की जाये जहां केवल भूमिहीन मजदूरों और हरिजनों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायं। इस उपनिवेश में मुर्गी पालन व दुग्ध उत्पादन से लेकर पावर लूम तक उपकरण कराये जायें ताकि रोजगार प्राप्ति के प्रयासों में एक नई दिशा मिल सके। इस प्रयोग के सफल होने पर भूमिहीन मजदूरों व हरिजनों के लिये ऐसे ही अन्य केन्द्र भी खोले जा सकेंगे।

(६) बेकारी निवारण कार्यक्रमों को एक नई दिशा देने के लिये सरकार ने विचार किया है कि प्रान्तीय रक्षक दल का "प्रदेश विकास दल" के रूप में पुनर्गठन किया जाये। भविष्य में इस विकास दल का प्रमुख कार्यक्रम साधारण और शिक्षित बेरोजगारी के लिये कार्यक्रम संचालित करना होगा। प्रस्ताव है कि इसके लिये दल के दो डिवीजन कायम किये जायें और कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करते समय रोजगार के दफ्तरों में "इम्प्लायमेन्ट लाइव रजिस्टर" में प्रतिबिम्बित बेरोजगारों के वर्ग और संख्या का भी ध्यान रखा जाय। यह प्रयास भी होगा कि दल द्वारा बड़ी तादाद में ईंटों के भट्टे लगाये जायें जिनसे गांवों को लगभग १–२ मील की "अप्रोच" रोड को दुरुस्त किया जाये, गांवों के अन्दर के गलियारे ठीक किये जायें, नालियां बनाई जायें और वे बे-घर हरिजनों को उनके आवास के लिये ईंटें भी सरल ऋण की शर्तों पर दी जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये मेड़बंदी नलकूपों की नालियों को पक्का करना इत्यादि कार्यक्रमों को भी सघन किया जायगा। भारत सरकार से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की योजना के लिये प्राप्त धन भी इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयुक्त किया जा सकेगा, ऐसी आशा है। इस प्रसंग में सम्मानित सदस्यों के सुझाव अपेक्षित है।

(७) प्राविधिक रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से अ.योजना अवधि में ५० लाख रुपये के पूंजी परिव्यय की एक योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में उपयुक्त स्थानों पर कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिये प्राविधिक रूप से अर्हता-प्राप्त उद्यमकर्त्ता को कृषि निगम के माध्यम से ऋण दिये जायेंगे और चुने हुए अभ्यर्थियों को इस सम्बन्ध में दो मास तक का प्रशिक्षण भी दिया जायगा और उस अवधि में उन्हें छात्र वेतन मिलेगा ।

(८) एक अध्यादेश जारी करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी परगने के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं अपनी ओर से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प पर भूमि की कुछ श्रेणियों में से किसी श्रेणी की भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों और खेतिहर मजदूरों तथा कारीगरों के वास्ते आबादी स्थलों की व्यवस्था करने के निमित्त सुरक्षित या आवंटित कर दें । इस अध्यादेश के अन्तर्गत सारे प्रदेश में बहुसंख्यक बेघर हरिजनों व अन्य बेघर लोगों को आवास के लिये भूमि मिल सकेगी । ऐसी जातियों को मकान बनाने की सुविधा देने के अभिप्राय से बजट में पहली बार सहायक अनुदान के साथ-साथ ऋण देने का भी प्राविधान किया गया है । इस उद्देश्य से १० लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि बजट में सम्मिलित कर ली गई है ।

(९) हमारे समाज में निर्बल वर्गों की आर्थिक सुरक्षा व सहायता एक प्रगतिशील समाज का मुख्य ध्येय होना चाहिये । इस प्रसंग में विधवा-समाज की स्थिति प्राथमिकता देकर विचारणीय है । अस्तु, सहायता की पात्र विधवाओं के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था चालू वर्ष के बजट में की गयी है । किसे कितनी सहायता दी जाय, इस बात का निर्णय प्रार्थना-पत्रों के आने पर परिस्थिति के अनुसार किया जायेगा । वृद्धावस्था की पेन्शन की कार्य प्रणाली को सरल करने के उद्देश्य से, संबंधित कार्य श्रम विभाग से समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित करने और जिलाधिकारियों को इस पेन्शन को वितरण करने का अधिकार देने का निश्चय किया गया है ।

(१०) शासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों (जिनमें भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक भी सम्मिलित हैं) को राजनैतिक पेंशन अनुदान में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत पेन्शन की न्यूनतम दर ४० रुपये माहवार से बढ़ाकर ६० रुपये और आश्रित अविवाहित बहनों तथा पुत्रियों के विवाहों के संबंध में दिये जाने वाले एकमुश्त अनुदान की सीमा ५०० रुपये से बढ़ाकर, १,००० रुपये कर दी गयी है । इस बारे में चालू बजट में १६ लाख ४० हजार रुपये का अतिरिक्त प्राविधान कर दिया गया है । यह भी प्रस्ताव है कि सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया जाये कि वे स्वतंत्रता सैनिकों की सूची बनाने में योगदान दें ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को अपेक्षित सहायता सम्मानपूर्वक दी जा सके ।

(११) प्रदेश के औद्योगिक विकास व मजदूर वर्ग के हित में यह प्रस्ताव है कि मजदूरों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों का "कोडीफिकेशन" किया जाये । विद्युत्, चीनी, चमड़ा और इंजीनियरिंग से सम्बन्धित वेज बोर्ड एवार्डों को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है । विभिन्न विभागों में तीन वर्ष से निर्धारित योग्यता-सम्पन्न संतोषजनक कार्य करने वाले कार्य प्रभारित (वर्क-चार्ज) कर्मचारियों को रेगुलर सेवा में लिये जाने का भी प्रस्ताव है । राज्य विद्युत् परिषद् के मजदूरों की सेवाओं को "कांटीन्यूटी" (निरन्तरता) बनाये रखने का भी निर्णय लिया गया है । खेतिहर मजदूरों की मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूरी बढ़ाने का निश्चय किया गया है । कुछ राजकीय प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है । जिला परिषदों के कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना भी विचाराधीन है ।

(१२) वर्ष १९७१–७२ के लिये गेहूं की खरीदारी के लिये निर्धारित ६.५ लाख टन का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, बाद में संशोधित ८ लाख टन के लक्ष्य को भी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्राप्त कर लिया गया है। फिर भी शासन ने मूल्य संरक्षण देने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार गेहूं की खरीद पूरे वर्ष जारी रखने का निर्णय ले लिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर गेहूं की खरीद का लक्ष्य फिर से बढ़ा कर ९.५ लाख टन कर दिया गया है।

(१३) सहकारी ऋण संबंधी रूपरेखा की कार्य-प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से चैक प्रणाली आरम्भ की गयी है जिससे कि ऋण वास्तविक सदस्यों को ही प्राप्त हो सके और दुरुपयोग न होने पाये। बकाया धनराशियों (अति-देयों) की वसूली के लिये एक विशेष अभियान चलाया गया है और धनराशियों की वसूली के काम को प्राथमिकता देने के विचार से सहकारी समितियों की सहायता से अधिकतर जिलों में वसूली अधिकारी (रिकवरी आफिसर) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(१४) केन्द्रीय सरकार के सहयोग से "आपरेशन फ्लड" नामक एक दुग्ध योजना चालू की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ३ करोड़ ८२ लाख रुपया विनियोजित होगा। इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए उ० प्र० सहकारी दुग्ध फेडरेशन को कार्य सौंपा गया है। आशा की जाती है कि इस योजना के कार्य-क्षेत्र वाराणसी व मेरठ डिवीजनों में दुग्ध उत्पादन के कार्य में विशेष रूप से प्रगति होगी।

(१५) अभी तक पर्यटन का काम परिवहन विभाग द्वारा होता रहा है, परन्तु इस कार्य के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पर्यटन विभाग का एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया जाये ताकि इस आवश्यक कार्य में प्रगति लायी जा सके। पहली बार मंत्री-स्तर पर पर्यटन विभाग का कार्य वन मंत्री पर्यटन मंत्री के रुपमें देख रहे हैं, और पर्यटन निदेशक की नियुक्ति भी की गयी है।

(१६) बंगला देश की समस्या से हम सभी संतप्त व क्षुब्ध हैं। वहां से आये हुये शरणार्थियों की सहायता के लिए हमने राष्ट्रीय नागरिक परिषद को पुनर्गठन किया है और राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए १० लाख रुपये देने का निश्चय किया गया है। पुनर्गठित परिषद् ने इस कार्य को समूचे प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ प्रारम्भ किर दिया है और यह आशा की जाती है कि जनता के सहयोग से प्रदेश में आये हुये शरणार्थियों को सहायता देने के कार्य में परिषद् सफल होगी।

(१७) राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के यूनियन से संबंधित उस कानून को, जिसका युवावर्ग ने व्यापक विरोध किया था, वापस ले लिया है। अब विश्वविद्यालयों में छात्र यूनियनें अपना कार्य पूर्ववत् कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश युवा-बोर्ड का गठन किये जाने का भी प्रस्ताव है, ताकि युवकोचित कार्यक्रमों को बल मिले।

(१८) शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करना समाजवादी दृष्टिकोण से एक आवश्यक कदम है। अस्तु, प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से संस्तुति की है कि पांच लाख रुपये के मूल्य से अधिक मूल्य की शहरी सम्पत्ति को सार्वजनिक हित में अधिग्रहीत करने हेतु देश भर के लिये एक प्रभावी कानून बनाया जाय ताकि ऐसी सम्पत्ति के अन्तर्गत सर्वसाधारण के लिये मकान बन सकें और प्रत्येक नागरिक परिवार के लिये अपना एक मकान बनाये जा सकने व होने का सिद्धान्त अन्ततोगत्वा लागू हो सके। प्रादेशिक सरकार भारत सरकार से ऐसा करने के लिये निवेदन करेगी, लेकिन अगर भारत सरकार को ऐसा कानून बनाने में कोई संवैधानिक कठिनाई हो तो प्रादेशिक सरकार इस कानून को स्वयं पारित करने के लिये तत्पर रहेगी।

खेती की बड़ी जोतों पर सीलिंग के कानून में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि जोतों की सीमाबन्दी सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल हो सके।

(१९) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाक्टरों की सेवा उपलब्ध करने के विचार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बजाय एक डाक्टर के, दो डाक्टरों की तैनाती का निर्णय लिया है। इस प्रकार इस साल ८७५ डाक्टरों को सेवा में लेने का विचार है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को भारी राहत पहुंचेगी।

शासन ने यह भी निश्चय किया है कि जिन क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई हो, वहां सचल चिकित्सालयों की सुविधा दी जाय । शुरुआत में इस प्रकार के कुल ११ सचल चिकित्सालय (प्रत्येक डिवीजन में एक चिकित्सालय) खोलने का निश्चय किया गया है । इन सभी चिकित्सालयों को वर्ष १९७१–७२ में ही खोलने का प्रस्ताव है ।

(२०) प्रदेश को उर्दू भाषा पर गर्व है और इसके विकास के लिये सरकार ने एक उर्दू अकादमी कायम करने का निश्चय किया है । इस अकादमी के ये कार्य होंगे:—

१—उर्दू की किताबें छपाने में मदद पहुंचाना ।

२—उर्दू लेखकों को उनकी ऐसी उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार देना जिनका विषय साहित्य विज्ञान एवं कला हो और उपयोगी हों तथा साम्प्रदायिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को जागृत करने वाला हो ।

३—सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उर्दू की उपयोगी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकायें खरीदने के लिये अनुदान देना, और

४—उर्दू साहित्यकारों एवं लेखकों को प्रकाशन अनुदान देना ।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि शिक्षा निदेशक के मुख्यालय में एक उप शिक्षा निदेशक, उर्दू की नियुक्ति की जाये जिसकी उर्दू शिक्षा की समुचित शिक्षा करने की विशेष जिम्मेदारी रहेगी । कक्षा १ से ८ तक उर्दू विषय के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के बारे में सलाह देने के लिये 'एक बोर्ड आफ उर्दू स्टडीज' गठित करने का भी प्रस्ताव है ।

मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने के लिए एक अखिल भारतीय नीति है जिसके अनुसार किसी स्कूल में यदि ४० विद्यार्थी या किसी कक्षा में १० विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको यह सुविधा प्रदान की जाती है । सरकार इस विषय में कुछ और सुविधा देना चाहती है जिसके अनुसार यदि किसी स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ४०/१० से कम होती है तो निकटतम स्कूल में, जहां उर्दू पढ़ने की व्यवस्था है, उन छात्रों को दाखिल करा दिया जायेगा । यह प्रयोग प्रारम्भिक तौर पर पांच कबाल नगरों और मेरठ तथा बरेली शहरों में किया जायेगा ।

राज्य सरकार ने स्नातक स्तर पर भी उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने का निर्णय लिया है । ऐसे ९ जिले हैं जहां उर्दू बोलने वाले की संख्या १५ प्रतिशत से अधिक है । इन ९ जिलों में से बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में इस समय स्नातक स्तर पर उर्दू की शिक्षा प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था नहीं है । इन सभी जिलों में एक-एक डिग्री कालेज को उर्दू पढ़ाने के लिए नियमानुसार अनुदान दिया जावेगा ताकि उर्दू शिक्षा की व्यवस्था जिला-स्तर पर हो जाये । वैसे तो डिग्री कालेजों को तीन साल के बाद ही नियमानुसार अनुदान सूची पर लाया जाता है लेकिन उर्दू के विषय में शिक्षा का उपरोक्त प्रकार से प्राविधान करने के लिये संबंधित कालेजों को उर्दू पढ़ाने के लिये नियुक्त अध्यापकों आदि के विषय में प्रथम वर्ष से ही नियमानुसार अनुदान दिया जायेगा ।

रामपुर स्थित सरकारी कालेज में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था पहले से ही है । यह सुविधा आवश्यकता पड़ने पर ज्ञानपुर कालेज में भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । आगरा, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से विचार विनिमय करके स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था के विस्तार का सरकार प्रयत्न करेगी ।

उर्दू गजट की प्रतियां पहिले से ही विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, जिला न्यायाधीशों, कार्यालय अध्यक्षों एवं समस्त सरकारी पुस्तकालयों को भेजी जाती हैं । इसके अतिरिक्त पांच-पांच प्रतियां उन तहसीलों को भी भेजी जाती हैं जिनकी कुल आबादी का १५ प्रतिशत या उससे अधिक भाग उर्दू भाषा-भाषी है । अब ये आदेश जारी कर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दिये गये हैं कि उर्दू गजट की प्रतियां हर तहसील में उपलब्ध रहें। उर्दू पुस्तकों को लिखने और छापने को प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व उर्दू अकादमी को सौंपा जायेगा। ऐसा विश्वास है कि अकादमी के माध्यम से उर्दू पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में भी काफी सहायता मिलेगी।

(२१) उत्तर प्रदेश में १ लाख १२ हजार छः सौ चौबीस ग्राम हैं जिनमें से ३१ मार्च, १९७१ तक बीस हजार सात सौ उन्नीस ग्रामों में बिजली पहुंच गई है। फिर भी ९१ हजार नौ सौ पांच ग्राम इस प्रकार बिजली की सुविधा से वंचित है। सरकार का विचार है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, अर्थात् ३१ मार्च, १९७९ तक, इन शेष ग्रामों तक बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जाये। प्रदेश के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने व औद्योगीकरण की गति को तीव्रतर करने के इस प्रेरणादायी लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प करना हर प्रदेश-वासी का कर्त्तव्य है। इस विशाल योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्पादन परियोजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण और पारेषण और वितरण लाइनों के लिये अतिरिक्त १,५४८ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। धन उपलब्धि के लिये राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि वित्तीय निगम, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को योजनायें भेजकर प्रयत्न शुरू किये जायेंगे। इस प्रसंग में हमारा यह प्रयास होगा कि अगले १०-१५ वर्षों के लिए विद्युत् उत्पादन की एक-बद्ध योजना तैयार करें जिसके अन्तर्गत हिमालय और विंध्याचल से निकलने वाली सभी नदियों की विद्युत् क्षमता को जहां तक संभव हो सके, प्रयोग में लाया जा सके।

पिछड़े हुये क्षेत्र

राज्य में पन्द्रह पूर्वी जिलों, आठ पर्वतीय जिलों और बुन्देलखंड को पिछड़ा हुआ माना गया है। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये सम्मिलित समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के अल्प संसाधनों के भीतर इन सम्भागों के विकास के लिये चौथी आयोजना में ३३८ करोड़ ४० लाख रुपये का परिव्यय प्रदिष्ट किया गया है। १९७०-७१ के दौरान पूर्वी जिलों, पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखंड सम्भागों पर किये जाने वाले व्यय का पूर्वानुमान क्रमशः ५९ करोड़ ९२ लाख रुपये, १५ करोड़ ४ लाख रुपये और ८ करोड़ ८५ लाख रु० लगाया गया है। वर्ष १९७१–७२ में इन सम्भागों पर क्रमशः ६७ करोड़ ९५ लाख रुपये, १५ करोड़ ५५ लाख रु० और १० करोड़ ३५ लाख रु० का परिव्यय करने का विचार है।

पिछले वित्तीय वर्ष में तीन विकास निगमों अर्थात् पर्वतीय विकास निगम, पूर्वांचल विकास निगम और बुन्देलखंड विकास निगम को पंजीबद्ध किया गया है। इनमें से प्रत्येक विकास निगम के पास २ करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी होगी। इन विकास निगमों का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों के निवासियों के चतुर्दिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संसाधनों एवं विधियों को इस्तेमाल करके इन क्षेत्रों में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाय। इन निगमों का उद्देश्य परिवहन के साधनों का प्रसार करना, कृषि उत्पादन और औद्योगिक माल के क्रय-विक्रय की व्यवस्था करना, पेय जल की समुचित व्यवस्था करना, छोटी व भारी मशीनों और कच्चे माल का प्रबन्ध करना, बेरोजगारों के लिये रोजगार के सुअवसर की व्यवस्था करना और उद्यान कर्म, मत्स्य क्षेत्र, कुक्कुट पालन, मधु-मक्खी पालन आदि के विकास की व्यवस्था करना भी है। इन विकास निगमों ने कार्य करना अभी प्रारम्भ ही किया है और यह आशा की जाती है कि उनके अग्रसर हो जाने पर इन संभागों का चतुर्दिक विकास सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा। इन निगमों की कार्य-प्राथमिकताओं के संबंध में माननीय सदस्यों के सुझाव बहुत लाभप्रद होंगे।

दैवी आपदायें

पिछले वर्ष इस राज्य के ३१ जिलों में बाढ़ आने तथा जल मग्न होने के कारण उन पर बुरा असर पड़ा । २१ जिलों में व्यापक रूप से हानि हुई थी । अलकनन्दा नदी में अभूतपूर्व बाढ़ें आई थीं जिनसे चमोली और गढ़वाल जिलों में भारी नुकसान हुआ था । प्रभावित जिलों की जनता ने प्रकृति की इस विनाश लीला का साहसपूर्वक सामना किया और सरकार ने यथासंभव सहायता दी । बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मुख्यतया उर्वरक और बीज खरीदने के लिये अतिरिक्त तकावी संवितरित करने के निमित्त अनुपूरक अनुमानों के माध्यम से १२ करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था की गई । निःशुल्क सहायता, भवन निर्माण राज सहायता तथा विपत्ति तकावी (डिस्ट्रेस-तकावी) के लिये ५ करोड़ ५० लाख रु० से अधिक निधियां नियत की गईं । लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर गृह-निर्माण राज सहायता की अधिकतम सीमा भी समुचित रूप से बढ़ा दी गई।

दुर्भाग्यवश इस वर्ष गर्मी के मौसम में भी असामयिक वर्षा हुई, ओले पड़े और तेज आंधी आई जिनसे रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा । किसानों की परेशानी को समझकर सरकार ने देय धनराशियों की वसूली स्थगित कर दी और जहां आवश्यक समझा गया अन्य सहायता भी स्वीकृत की गई । यह भी निर्णय लिया गया है कि गेहूं को बारिश से क्षति पहुंचने के कारण उपयुक्त मामलों में बीज के रूप में लिये हुए गल्ले की वसूली न दी में की जाय और ऐसा करने में 'क्वालिटी मार्जिन' तथा प्रीमियम न लिया जाय । इस वर्ष की दैवी आपदा की क्षति के संबंध में भारत सरकार से ६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिये अनुरोध किया गया है । अभी हाल ही में देवरिया, बहराइच, चमोली, पिथौरागढ़ व प्रदेश के अन्य कई जिलों में अप्रत्याशित बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की भरसक सहायता कर रही है । छितौनी बांध योजना का पुनरीक्षण भी भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये गये हैं ।

रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बदायूं जिलों में लघु कृषक विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। मथुरा और बलिया जिलों के चुने हुए क्षेत्रों में २ १/२ एकड़ या इससे कम जोत वाले किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये योजनायें शुरू की गई हैं ।

एक दूसरी विशेष योजना अर्थात् बागनी खेती (ड्राई फार्मिग) योजना शुरू की गई । कार्य क्रम पहले झांसी जिले में प्रारम्भ किया गया और इसका प्रसार गाजीपुर जिले में भी प्रस्तावित है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों की विशेष समस्याओं का मुकाबिला करने के लिए वर्ष १९७०-७१ से एक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम में उत्पादन के अभिनवीकरण और श्रम-प्रधान कार्यों को सम्मिलित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा, जालौन और हमीरपुर जिलों को चुना गया है ।

कृषि महाविद्यालय, कानपुर को जिसे १९६९ में प्रोन्नत करके कृषि विज्ञान संस्थान का स्तर प्रदान किया गया है, पुनर्संगठित किया जा रहा है । इस संस्थान द्वारा कृषि शिक्षा में सुधार किया जायेगा तथा कृषि संबंधी शोध का एकीकरण किया जा सकेगा । भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस संस्थान को क्रमोन्नत करके विश्वविद्यालय बना दे । यह प्रस्तावित विद्यालय पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखंड डिवीजनों की कृषि शोध एवं प्रसार-सेवा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को उर्वरक, बीज, औजार और कृषि संबंधी अन्य सामग्रियां खरीदने के निमित्त तकावी ऋण दिये जा रहे हैं । वर्ष १९६३-६४ से १९७०-७१ तक के दौरान किसानों को लगभग १०२ करोड़ रु० के तकावी ऋण बांटे गये थे ।

खाद्य उत्पादन का स्तर जो १९६८-६९ में १६० लाख ४१ हजार मीटरिक टन था १९६९-७० में बढ़कर १७३ लाख ४१ हजार मीट्रिक टन हो गया । यह अनुमान लगाया गया है कि आधारिक वर्ष के १६८ लाख मीट्रिक टन उत्पादन के स्तर की तुलना में पिछले वर्ष १४ लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के सम्भाव्य संसाधन सृजित कर लिये गये हैं । वर्ष १९७१-७२ के लिये १९० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

कृषि उत्पादन और उसके उपयोग की दृष्टि से कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को एक महत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त है तथा उत्पादकों को सुनिश्चित रूप से उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में लगने वाले २५० मुख्य बाजारों में से ८४ बाजारों को विनियमित कर दिया गया है ।

इस समय फलों और सब्जियों की वार्षिक पैदावार का अनुमान क्रमश: ५०,००० मीट्रिक टन और १५,००० मीट्रिक टन लगाया गया है । प्रत्येक वर्ष इसमें ५,००० मीट्रिक टन की वृद्धि करने का विचार है । फलों और सब्जियों का निस्तारण सुविधाजनक ढग से करने के लिये एक क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) योजना कार्यान्वित की गई है, जिससे फलों और सब्जियों को श्रेणीबद्ध करने, उन्हें पैक करने, विभिन्न बाजारों के भाव एकत्र करने तथा सहकारी समितियां स्थापित करने में उत्पादकों को सहायता मिलेगी ।

सहकारिता

उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ने कृषि संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में उल्लेखनीय योगदान किया है और विशेषकर जिला सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से कृषकों को उर्वरकों, उन्नत किस्म के बीजों, ट्रैक्टरों, नलकूपों, पंपिंग सेटों की व्यवस्था करन तथा कुयें खोदने में बड़ी सहायता मिलती है ।

भूमि विकास बैंक ने लघु सिंचाई कार्यक्रम के अधीन ऋण वितरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है । वर्ष १९७० के अन्त तक उसकी १७५ शाखायें खोली गयीं थीं । वर्ष १९७१–७२ के दौरान लघु सिंचाई कार्यों के लिये भूमि विकास बैंकों द्वारा २८ करोड़ रुपये तक ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है । यह देखा गया है कि छोटे-छोटे किसानों को अपने लघु सिंचाई कार्यों के लिये कभी-कभी जमानत की कमी के कारण पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है । अत: इस संबंध में छोटे किसानों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने की दृष्टि से यह विचार किया जा रहा है कि उनकी परिसम्पत्तियों का (ऋण द्वारा सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों को मिलाकर) उपर्युक्त उच्चतर मूल्यांकन स्वीकार किया जाय ।

प्रदेशीय सहकारी डेरी फेडरेशन के नियंत्रण में मुरादाबाद जिले में दलपतपुर नामक स्थान पर एक शिशु आहार कारखाना (बेबी फूड फैक्टरी) चालू हो चुकी है ।

उद्योग

हमारा प्रदेश औद्योगिक विकास में काफी पिछड़ गया है। बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गयी है। इस बेरोजगारी को दूर करने तथा प्रदेश के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि बड़े तथा छोटे उद्योग धंधे अधिक मात्रा में लगाये जायें। ऐसा करने के लिये हमको बहुत सारी सुविधायें भी देनी पड़ेंगी जैसा कि अन्य प्रदेश कर रहे हैं। इस प्रदेश के ५४ जिलों में से ३६ जिले पिछड़े हुये घोषित किये जा चुके हैं। इन जिलों में रियायती दर पर वित्तीय तथा अन्य सुविधायें दी जा रही हैं। इसके साथ-साथ तकनीकी उद्यमकर्ताओं को बहुत थोड़ी मार्जिन पर ऋण भी उपलब्ध कराये जाने का प्रयत्न हो रहा है। बाकी जिलों में भी सुविधायें दी जा रही हैं और अब हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि इन सुविधाओं में क्या सुधार किया जाय ताकि अधिक से अधिक उद्योग प्रदेश में स्थापित हो सकें।

२—औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि सही इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाय—यानी भूमि, बिजली, पानी, सड़क, यातायात इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हों। सरकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम तथा अन्य निगमों के माध्यम से नये स्थानों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। औद्योगिक विकास, गाजियाबाद तथा अन्य कई शहरों में केन्द्रित हो रहा है। सरकार यह प्रयत्न करेगी कि पिछड़े हुए जिलों में भी उद्योग धंधे चालू हों। ऐसा करने के लिये सरकार यह विचार कर रही है कि कुछ दूसरे प्रदेशों की तरह यहां पर भी एक नया निगम स्थापित करे जो कि औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिये कार्य करें। ऐसी परियोजनायें जो सरकार के माध्यम से लगाई जायंगी उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि कुशल तथा उद्यमी कर्मचारी नियुक्त किये जायं। इसके लिए सरकार ऐसे सरकारी कर्मचारियों का एक संवर्ग बनाने पर विचार कर रही है जो उद्योग-धंधों को चलाने में कुशलता ग्रहण करके उन्हें अच्छे तरीके से चला सकें। यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन ने स्वयं या ज्वाइन्ट सेक्टर में बड़े उद्योग लगाने के लिये बहुत से आवेदन पत्र भारत सरकार को लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये भेजे हैं। इन्हें प्रिन्टिंग मशीन्स, स्कूटर, रेजर ब्लेड्स (Printing machines, scooter, razor blades) बनाने के लेटर्स आफ इन्टेन्ट प्राप्त हो चुके हैं। अन्य उद्योगों को लगाने के लिये भी शीघ्र और लेटस आफ इन्टेन्ट प्राप्त होने की आशा है। यह उल्लेखनीय है कि यू० पी० एस० आई० सी०, बैलाहपहार (U P, S.I.C., Belahpahar) के साथ मिल कर अल्मोड़ा जिले में मैगनेसाइट (magnesite) को इस्तेमाल करने के लिये २.१० करोड़ रुपये की लागत से एक फैक्टरी लग रही है, जिसके अप्रैल-जून, १९७२ तक चालू होने की आशा है।

३—औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिये यह भी आवश्यक है कि ऋण, भूमि, आवास, कच्चे माल, बिजली इत्यादि की सुविधायें तुरन्त ही प्राप्त हो सकें और सरकार उद्योगपतियों के आवेदन-पत्रों पर तुरन्त निर्णय ले सकें और उनकी आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा किया जा सके, ऐसा करने के लिए सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एक उच्चाधिकारी परामर्श समिति, जिसमें कुछ एनलाइटेन्ड (enlightend) उद्योगपति भी होंगे, बनाई जाये जो सरकार को औद्योगीकरण में उचित परामर्श दे सकेगी। इसके साथ ही साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की जाय जो अन्तर्विभागीय मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले सके।

४—प्रदेश ने अब तक जो प्रगति की है, उसका विवरण नीचे दिया है :

पिछले वित्तीय वर्ष (१९७०-७१) में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये और उनका परिणाम अच्छा निकला है। वर्ष १९७०-७१ में ५,३२५ लघु उद्योग इकाइयों, जो संख्या अब तक किसी भी वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है, उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हुईं और पंजीकृत इकाइयों की संख्या जो मार्च, १९७० के अन्त तक २३,०५८ थी बढ़ कर मार्च १९७१ में २८,३८३ हो गयी।

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष १९७०-७१ में राज्य ने १७ नये लाइसेंस तथा ५३ लेटर्स आफ इन्टेन्ट जिनका विनियोजन मूल्य क्रमशः २,४९८.५० तथा १०,८०० लाख रु० है, प्राप्त किये। इस अवधि में राज्य सरकार निजी क्षेत्र की कुछ बड़ी परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल हुई है, जिनमें से निम्नलिखित परियोजनाएं उल्लेखनीय हैं:—

कुल नियोजन	(करोड़ रुपयों में)
१—ट्रैक्टर परियोजना, प्रतापगढ़	७.७०
२—लाइट कामर्शियल वेहिकिल, रायबरेली	१२.८६
३—स्कूटर परियोजना, लखनऊ	१.५५
४—पोलिस्टर फाइबर परियोजना, गाजियाबाद	५.७५
योग, ..	२७.८६

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसके अतिरिक्त राज्य ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनायें प्राप्त की हैं :—

परियोजना	कुल विनियोजन (करोड़ रुपयों में)
१—हवाई जहाज के पुर्जे बनाने का कारखाना, लखनऊ	७.५०
२—टेलीफोन कारखाना, नैनी (इलाहाबाद)	५.००
३—भारत इलेक्ट्रोनिक्स का कारखाना, गाजियाबाद	१७.००
४—एलाय स्टील परियोजना, कानपुर	४०.००
५—गैस सिलेन्डर मन्यूफैक्चरिंग प्लांट	उपलब्ध नहीं ।

५—राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में, राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, डल्ला (मिर्जापुर) में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो गया है। सहकारी चीनी मिल औराई, जिला वाराणसी का निर्माण-कार्य तीव्रता से चल रहा है और शीघ्र ही मिल चलाने का प्रयत्न हो रहा है। अन्य तीन सहकारी चीनी मिलों का, जिनकी भारत सरकार ने हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद तथा रसड़ा, जिला बलिया में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

भूतत्व एवं खनिकर्म क्षेत्र में भी काफी प्रगति की गई है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, झांसी जिले के सोराई क्षेत्र में, तांबा खनिजीकरण के क्षेत्रों के अन्वेषण में भी लगा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य क्रम की सहायता से, जो सहायता २ १/२ वर्ष के लिये उपलब्ध होगी, यह कार्यक्रम आगे तीव्र किया जाना है। मूर्ति कला एवं भवन निर्माण में मिर्जापुर जिले के निम्बा संगमरमर की उपयोगिता के सम्बन्ध में औद्योगिक परीक्षण किये जा रहे हैं और वैराइट, लेड, पायारोफिलाइट, डायसपोर एवं अन्य खनिजों के आर्थिक निक्षेपों को प्राप्त करने हेतु अनुसंधान किये जा रहे हैं। राज्य में निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्ष १९७०–७१ में ४०.९१ करोड़ रु० के माल का निर्यात किया गया जब कि वर्ष १९६८–६९ में ३५.३१ करोड़ रु० का माल निर्यात किया गया था।

पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, विमुक्त जन-जातियों (डिनोटीफाइड ट्राइब्स) तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ की कल्याणकारी योजनायें पूर्ववत् संतोषजनक रूप से चल रही हैं। पिछड़े वर्गों की शैक्षिक उन्नति पर विशेष जोर दिया जा रहा है और केवल शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर लगभग ६ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है। इन वर्गों की आर्थिक उन्नति की योजनाओं के लिये इस बजट में २१ लाख ८१ हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसमें से ८ लाख ८८ हजार रुपये की धनराशि कुटीर उद्योगों और ८ लाख रुपये की धनराशि कृषि की उन्नति के लिये सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध करने हेतु सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने के लिए १० लाख ५७ हजार रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। २१ लाख ५० हजार रुपये की एक और धनराशि की व्यवस्था मकान बनाने के वास्ते अनुदान देने हेतु की गयी है।

चकराता (देहरादून) और खटीमा (नैनीताल) में चल रही विशेष क्षेत्र प्रायोजनाओं के तरीके पर अनुसूचित जन-जातियों के सर्वांगीण कल्याण के लिये दो और विशेष क्षेत्रप्रायोजनायें जौनसार तथा कालसी (देहरादून) में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि राज्य में अनुसूचित जन-जातियों के लिये सेवाओं पदों पर २ प्रतिशत का आरक्षण किया जाय और भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा में भी ५ वर्ष की छूट दी जाय। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा साक्षात्कार में उन्हें केवल एक तिहाई शुल्क देना होगा। राज्य के मेडिकल कालेजों में भर्ती के सम्बन्ध में भी अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये १ प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।

भूमिहीनों को भूमि प्रदिष्ट करने की समस्या पर पूर्ववत् समुचित ध्यान दिया जा रहा है। भूमि प्रदिष्ट करने के लिये १९७० में आयोजित आन्दोलन के अन्तर्गत दिसम्बर, १९७० तक ७ लाख ५४ हजार ६६.२ एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। जिसमें से लगभग ८० प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को दी गई। गांव सभा भूमि के अवध पट्टे भी जिनके अन्तर्गत १ लाख ९४ हजार ८२३ एकड़ क्षेत्र आता है, रद्द कर दिये गये, जिसमें से ९३ हजार ५४६ एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है।

समाज कल्याण

शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पोषण अवेक्षा गृह (फोस्टर केयर-होम) तथा बालिकाश्रम स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि कानपुर में श्रमजीवी महिलाओं के लिये एक होस्टल स्थापित किया जाय। अक्षम व्यक्तियों के लिये फर्रुखाबाद में गूंगों और बहरों का एक विद्यालय तथा इलाहाबाद में विकलांग व्यक्तियों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आवास-गृह युक्त कर्मशाला स्थापित किये गये हैं। लखनऊ में अन्धों के लिये एक आश्रित कर्मशाला और इलाहाबाद में मानसिक रूप से कम विकसित बच्चों के लिये एक विद्यालय भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्रम कल्याण

मजदूरों के काम करने और रहने की दशाओं में सुधार करने तथा राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाये रखने के लिये राज्य का उद्योग विभाग श्रम सम्बन्धी विभिन्न कानूनों को पूर्ववत् लागू कर रहा है। पिछले वर्ष के दौरान संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट के अधीन गठित संराधन संगठन के माध्यम से ९०० मामलों में आपसी समझौते कराये गये और १,५४१ मामले विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों को अधिनिर्णय के लिये भेजे गये। इन न्यायालयों ने १,३५९ मामलों में पंच निर्णय दिये।

श्रम संबंधी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिये यह विभाग त्रिदलीय विचार-विमर्श द्वारा मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके निर्णय लेने की प्रणाली को अपनाता रहा है। चीनी, चमड़ा, इंजीनियरिंग और बिजली उद्योगों के सम्बन्ध में गठित मजदूरी बोर्डों की सिफारिश इसी प्रकार के विचार-विमर्श के बाद लागू की गयीं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (मिनिमम वेजेज) ऐक्ट के अधीन तेल, चावल, दाल और आटे की मिलों में लगाये गये मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, ऊनी कम्बल तैयार करने के उद्योग में लगाये गये मजदूरों के सम्बन्ध में मजदूरी की दरें लागू की गयीं।

मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और उनमें विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये आवश्यक उत्साह उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष १९७१-७२ में उनके लिये दो शैक्षिक पर्यटन (टूर) आयोजित करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण सेवायोजन योजनायें

कृषि कार्य न होने की अवधि में ग्रामीण जनता के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७१-७२ के लिए ८९ लाख रुपये की धनराशि अलग रखी गयी है। ४०० किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पूरा करने का विचार है जिससे कि लगभग ९.६२ लाख कार्य-दिवसों के लिये अतिरिक्त कार्य पैदा हो जायगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

भारत सरकार ने मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, जालौन और हमीरपुर जिलों के सूखा वाले क्षेत्रों में अभाव की स्थिति को सुधारने के लिए १९७०–७१ से ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम लागू किया है। केन्द्रीय सरकार इन जिलों में चतुर्थ आयोजनावधि में स्थायी प्रकार के सिंचित निर्माण-कार्यों अर्थात् बड़े, मध्यम और लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों, भूमि संरक्षण, वनरोपण, सड़कों इत्यादि के निर्माण के लिए (२ करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से) १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी।

प्रारम्भ में, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले को चुना गया था। इस जिले में १३१.७६ लाख रु० की लागत की सिंचाई और सड़क योजनायें पहले ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं और १०४ लाख रुपये की लागत की सिंचाई योजनायें निकट भविष्य में स्वीकृत किये जाने की आशा है। अन्य जिलों की ब्योरेवार योजनायें तैयार की जा रही हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीणों को रोजगार दिलाने हेतु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित सत्वर योजनायें (क्रैश स्कीम) स्वीकृत की हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को लगभग २,०२५ लाख रुपये की धनराशि देगी जो १९७१–७४ की अवधि में श्रम-प्रधान योजनाओं, जैसे सड़कों, बांधों तथा नालियों आदि के उपयोग में लाई जायगी। इस अनुदान में श्रम और सामग्री का अनुपात ८० : २० होगा। सभी ५४ जिलों में ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के लिए सत्वर योजनायें भारत सरकार के पास भेज दी गयी हैं। यह प्रत्याशा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा योजनायें स्वीकृत कर दिये जाने पर चालू वर्ष में ५४,००० ग्रामवासियों को रोजगार मिल जायगा।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष २१० प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे। छात्राओं का प्रतिशत ६५ से बढ़ कर६७ करने के उद्देश्य से पिछले लक्ष्य के अलावा २,८८० अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गये। वर्ष १९७१-७२ में ३४५ प्राथमिक विद्यालय खोलने और १०,१२० अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने का विचार है। मिडिल स्तर पर शिक्षा का विकास करने के लिये १९७०-७१ में २२५ उच्च आधारिक विद्यालय खोले गये और १९७१-७२ में २७४ नये विद्यालय खोलने का विचार है।

माध्यमिक (सेकेन्डरी) स्तर पर गत वर्ष एक नया राजकीय उच्चविद्यालय (हाई स्कूल) प्रारम्भ किया गया और चालू वर्ष में दो नये उच्च विद्यालय खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड के तीन जिलों में से प्रत्येक में एक-एक नया उच्च विद्यालय खोला जायगा। उत्तराखंड में एक राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज भी खोला जायगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक राजकीय डिग्री कालेज, कोटद्वार में और एक पौड़ी में स्थापित करने का प्रस्ताव है। पिथौरागढ़ स्थित राजकीय डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी प्रारम्भ की जायेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विधेयक का प्रारूप तैयार हो रहा है। सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। प्राथमिक तथा अवर उच्च विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-मानों तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में वृद्धि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जा चुकी है। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, १९७१ से उसी दर से महंगाई-भत्ता स्वीकृत करने का विचार है जिस दर से वह सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। राजकीय डिग्री कालेजों के अध्यापकों का वेतन-मान भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की संस्तुतियों के अनुरूप करने का प्रस्ताव है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

सदन को ज्ञात है कि राज्य सरकार ने चतुर्थ आयोजना के दौरान नये मेडिकल कालेज खोलने की ओर विशेष ध्यान दिया है। झांसी और गोरखपुर में नये मेडिकल कालेज स्थापित किये जा रहे हैं। झांसी मेडिकल कालेज का भवन निर्माण-कार्य अभी पूरा न होने के कारण उस कालेज के ५० विद्यार्थी इस समय मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती किये गये हैं और जैसे ही भवन तयार हो जायंगे ये विद्यार्थी झांसी मेडिकल कालेज में भेज दिये जायंगे। गोरखपुर मेडिकल कालेज के भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है और यह आशा है कि उसमें चतुर्थ आयोजना अवधि के दौरान शिक्षण-कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

राज्य सरकार के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर विहीन चिकित्सालयों की संख्या में बराबर सुधार होता जा रहा है। जनवरी, १९६९ में ऐसे चिकित्सालयों की संख्या ५४४ थी लेकिन जुलाई, १९७१ में केवल १२ पुरुष चिकित्सालय और ४६ महिला चिकित्सालय डाक्टर-विहीन रह गये हैं। इन चिकित्सालयों में भी डाक्टरों को यथाशीघ्र भेजने की चेष्टा की जा रही है।

प्रदेश में रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजकीय चिकित्सालयों और औषधालयों में वर्ष १९७०–७१ के दौरान ५३० अतिरिक्त शैय्याओं की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त वित्तीय वर्ष में २ नये ग्रामीण एलोपैथिक औषधालय, ७ डेन्टल क्लीनिक, २ चिल्ड्रेन क्लीनिक तथा ८ जिला अस्पतालों में ब्लड बैंकों की स्थापना की गई है। देशबन्धु चितरंजनदास की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में इलाहाबाद मेडिकल कालेज से सम्बद्ध एक ५० शैय्याओं वाला चल चिकित्सालय स्थापित किया गया जिसका मुख्यालय हंडिया में है। इसकी स्थापना का एक उद्देश्य यह है कि डाक्टरों में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। इसी तरह का एक मोबाइल अस्पताल, लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वावधान में इस वर्ष खोला जायेगा। वर्ष १९७१–७२ में राजकीय चिकित्सालयों और औषधालयों में २०० अतिरिक्त शैय्याओं की सुविधा प्रदान करने की तथा ७ दन्त रुजालय, २ बाल रुजालय और ६ ब्लड बैंक खोलने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष १९७१–७२ में १५ एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त इस वर्ष कुछ ऐसे ग्रामीण महिला एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने का भी विचार है जिनके लिये उन क्षेत्रों में जनता अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दान स्वरूप भवन दिये जायेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिचर्या (नर्सिंग) डिग्री पाठ्यक्रम के लिए कानपुर में एक परिचर्या (नर्सिंग) कालेज स्थापित करने का विचार है। इसके अतिरिक्त मेरठ मेडिकल कालेज में फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए एक नया केन्द्र स्थापित करने का भी विचार है।

राज्य सरकार उपचार की आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक प्रणालियों के विकास की आवश्यकता के प्रति भी सजग है। १९७१–७२ के दौरान १५ आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय और ५ होमियोपैथिक औषधालय खोले गए थे। बजट वर्ष में २५ आयुर्वेदिक/यूनानी और १० होमियोपैथिक औषधालय स्थापित करने का विचार है। आयुर्वेदिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के विचार से सरकार ने गैर-सरकारी आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का निश्चय किया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए बजट में लगभग ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। हमें इस अत्यन्त महत्व के कार्यक्रम की प्रगति से पूरा सन्तोष नहीं है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जनसंख्या की भारी वृद्धि अगर होती रही तो किसी भी प्रकार की प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था क्यों न हो, गरीबी व बेकारी दूर न हो सकेगी। इसलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक सामाजिक लक्ष्यबद्ध आन्दोलन के रूप में प्रोत्साहित करना एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है।

पेय जल की सप्लाई और मल निकास प्रणाली (सीवरेज)

वर्ष १९६९–७० के अन्त तक १४६ नगर क्षेत्रों के शहरों और कस्बों में, ५२ ग्रामीण टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों और २,८८३ गांवों में पेय जल की सुविधायें प्रदान की गईं और ३९ नगरों/कस्बों में मल निकास प्रणाली/जल निकास सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वर्ष १९७०–७१ के दौरान ३ कस्बों तथा २२४ गांवों में जल सप्लाई योजनायें और २ नगरों में (एक में आंशिक रूप से) मल निकास प्रणाली पूरी की गई। नगर जल सप्लाई योजनाओं की प्रगति को तीव्र करने के लिए भारत जीवन बीमा निगम से भी कहा गया कि वह राज्य सरकार की गारन्टी पर १५ स्थानीय निकायों को ऋण सहायता दे। इस निगम ने २१५.७६ लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए, जिनमें से १६५.७६ लाख रुपये और ४० लाख रुपयों का आहरण क्रमशः मार्च, १९७१ तथा अप्रैल, १९७१ में किया गया तथा शेष धनराशि के भी ले लिये जाने की आशा है।

बजट वर्ष में जल सप्लाई और मल निकास प्रणाली का पूंजी परिव्यय ४५९ लाख ६० हजार रुपये है जिसमें से २१४ लाख ६० हजार रुपये का उपयोग शहरी जल सप्लाई और मल निकास योजनाओं के लिए और २४५ लाख रुपये का उपयोग ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के लिए किया जायगा। शहरी जल सप्लाई और मल निकास योजनाओं के लिए नियत २१४ लाख ६० हजार रुपये में १५ लाख रुपये की वह धनराशि भी सम्मिलित है जिसे ९,३७५ शौचालयों को फ्लश (पानी वाले) शौचालयों में परिवर्तित करने और उन्हें सीवर प्रणाली से जोड़ने के कार्यक्रम पर व्यय किये जाने का विचार है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि क्रमबद्ध कार्यक्रम सहित एक व्यापक योजना भी तैयार की जाय। ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के लिए नियत २४५ लाख रुपये में ५ पर्वतीय जिलों की जल सप्लाई योजनाओं के लिए ९० लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। वर्ष के दौरान ४ शहरी कस्बों और ४८३ गांवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने और ३ नगरों में मल निकास प्रणाली की सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आयोजना के लिए नियत धनराशि के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम से और ऋण लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अपेक्षित धन के अभाव में कार्यक्रम रुकने न पाए।

ये कार्यकलाप उत्तराखंड के कार्यक्रम के अलावा हैं जिसके अन्तर्गत ४२ लाख रुपये से अधिक लागत की पेय जल सप्लाई योजनायें १९७०–७१ में कार्यान्वित की गई थीं जिनसे ३४ गांवों को लाभ पहुंचा। इस वर्ष वहां ५५ लाख रुपये अधिक लागत की पेय जल सप्लाई योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है। जिनसे २९,६०० की जनसंख्या वाले गांवों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

सिंचाई

राज्य में २११ लाख ६५ हजार हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है, जिसमें से १४७ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही कृषि होती है। वर्ष १९७०–७१ के अन्त तक राजकीय सिंचाई निर्माण कार्यों से ५८ लाख ९ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किए जाने की सम्भावना है। यह अनुमान है कि बड़ी-मध्यम सिंचाई योजनाओं, मुख्यतः गंडक प्रायोजना, टोंस और नरायनपुर पम्प्ड नहरों से १ लाख ४३ हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। राजकीय लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों से मुख्यतः राजकीय नलकूपों और डाल (लिफ्ट) सिंचाई योजनाओं से १९७१–७२ में १ लाख ४१ हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होने की प्रत्याशा है। रामगंगा प्रायोजना के मुख्य बांध के प्रथम चरण का कार्य, जो प्रायोजना का सार्वाधिक कठिन

कार्य था, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब यह आशा की जाती है कि इसी आयोजना अवधि में रामगंगा बांध से सिंचाई-जल की सप्लाई उपलब्ध हो जाएगी। पूर्वी अंचल की गंडक नहर प्रायोजना पर वितरण प्रणाली के पूरा किए जाने के निमित्त समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जा रहा है। शारदा नहर प्रणाली से होने वाली सप्लाई में वृद्धि करने के लिए शारदा सहायक प्रायोजना के दो मुख्य बांधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्ष १९७१–७२ के दौरान ७४० नए नलकूपों का निर्माण और १५० नलकूपों की मरम्मत करने का विचार है। बुन्देलखंड, भावर और राज्य के अन्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहां भूमि का ऊपरी स्तर कड़ा है, नलकूपों की बोरिंग के लिए विशेष किस्म की ड्रिलिंग रिंग्स प्राप्त की गई है, जो १,००० फीट से अधिक गहराई तक भूमि का वेधन कर सकती है। बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में भूमि के नीचे के जल का उपयोग करने के लिए एक योजना बनायी गयी है। इस बात के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है कि राजकीय नलकूप कम लागत पर बनाये जायें और अधिक समय तक कार्य कर सकें। कृषकों को उनके खेतों के लिये पानी सप्लाई करने की वितरण प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है और भूमि के नीचे बनाई गई नालियों (लाइनों) का अधिक उपयोग किया जा रहा है।

लगभग २०० करोड़ की लागत वाले बहुप्रयोजनीय टेहरी बांध संबंधी प्राथमिक निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस प्रायोजना के पूरे होने पर १२०० मेगावाट बिजली उत्पन्न होने और ६ लाख ६७ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था होने की आशा है। केन्द्रीय स्वीकृति मिलने पर इस वर्ष लखवार बांध प्रायोजना पर भी निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने का विचार है। जिससे १५० मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और पूर्वी यमुना नहर से अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी। राजघाट योजना के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श किया जायेगा।

वर्ष १९७१–७२ के दौरान बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के संबंध में बजट में २०६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। ऐसी सम्भावना है कि इन योजनाओं के लागू हो जाने पर लगभग ६,००० हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकेगा।

वर्ष १९७१–७२ के दौरान निजी लघु सिंचाई निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ४५,००० पक्के कुओं, १,००,००० बोरिंग, ३०,००० रहटों, ३०,००० पम्पिंग सेटों और ४५,००० निजी नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विद्युत्

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में विद्युत विकास के लिए ३७५ करोड़ रुपये के कुल प्राविधान के अन्तर्गत १९७१–७२ में ७९.७७ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। गत वर्ष १९७०–७१ में प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता (Installed Capacity) १३६८ मेगावाट से बढ़कर १४३४ मेगावाट हो गई तथा इस समय यह क्षमता १५२२ मेगावाट है। इस वर्ष (१९७१–७२) के अन्त तक हमारा लक्ष्य १७२७ मेगावाट उत्पादन का है। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में १९७०–७१ में ३,३८३ ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ। सामान की भारी कमी होने पर भी २४,६४४ नलकूपों व पम्पसेटों का विद्युतीकरण किया जा सका। वर्ष १९७१–७२ में २,००० ग्रामों और ५०,००० निजी नलकूपों व पम्पसेटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

अतिरिक्त बिजली की मांग को तुरन्त पूरा करने के लिए कुछ वाष्प विद्युत् गृहों के निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है। प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्युत् परिषद् में एक सर्वेक्षण खण्ड भी बनाया जाएगा जो ऐसी प्रायोजनाओं, जो कम से कम समय में कार्यान्वित की जा सकती हैं, का सर्वेक्षण व्यावहारिकता तथा उपयोगिता की दृष्टि से करेगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उत्तर प्रदेश में एक आणविक (एटामिक) विद्युत् केन्द्र की स्थापना का प्रश्न बहुत दिनों से विचाराधीन रहा है और अब आशा है कि एटामिक एनर्जी कमीशन व भारत सरकार इस राज्य में उसकी स्थापना के लिए सहमत हो जायेगी।

शासन ने विद्युत् कर्मचारियों की एक लम्बे अर्से से विचाराधीन समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से प्रयास किया है। विद्युत् परिषद् ने केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अनुशंसाओं को लागू करने का निश्चय किया है। इससे लगभग ३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार पड़ने का अनुमान है। यह भी निश्चय किया गया है कि ये परिलब्धियां पूर्वगामी प्रभाव से बढ़ायी जावें। इस निर्णय से बोर्ड पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ जायेगा। इस प्रकार पुनरीक्षित वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अधीन वर्कमैन की परिभाषा में आते हैं और जो ८५० रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाते हैं। केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने विद्युत उद्योग के रेगुलर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी १४८ रुपये प्रतिमाह निश्चित की है, जिसमें ५५ रुपये वेतन, ८५ रुपये महंगाई-भत्ता और ८ रुपये मकान किराया भत्ता प्रति माह शामिल है।

बहुत दिनों से राज्य विद्युत् परिषद् के सामने कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने तथा पुरानी खरीदी गई बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा निरन्तरता (Conti uity) बनाये रखने का प्रश्न शासन के सामने रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को, जिन्होंने ३ वर्ष की लगातार सेवा की है और जिनका कार्य तथा आचरण इस अवधि में सन्तोषजनक रहा है और वे न्यूनतम अर्हता रखते हैं, नियमित कर दिया जायगा। इसी प्रकार से पुरानी खरीदी गई बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों की पुरानी सेवाओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि वेतन वृद्धि, छटनी, क्षति-पूर्ति तथा ग्रेच्यूटी के संबंध में पुरानी सेवा का लाभ दिया जाएगा। देश भर में अभी तक किसी भी अन्य विद्युत बोर्ड द्वारा ऐसे कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ नहीं दिया गया है। राज्य विद्युत परिषद् ने इन दोनों निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही करना भी आरम्भ कर दिया है।

आवास व्यवस्था

औद्योगिक मजदूरों के लिए राज्य सहायता प्राप्त आवास व्यवस्था की योजना संतोषजनक ढंग से चल रही है। चालू वर्ष में इस योजना के लिए ७० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और यह अनुमान है कि इस वर्ष १,१२० घरों का निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा।

श्रमिक क्षेत्रों में बस्तियों की सफाई और सुधार तथा गन्दी बस्तियों में रहने वालों के वास्ते नए घरों के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों तथा आवास एवं विकास परिषद् को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष इन कार्यों के लिए ११ लाख ७५ हजार रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

चालू वर्ष में ५० लाख रुपये की धनराशि निम्न आय वर्ग के लोगों, तथा ४० लाख रुपये की धनराशि मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए गृह निर्माण की योजना के हेतु सम्मिलित की गई है। भूमि अधिग्रहण तथा विकास योजनाओं के लिए पिछले वर्ष स्थानीय निकायों तथा आवास परिषद् को कुल एक करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे और चालू वर्ष के लिए भी इतनी ही धनराशि की व्यवस्था की गई है। जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने और सहकारी आवास समितियों के माध्यम से उनका वितरण करने के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए १९६९ में एक सहकारी आवास संघ (कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन) की स्थापना की गई थी। निगम द्वारा इस संघ को १ करोड़ २० लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

संचार

स्वतंत्रता से पूर्व इस राज्य में १५,११३ किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। पंचवर्षीय आयोजनाओं में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप मार्च, १९६९ में अर्थात् चौथी पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ होने से पूर्व राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई बढ़ कर लगभग २९,२०० किलोमीटर हो गयी थी। यह अनुमान किया जाता है कि मार्च, १९७१ में राज्य में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई लगभग २९,९८१ किलोमीटर हो गयी।

वर्ष १९७१-७२ के दौरान अधिकांश व्यय स्वीकृत निर्माण-कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा। इस वर्ष आयोजनागत योजनाओं के अधीन २४५ किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण, जिनमें १२० किलोमीटर ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, ३३५ किलोमीटर वर्तमान सड़कों का सुधार तथा पुनर्निर्माण और १५ नये पुलों का निर्माण का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश पुल निगम की स्थापना भी इस वर्ष की जायगी ताकि संस्थागत वित्तीय साधनों से इस निगम द्वारा विभागीय बजट से निर्मित होने वाले पुलों के अतिरिक्त अन्य पुलों का निर्माण सम्भव हो सके।

विविध विषय

राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य करने वाले स्वेच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए धन की व्यवस्था पहले पहल पिछले वर्ष के बजट में की गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा संभागीय भाषा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश से कुछ अध्यापकों को इन केन्द्रों में दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखने के उद्देश्य से भेजने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के बजट में ४०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

समस्त सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की घोषित नीति के पश्चात् राज्य सरकार अब इस बात को सुनिश्चित करने का निरन्तर प्रयास कर रही है कि न्यायालयों की समस्त कार्यवाही, निर्णयों आदि में भी हिन्दी का प्रयोग पूर्ण रूप से प्राधिकृत कर दिया जाये। पिछले वर्ष राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति प्राप्त करके राज्य सरकार के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय, (हाई कोर्ट) इलाहाबाद के सभी निर्णयों, डिक्रियों तथा आदेशों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का वैकल्पिक रूप से प्रयोग प्राधिकृत कर दिया गया था। राज्य सरकार अब इस बात को सुनिश्चित करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि उच्च न्यायालय की जिन कार्यवाहियों में अब तक हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है उनमें संविधान के अनुच्छेद ३४८ (२) के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति प्राप्त करके हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग प्राधिकृत कर दिया जाय।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, १९७० के अधीन आदेश दे दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों में २,००० रुपये तक के धन की वसूली से संबंधित मुकदमों में और फौजदारी के ऐसे मुकदमों में जिनमें १ वर्ष तक की जेल की सजा दी जा सकती हो, निर्णय, डिक्री तथा आदेश २ अक्तूबर, १९७० से केवल देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी में लिखे जांय। निर्णय आदि हिन्दी में लिखने में सुविधा हो इस दृष्टि से एक "विधि शब्द कोष" भी प्रकाशित किया गया है। इस वर्ष इस बात का प्रयास किया जायेगा कि फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में उक्त सीमा और आगे बढ़ायी जाय जिससे कि निकट भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों में केवल वाद-प्रतिवाद संबंधी दैनिक कार्यवाहियों के साथ-साथ सभी निर्णयों, डिक्रियों तथा आदेशों की भाषा हिन्दी बनायी जा सके।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

राज्य के ऐसे कानूनों का, जो मूल रूप से अंग्रेजी में पारित हुए थे, पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी में अनुवाद कराया जा रहा है। इन अधिनियमों में से कुछ का प्राधिकृत हिन्दी पाठ सरकारी गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। इस वर्ष इस बात का प्रयास किया जायेगा कि शेष अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ भी यथासम्भव शीघ्र गजट में प्रकाशित कर दिये जायं।

सभी विभागों को कड़े आदेश दिये गये हैं कि फाइलों में टीपें व आज्ञायें हिन्दी में दी जायें तथा समस्त अन्तर्विभागीय व अन्तर्जिला पत्र-व्यवहार भी हिन्दी में ही हो।

सरकार लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के प्रति पूर्णतया जागरूक है। अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करने के लिए इस समय दो पूर्णकालिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के दौरान ३१ जनवरी, १९७१ तक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) को १६ मामले भेजे गये थे। इस अवधि के दौरान न्यायाधिकरण ने २७ मामलों में जिनमें ३४ अधिकारी कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे अपने निष्कर्ष और अपनी सिफारिश भेजीं। इनमें से १२ अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े दण्ड दिये जाने और १५ अधिकारियों/कर्मचारियों को हल्के दण्ड दिये जाने और ६ अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषमुक्त किये जाने की सिफारिश की गयी तथा एक को हल्का दण्ड देकर अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त (रिटायर) कर दिये जाने की सिफारिश की गयी। ऊपर लिखित अवधि के दौरान सतर्कता अधिष्ठान से यह कहा गया कि वह ११८ मामलों में खुली जांच करें। इस अधिष्ठान ने इसी अवधि के दौरान ५७ जांच कार्य पूरे किये और उसने कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें अधिकारी/कर्मचारी दोषमुक्त किये गये, हल्के दण्ड से लेकर पदच्युति तक की विभिन्न सिफारिशें कीं। १ फरवरी, १९७१ को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के विचाराधीन ४० मामले थे और सतर्कता अधिष्ठान के विचाराधीन २२९ मामले थे।

सरकार अपने सभी कर्मचारियों की समस्याओं के समयोचित व तत्परतापूर्ण समाधान के प्रति जागरूक रहना अपना कर्त्तव्य समझती है। कुछ वर्ष पहले नियुक्त "पेरैशनलाइजेशन कमेटी" द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों से कर्मचारियों के अनेक वर्ग संतुष्ट नहीं थे। स्वायत्त शासकीय कर्मचारियों को भी अपने वेतन मानों से संतोष नहीं था। मंहगाई भत्ते संबंधी मांग भी एक अर्से से चली आ रही है। इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से पर यथाशीघ्र गहराई से विचार कर संस्तुति देने के लिए एक वेतन आयोग का गठन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिये १० रुपये प्रति माह तथा स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त संस्थाओं आदि कर्मचारियों के लिये ८ रुपये प्रति माह की अन्तरिम सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। वेतन आयोग की इस प्रसंग में अन्तरिम अनुशंसायें होने की दशा में शासन उन पर विचार करेगा। १९६६ की हड़ताल के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया था, उन्हें सेवा में फिर से लिये जाने की मांग बराबर की जाती रही। इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरकार ने बहुधिक कर्मचारियों को सेवा में फिर से रख लिया है और यह आशा की जाती है कि इस कार्यवाही से सर्वत्र सद्भावना उत्पन्न हुई है। सरकारी कर्मचारी आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित सभी श्रेणियों के मकानों का किराया अब तक उनमें रहने वालों से लिया जाता था, अब यह निश्चय किया गया है कि ऐसे मकानों का किराया उन चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों से नहीं लिया जायेगा जो ५५–७५ रुपये या ६०–८० रुपये के वेतनमान में या तद्नुसार पुराने वेतन मान में वेतन पा रहे हों। बढ़ती हुयी कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले ऋण की वित्तीय सीमा बढ़ा दी जाय।

१९७१–७२ के लिये बजट अनुदान

इस वर्ष कुल राजस्व प्राप्तियां ४९४ करोड़ ५ लाख रुपये व कुल पूंजी प्राप्तियां १०० करोड़ ८ लाख रुपये अनुमानित हैं। उपर्युक्त राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से अनुदानों के

रूप में मिलने वाली ५६ करोड़ १० लाख रुपये की धनराशि (३१ करोड़ ५६ लाख रुपये आयोजनागत योजनाओं के लिये, २० करोड़ २२ लाख रुपये केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के लिये तथा ४ करोड़ ३२ लाख रुपये आयोजनेतर योजनाओं के लिये) भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार राजस्व व पूंजी प्राप्तियों को मिलाकर कुल प्राप्तियां ५९४ करोड़ १३ लाख रुपये होंगी।

समानान्तरतः, कुल राजस्व व्यय ४५९ करोड़ ४७ लाख रुपये व पूंजी व्यय १८३ करोड़ ४६ लाख रुपये अनुमानित हैं। अनुमानित राजस्व व्यय में ४७ करोड़ २४ लाख रुपये आयोजनागत योजनाओं पर व्यय के लिये सम्मिलित हैं। पूंजी व्यय के १८३ करोड़ ४६ लाख रुपये के अनुमान में आयोजनागत योजनाओं के लिये १५६ करोड़ ४३ लाख रुपये, केन्द्रीय पुरो-निधानित योजनाओं के लिए, १ करोड़ २३ लाख रुपये और आयोजनेतर व्यय के लिए शेष २५ करोड़ ८० लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित हैं।

तदनुसार कुल व्यय ६४२ करोड़ ९३ लाख रुपये अनुमानित है। इस प्रकार, वर्ष में ४८ करोड़ ८० लाख रुपये का घाटा अनुमानित हैं, जिसे अतिरिक्त संसाधनों से पूरा करना होगा।

अतिरिक्त संसाधन

आयोजना आयोग ने नवम्बर, १९७० में इस राज्य की १९७१–७२ की वार्षिक आयोजना पर राज्य के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके इसका परिव्यय २०९ करोड़ १५ लाख रुपये निर्धारित किया था जिसके लिये १०५ करोड़ २० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता निश्चित की गयी थी। १०३ करोड़ ९५ लाख रुपये राज्य के अपने संसाधनों से एकत्रित हो जाने की आशा थी। वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल एवं पिछड़े राज्य के लिए २०९ करोड़ १५ लाख रुपये का परिव्यय बहुत कम है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम आवश्यकतानुसार परिव्यय बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी अपरिहार्य मदें हमारे सामने आयीं जिस वजह से हमें इसे बढ़ाकर २१९ करोड़ ६० लाख रुपये कर देना पड़ा। इस बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप हमें और अधिक संसाधन जुटाने के प्रयास करने पड़ेंगे।

सरकार को इस वर्ष सवा ६ एकड़ तक जोतों का लगान माफ कर देने से १३ करोड़ रुपये, और वृत्ति व्यवसाय, आजीविका एवं सेवायोजन कर की समाप्ति से २ करोड़ रुपये की हानि होगी। दूसरी ओर अध्यापकों के वेतन का बैंकों द्वारा भुगतान से २ करोड़ रुपये, प्राइमरी तथा सेकेण्डरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन और मंहगाई भत्ते मे वृद्धि करने से २ करोड़ २५ लाख रुपये तथा राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं अध्यापकों और शैक्षिक संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने से १२ करोड़ ५० लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय का दायित्व उठाना पड़ेगा। इस प्रकार, इन कारणों से इस वर्ष राज्य सरकार के संसाधनों में ३१ करोड़ ७५ लाख रुपये की कमी होने का अनुमान है। सरकार इस कमी को पूरा करने के उपायों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। उसने, आयोजना आयोग को यह सुझाव दिया था कि इस वर्ष उसे २३ करोड़ रुपये के तथा राज्य विद्युत् परिषद् को १० करोड़ रुपये के स्थूल बाजार ऋण लेने की स्वीकृति दे दी जाय परन्तु अभी तक आयोग ने क्रमशः १७ करोड़ २० लाख तथा ५ करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की सहमति प्रकट की है। राज्य सरकार इस सीमा को बढ़वाने का प्रयास कर रही है। सरकारी देय बकायों की वसूली तथा कर वंचना को यथासम्भव कम करके तथा आय के अन्य स्रोतों द्वारा संसाधन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य सरकार आयोजनेतर व्यय में मितव्ययिता करके भी कुछ धन बचाने का प्रयास करेगी। इन सब प्रयासों से भी कोई खास रकम मिलने की सम्भावना नहीं है और संसाधन की जितनी कमी का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उसका बहुत बड़ा अंश पूरा होने से रह जायगा। इस घाटे को जहां तक हो सके पूरा करने के लिये अति-रिक्त संसाधन एकत्रित करना अपरिहार्य है। सरकार स्वयं कुछ उपायों पर विचार कर रही है। परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर सारे सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे भी करारोपण संबंधी अपने-अपने सुझाव सदन के समक्ष रखें, जिससे जनता पर, विशेषतः निम्न आर्थिक वर्गों पर कर का बोझ कम से कम हो और साथ ही साथ राज्य के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त धन एकत्रित किया जा सके।

संस्थागत वित

अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दिशा में पूंजी व्ययों के लिये संस्थागत वित्त का विशेष महत्व है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से इस विषय पर थोड़े विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि देश की सभी श्रेणियों की वित्तीय संस्थाएं उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक धन लगायें। इस काम में तेजी लाने के लिये सरकार ने हाल ही में वित्त विभाग के अन्तर्गत एक संस्थागत वित्त विभाग की स्थापना की है। इसकी देख-रेख एक पूर्णकालिक विशेष सचिव के अधीन कर दी गई है।

एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन नामक केन्द्रीय वित्त संस्था कृषि, सहकारिता व लघु-सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र में वित्त पोषण कर महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रदेश के भूमि विकास बैंक द्वारा एकत्र भूमि-बन्धक ऋण-पूंजी के पीछे इसकी वित्तीय शक्ति रहती है। सरकार के प्रयत्नों से इसका रीजनल कार्यालय अब उत्तर प्रदेश में खुल गया है। छोटी सिंचाई की १४ योजनायें, जिनके लिये एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन ने ५ करोड़ ७२ लाख रुपये स्वीकृत किये थे, पूरी की जा चुकी है और लघु सिंचाई की १३ नई योजनाओं और गोदाम-निर्माण की एक योजना पर उक्त कारपोरेशन से १२ करोड़ ६६ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा ५९ करोड़ ६६ लाख रुपये की अनुमानित लागत की ४३ लघु सिंचाई की योजनाएं और एक अंगूर की खेती की योजना उक्त कारपोरेशन को ३० जून, १९७१ तक भेजी जा चुकी है। लघु सिंचाई की और कई योजनाएं और पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की एक योजना एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कारपोरेशन से वित्तीय पोषण प्राप्त करने के लिये लगभग तैयार है।

राज्य विद्युत परिषद् ने गांवों में बिजली लगाने के लिये एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन से १९६ लाख रुपये का ऋण पाया है। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से परिषद् को बजट-वर्ष में १२ करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण पाने की आशा है। इस महत्वपूर्ण कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री रुद्रमूर्ति हाल ही में लखनऊ आये थे और वह अपना रीजनल कार्यालय लखनऊ में खोलने को सहमत हो गये हैं। ३१ मार्च, १९७१ तक राज्य विद्युत परिषद् ने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन को २,७८१ लाख रुपये के परिव्यय की ४३ योजनायें भेजी थीं। उनमें से ६९९ लाख रुपये की अनुमानित लागत की १३ योजनायें अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं।

राज्य विद्युत परिषद् उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाओं पर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया से १८ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है और पी० एल० ४८० के अन्तर्गत वित्तीय पोषण पाने के उद्देश्य से १८६ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की योजनाएं बन रही हैं।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन से कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी, लखनऊ को २४० लाख रुपये का ऋण प्राप्त होगा जिससे लखनऊ जिले का विद्युतीकरण होगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ को सहकारी आवास समितियों में वितरित करने के लिये १२० लाख रुपये का ऋण लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन से स्वीकृत हो चुका है। उत्तर प्रदेश आवास तथा विकास बोर्ड ने भारत सरकार के आवास निगम से मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिये १९३ लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय की योजनाएं तैयार की हैं। इसके अलावा उक्त निगम को "रिवाल्विंग फण्ड स्कीम" अन्तर्गत पंच महानगरों की नगर महा-

पालिकाओं की और गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनायें भी उक्त कारपोरेशन को प्रस्तुत की गयी हैं। इनका कुल अनुमानित परिव्यय २,७४४ लाख रुपये है।

जीवनबीमा निगम के अध्यक्ष से पिछले जून में विचार-विमर्श करने के उपरान्त हमें आशा हुई है कि निगम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को अपने ६५ लाख रुपये के बाजार ऋण के अंशदान के अलावा लगभग ८ करोड़ रुपये का बंधक ऋण भी दे सकेगा। यह भी आशा है कि जीवन बीमा निगम उत्तर प्रदेश निवास तथा विकास बोर्ड को एक गृह निर्माण योजना के लिये २ करोड़ रुपये और गाजियाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को १ करोड़ रुपये की धनराशियां उपलब्ध करायेगा। राज्य के कुछ बड़े नगरों में निगम के अपने पालिसी होल्डरों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के लिये बम्बई की बोरीवाली टाउनशिप के नमूने की बस्ती के निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है और आवश्यकता होने पर उसके लिये राज्य सरकार महाराष्ट्र अपार्टमेन्ट ओनरशिप ऐक्ट, १९७० जैसा विधान बनाने का विचार है।

१९७०-७१ में उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन ने इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया से ११० लाख रुपये तक की पुनर्वित्त संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाया है। इस वर्ष का लक्ष्य २०० लाख रुपये की सुविधाएं लेने का है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, बैंकिंग की मौजूदा प्रणाली और प्रक्रियाओं पर विचार करने और उनमें आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक बैंकिंग कमीशन का गठन किया है। यह कमीशन पिछले ७ और ८ जून को लखनऊ आया था। उस समय राज्य सरकार की ओर से कमीशन के समक्ष प्रदेश की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिये गये थे। अपने अनेक सुझावों में हमने इस पर भी जोर दिया था कि बैंकों की कार्य-प्रणाली उदार और युक्तिसंगत हो और उनकी स्थानीय शाखाओं को कृषि तथा दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण आदि के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया जाय। बैंकों के कृषि क्षेत्र तथा दूसरे प्राथमिकता क्षेत्रों से सम्बन्धित काम को सुगम बनाने के लिये हमने यह व्यवस्था भी स्वीकार की कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों को बैंकों में आवश्यकतानुसार डेपूटेशन पर भेजा करे।

बैंकिंग कमीशन के सामने राज्य सरकार की ओर से क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने की आवश्यकता पर भी काफी जोर दिया गया और उनका ध्यान इस अवांछनीय स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया कि हमारे राज्य में वाणिज्यिक बैंकों में जितनी रकम जमा होती है उसके अनुपात से बैंकों द्वारा ऋण आदि के रूप में दी जाने वाली रकम, राष्ट्रीय अनुपात को देखते हुए बहुत कम है। औद्योगिक उपक्रमों के पूंजी हिस्से (शेयर केपिटल) में भाग लेने के उद्देश्य से राष्ट्रीकृत और वाणिज्यिक बैंकों को सहायता देने के लिये बैंकिंग कमीशन को यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य में एक सुदृढ़ स्टाक-एक्सचेंज संगठित किया जाना चाहिये।

पिछले जून में पंजाब नेशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद हमें आशा होती है कि अब राज्य विद्युत् परिषद् और राज्य कृषि उद्योग निगम की कई स्कीमों पर और मेरठ की सहकारी बुग्धशाला विकास योजना के लिये पंजाब नेशनल बैंक से काफी ऋण मिल सकेगा। उसी प्रकार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया चालू वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं पर राज्य में लगभग ५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि लगायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम ने ट्रैक्टरों, फुटकर पुर्जों और उर्वरकों का कारोबार करने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया से ५ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है।

राज्य में विभिन्न जिलों के लिये अग्रणी बैंकों (लीड बैंक्स) के रूप में विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंकों को नियुक्त करने की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की योजना प्रदेश में लागू है। इस योजना के अनुसार इलाहाबाद बैंक को खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, जालौन, हमीरपुर, बांदा और मिर्जापुर का अग्रणी बैंक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार बैंक आफ बड़ोदा को नैनीताल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इलाहाबाद, फतेहपुर और कानपुर के अग्रणी बैंक के रूप में कार्य सौंपा गया है। बैंक आफ इण्डिया को बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद और मैनपुरी का अग्रणी बैंक नियुक्त किया गया है। कनारा बैंक को अलीगढ़, एटा और आगरा का, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को इटावा, देवरिया और बलिया का, सिन्डीकेट बैंक को मेरठ, मुरादाबाद और मथुरा का और यूनियन बैंक आफ इण्डिया को आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, और वाराणसी का अग्रणी बैंक नियुक्त किया गया है। देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, बदायूं और झांसी के लिये पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल, बस्ती और गोरखपुर के लिये अग्रणी बैंक स्टेट आफ इण्डिया को नियुक्त किया गया है। सभी संबंधित बैंकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने-अपने अग्रणी जिलों में सर्वेक्षण के अनुसार नई शाखायें खोलें व अपन विकास अधिकारी नियुक्त कर जिला शासन के सहयोग से समन्वित विनियोजन कार्यक्रम बना कर उन्हें परिचालित करें।

आशा की जाती है कि अग्रणी बैंकों द्वारा एकत्र सामग्री का संबद्ध विभाग संयुक्त रूप से जो अध्ययन करेंगे इसके फलस्वरूप वित्तीय नियोजन तथा विकास कार्य-क्रमों में भी काफी सहायता मिलेगी।

जिला प्राधिकारियों और जिले में कार्य करने वाले राष्ट्रीकृत/वाणिज्यिक बैंकों में समन्वय स्थापित करने और कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य सरकार ने जिला समन्वय समितियां गठित की ह। इन समितियों के चेयरमैन जिला मजिस्ट्रेट होते हैं और सदस्यों में बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

हमारे अनुरोध पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया व इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया के संचालक मंडलों की वार्षिक बैठक १९–२० जुलाई को पहली बार लखनऊ में होने जा रही है। इस प्रकार हमें शीघ्र ही रिजर्व बैंक के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन और इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया से सम्बन्धित समस्याओं पर तथा राज्य में बैंकों की नई शाखायें खोलने और यहां की बैंकिंग तथा अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी अन्य कई विषयों पर विचार-विमर्श का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने जा रहा है।

छोटी सिंचाई, जल-प्रबन्ध, फार्म यंत्रीकरण आदि की योजनाओं के लिये एक वृहत् प्रायोजना बनाकर विश्व बैंक (इंटरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन) से यर्याप्त ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी प्रायोजना की लागत ७६३२ लाख रुपये होगी। इसके अन्तर्गत २७२६ लाख रुपये की अनुमानित लागत की लघु सिंचाई योजनाएं और बीस हजार गैर-सरकारी नलकूपों के लिये पक्की नालियां बनवाने की १६५० लाख रुपये की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। इस प्रायोजना में उपकरण आदि के साथ १५,००० ट्रैक्टरों का आयात और ८ ड्रिलिंग रिग और १० बुलडोजरों का क्रय भी शामिल है। विश्व बैंक से विद्युत् व वन विकास योजनाओं के लिए भी ऋण -प्राप्ति का प्रयत्न किया जायेगा।

छोटी बचतें

सदन के सम्मानित सदस्य इससे अवगत हैं कि विकास के संसाधनों के प्रसंग में छोटी बचतों का बड़ा मूल्य है यहां पर जापान का उदाहरण देना उल्लेखनीय है जहां कि जापानी जनता, विशेषकर किसानों, मजदूरों ने औद्योगिक विकास में छोटी बचतों द्वारा बहुत हद तक वित्तीय योगदान दिया है। जापानी मजदूर, किसान व आम नागरिक की बचत करने की असाधारण रफ्तार जो कि तीव्रगामी विकास की भावना के कारण उत्पन्न हुई जापान की आश्चर्यजनक औद्योगिक मशीन के लिए निधियों की व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। पिछले वर्ष जापानियों ने अपनी आय का १९.४ प्रतिशत बचाया, जबकि संयक्त राज्य अमेरिका जैसे

देश में केवल ८ प्रतिशत की बचत दर असाधारण रूप से ऊंची समझी जाती है। भारी बचतें कर, उसे बचत बैंकों में जमा कर राष्ट्रीय विकास में लगाना जापानियों का शौक है।

हमारे देश में भी छोटी बचतों पर समय-समय पर जोर दिया जाता रहा है। यहां पर एक केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत संगठन है और राज्य स्तर पर एक राष्ट्रीय बचत निदेशालय है। यह कुछ संतोष का विषय है कि १९६८–६९ तथा १९६९–७० के दौरान कुल शुद्ध वसूलियों को देखते हुये, हमारा राज्य देश में प्रथम रहा। १९७०–७१ में वसूलियों के रूप में हमारी उपलब्धि का अनुमान २८ करोड़ २३ लाख रुपये (शुद्ध वसूलियां तथा व्याज) का लगाया जाता है, जबकि लक्ष्य २८ करोड़ ५० लाख रुपये का था। यदि वर्ष में नयी प्रतिभूतियां डाकखानों में और पहले उपलब्ध हो जातीं तो हम और ज्यादा धनराशि एकत्र करने में सफल हो सकते थे। इस तथ्य को इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे प्रदेश में छोटी बचतों के जरिये संसाधन जुटाने के कार्य को एक बड़े पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक कमाने वाले नागरिक परिवार से, शायद सदन के माननीय सदस्यों की सर्वसम्मति से, यह विनम्र पर मर्मस्पर्शी अपील करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि वे कृपया अपनी व प्रदेश की समुन्नति के लिये इस वर्ष अपनी छोटी से छोटी बचत को भी बचत बैंक या अन्य बैंकों में जमा कर विनियोजन के लिये उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने में योगदान करें।

बजट प्राप्तियां और व्यय के आंकड़ों का केवल संकलन मात्र नहीं है और वास्तव में यह सरकार की नीतियों एवं जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम तथा सुनियोजित ढंग से राज्य की उन्नति के लिये किये गये प्रयासों पर स्थूल रूप से प्रकाश डालता है। यह बात माननी पड़ेगी कि पिछले वर्षों के सुनियोजित विकास से, अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है जिसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में लोगों की आय अपेक्षाकृत बढ़ी है और लोगों को अधिक रोजगार मिला है। परन्तु हमारे सामने जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा स्वपोषी अर्थ व्यवस्था सृजित करने का बहुत बड़ा कार्य है और हमें सामयिक कठिनाइयों और बाधाओं की परवाह किये बिना निरन्तर प्रयास करते रहना है। निस्संदेश इसके लिये भी वर्गों के पूरे सहयोग की आवश्यकता है। श्रीमन्, मैं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनम्र अपील करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि वे कृपया राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस परम पुनीत कार्य में अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। आज हमारा राष्ट्र संकट की अभूतपूर्व घड़ियों में से गुजर रहा है। बंगला देश के स्वातंत्र-संग्राम व तत्प्रासंगिक घटनाओं ने देश की जनता को नई चुनौतियां दी हैं। राष्ट्रनेत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अभी हाल में ही लखनऊ में ही हमें देश को सावधान किया है कि हमें "नरक में से गुजरना" पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य प्राथमिकताओं के साथ-साथ नियोजित विकास संबंधी प्रयत्नों की अपरिहार्यता हमारे देश व प्रदेश के जन-जन के लिये उत्तरदायित्व की एक प्रेरणादायक कसौटी है। आज हमारे जन-जीवन को कवि के अमर शब्दों में एक ऐसे समन्वित व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जहां हममें से प्रत्येक नागरिक इस भावना से अनुप्राणित हो कि व्यक्ति की निजी आवश्यकतायें व राष्ट्र व प्रदेश की आवश्यकतायें एकात्मक हैं, अविच्छिन्न हैं तथा सहकर्तव्यशील हैं।

"हस्ती व अदम की अन्जुमन है मुझ में।
क्या जिक्रे चमन, कहे चमन है मुझ में,
करनों से रवां है जो रगे आलम में
वो खूने हयात मौअज्जन है मुझमें।"

"मैं स्वयं अपने व्यक्तित्व में अनादि एवं अनंत का दर्शन करता हूं, राष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र की आत्मा भी मुझमें व्याप्त है, सृष्टि की धमनियों में जो जीवन-रक्त युग-युगों से प्रवाहित हो रहा है, वही निर्माण रक्त मेरी शिराओं में निरंतर अमरत्व का संगीत गनगुना रहा है।"

श्री नारायणदत्त तिवारी]

अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री भरत नारायण को हार्दिक धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस बजट के तैयार करने में बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं वित्त विभाग के विशेष सचिव, श्री पी० सी० जैन तथा विशेष कार्याधिकारी, श्री एस० के० गोयल को भी धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट तैयार तथा संकलित करने के काम में सहायता दी। मैं भाषा तथा सूचना विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सहायता के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक, संयुक्त अधीक्षक तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, मैं १९७१–७२ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

१९७१–७२ के लिये द्वितीय लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, वर्ष का यह दूसरा लेखानुदान है। भारतीय संविधान में इस प्रकार के अनुदान प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद २०६ है। वह मैं आपके सामने श्रीमन् रख रहा हूं : —

.....(*a*) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure ;

X X X X X X

(2) The provisions of Articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any epxenditure mentioned in the annual financial statement.....”

श्रीमन्, आपके सामने आर्टिकिल २०३, २०४ भी होगा उसे भी आप पढ़ने की कृपा करें। इन सबकी मंशा यही है कि एक साल में एक ही एप्रोप्रिएशन बिल आ सकता है, दूसरा नहीं। अनुच्छेद २०६, २०३ और २०४ से प्रभावित होता है। इसी प्रकार लेखानुदान भी एक साल में एक ही आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह कहां लिखा है कि एक साल में एक ही एप्रोप्रिएशन बिल आ सकता है दूसरा नहीं। सप्लीमेन्टरी बजट जब आयेगा तब भी तो एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा ही।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह इसी में है, २०६ बिल्कुल साफ है। आप उसे देखें। वह आर्टिकिल २०३ और २०४ से प्रभावित होगा।

श्री अध्यक्ष—

उसमें यह कहां है?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उसकी मंशा यही है। सरकार ने ४ महीने का लेखानुदान पहले ले लिया है। चार महीने तक यह मौज करते रहे। अब फिर एक महीने का चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने भी ऐसा नहीं किया। तो संविधान की दृष्टि से और नैतिकता की दृष्टि से यह लेखानुदान सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन यह है कि लेखानुदान ४ माह से अधिक का नहीं हो सकता। यही परंपरा लोक सभा में भी रही है। पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में भी यही दिया है कि ४ माह से अधिक का लेखानुदान नहीं लिया जा सकता। श्रीमन्, यह आप मेज की पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस देखें, इसके सत्रहवें एडीशन (१९६४) के पेज ७४१ पर लिखा है—

"Before the passing of S. O. No. 18 a vote on account was owing to the justified suspicion of the Commons that the Government would take advantage of their provision to put off supply to the last days of the session, rarely allowed to provide for more than two months expenditure and a second vote on account was usually and a third occasionally, necessary.

According to the established usage, demands for grants on account are restricted to such services as have received the sanction of Parliament though a exception is occasionally made to this rule in favour of trifling and non-contentious new services.

The Civil Vote on account is taken shortly before the beginning of the financial year to which it relates and the days on which the separate stages in Committee and on report to this vote are taken may be counted as "allotted" days."

तो श्रीमन्, मुझे १ बार, २ बार या ३ बार रख जाने में कोई आपत्ति नहीं है, दो-तीन बार तो रखा जा सकता है, लेकिन बहुत रेअरली। लेकिन यह हर बार का मिलाकर ४ महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बारे में आप लोक सभा के प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट के पेज ५६१ पर देखें, इसमें लिखा है—

"The procedure of the Vote on Account was for the first time provided for in the Constitution. In its absence, the result was that after the presentation of the budget and the introduction of the finance bill on the last day of February both had perforce to be passed by the House before the end of the financial year i.e. 31 March so as to provide the Government with the funds necessary for the following year and to authorise the Government to implement the taxation measures therefor. This system limited the time available to the House for a proper and satisfactory consideration of the budget."

लेखानुदान इसलिए आता है कि समय मिल जाय, पूरे बजट पर विचार करने के लिए। उसकी अवधि नार्मली फार वन मन्थ है। फिर आप आगे पैरा चार को देखें, जिसमें लिखा है—

"Normally the vote on account is taken for one month only. But during an election year or when it is anticipated that the main demands and the Appropriation Bill will take longer than one month to be passed by the house, the vote on account may be for a period exceeding one month and may extend to 3 to 4 months."

[श्री दीनारायण मणि त्रिपाठी]

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह लोकसभा का प्रोसीजर यह है, कि चार महीने से ज्यादा का लेखानुदान नहीं लिया जा सकता है। आप पिछले महिनों में चार महीने का अनुदान ले चुके हैं और अब यदि फिर लेंगे तो वह चार महीने से ज्यादा का हो जायगा। मुख्य मंत्री ने विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई और अब उसी गलती का परिमार्जन करने के लिए वह यह कर रहे हैं। यह हमारी परंपरा के अनुकुल नहीं है। ऐसा लोक सभा में नहीं है और यह मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के हिसाब से भी उचित नहीं है। इस लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप इसे उपस्थिति करने की आज्ञा न दें।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इस बारे में कई बार से चर्चा होती आ रही है। गत वर्ष श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को इसी बात पर आपत्ति थी और उन्होने इस बारे में संविधान की धारा २०६ का हवाला दिया था, उसमें है--

"to make any grant in advance to respects of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the prodcedure prescribed in Article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure."

तो इसमें फाइनेन्शियल पर पेंडिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। उस समय जब इस पर चर्चा हुई तो आपने यह बात कही थी कि जब नई सरकारें बनती हैं, जब देश में राष्ट्रीय संकट की परिस्थिति पैदा होती है आदि तो ऐसी स्थिति में ही लेखानुदान लाया जा सकता है। १२ मार्च की कार्यवाही में है आप देख सकते हैं, आपने स्वयं इस पर रूलिंग दी है, जो इस प्रकार है "..... पिछली दफा भी डिसकशन हुआ था और अब की दफा भी डिसकशन हुआ। लोक सभा में नहीं होता जब जब केवल एक माह के लिए हो, लेकिन जब आप ३ माह का वोट आन एकाउन्ट ला रहे हैं, तब लोक सभा में भी वाद हो सकता है और यहां विधान सभा में भी हो सकता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बजट, दो बजट, या तीन बजट हों, इस चक्कर में न आप पड़ें। यह जो स्वतंत्र अनुच्छेद २०६ है उसमें यह दिया हुआ है कि आवश्यकता पड़े तो ऐसा काम करो। क्योंकि सदन का काम चलाना है। यहां की सरकार जब तक बहुमत में है तो उसके बनाए हुए बजट को पास करना है। जो बजट पहले बना हुआ था, बीच में सरकार बदल गई जिससे यह नहीं आ सका वरना पूरा का पूरा बजट आपके सामने आ जाता और उस पर डिसकशन शुरू हो जाता। जैसे आप चुनाव के बाद आते हैं और किसी वक्त बजट नहीं बना होता है तो आप यह करते हैं कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ समय के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करते हैं....."

तो यह रूलिंग आप ने दी थी। इस सदन ने पहले ४ महीने का लेखानुदान पास कर लिया है और अब एक महीने का लेखानुदान मांगा जा रहा है। पार्लियामेन्ट में भी यही प्रोसीजर है कि एक महीने से ज्यादा लेखानुदान मांगने की प्रवृत्ति जिस सरकार की होगी वह सरकार निश्चित रूप से कमजोर है और उसकी नीतियां भी कमजोर है या उसमें योग्यता नहीं है कि वह बजट को लेकर उसे पास करवा सके। लेखानुदान इसलिए मांगा जा रहा है कि चूंकि आपने विधान सभा की बैठक पहले नहीं बुलाई। मैं कहता हूं कि जब आप बहुमत में थे आपने क्यों विधान सभा की बैठक न बुलाकर बजट को पास करवा लिया। किन्तु आपने यह जानते हुए भी कि आप बहुमत में हैं और उसके बावजूद भी आपने इस बात की कोशिश नहीं की। यह एक गलत परंपरा है। यह सदन चाहे बैठकर कुछ नियम बना ले किन्तु परम्परा गलत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ले आने वाली सरकारों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। आज आप ४ महीने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का लेखानुदान कभी लेकर और कभी एक-एक महीने का लेखानुदान लेकर उसे पास करवा लेते हैं अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आपने उस समय रूलिंग दी थी और जो आपने तय किया था उसके अनुसार ही चलने दें। और आगामी दिनों में बजट पेश करें। सरकार की यह गलत परम्परा है। इतना कहकर मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर लेखानुदान के संबंध में सवाल उठे हैं और यह सवाल बार-बार उठता है। मैंने इस संबंध में एक समिति बना रखी थी और उस समिति में खास करके मैंने माननीय माधव प्रसाद जी से कहा था कि आप आएं और अन्य पार्टियों के लोगों को भी कहा था कि वे आएं और इस संबंध में डिसकशन करें। लेखानुदान के संबंध में कोई सीमा निर्धारित कर लें। मैंने उस समिति की बैठक कई दफे बुलाई किन्तु उसमें हाजिरी ही नहीं पूरी होती थी। लोग नहीं आए। जब असेम्बली नहीं होती थी तो लोग आते नहीं थे और जब असेम्बली होती थी तो इसका ध्यान नहीं रहता था। नतीजा यह हुआ कि उसकी बैठक न हो पाई और कोई निश्चय नहीं किया जा सका।

जहां तक संवैधानिक बात का सवाल है। इस संबंध में पार्लियामेन्ट में यह है—

"Grants on account may also be rendered necessary by a dissolution of Parliament. If the dissolution occures in the early portion of session, before supply is completed, it may be necessary to take votes on Account sufficiently to carry on all the services....."

"The Vote on Account may be for a period exceeding one month and may extend to 3 or 4 months."

तो यह पद्धति पार्लियामेन्ट में है। हाउस आफ कामन्स में भी ४ महीने ५ महीन का लिया जाता है। यहां पर ४ महीने का ही लिया है। यहां पर इस प्रथा को समाप्त करन का प्रश्न सदन में उठता है कि वोट आन एकाउन्ट केवल एक महीने का लिया जाना चाहिए। किन्तु जहां पर डिजोल्यूशन बार-बार होता है वहां पर इसे कौन रोक सकता है। एक साल में तीन-तीन बार सरकार बदली है। अतः मैंने वोट आन एकाउन्ट लाने की इजाजत दे दी। १७ या १८ जून से यह सदन बैठता तो इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने में मुझे यह खबर मिली कि सदन के सदस्यों और विरोधी दल का भी यह कहना है कि गरमी में विधान सभा की बैठक न की जाय और जुलाई में कर ली जाय। उसके लिए वे वोट आन एकाउन्ट और दे देंगे। ऐसा आश्वासन दिया गया तभी सरकार ने शायद १२ जुलाई रखी। इधर यहां डिप्टी साहब काम कर रहे थे उन्होंने मेरी स्वीकृति मिलने की आशा में उन्होंने गवर्नमेंट को कह दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि ऐसी सैंक्शन वे दे चुके हैं तो मैंने भी इस बात को मंजूर कर लिया और मैंने भी सिफारिश कर दी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब सदन इस बात के लिए तैयार है कि एक महीने की वोट आन एकाउन्ट वह देने को तैयार है तो १२ जुलाई से इसकी बैठक हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसी अवस्था में यह एक स्पेशल केस हो गया। ४ महीने का ओट आन एकाउन्ट पहले हो गया और १ माह यह हो जायगा। पार्लियामेन्ट में एक दम ५ महीने का ले लिया जाता है। ६७–६८ में हमारे यहां भी दो बार लिया गया था। एक बार मार्च में लिया गया और दूसरी बार जुलाई में लिय गया। इस प्रकार से यहां भी ऐसी प्रथा रही है कि गवर्नमेन्ट की सुविधा के अनुसार उसको दे दिया जाय।

जहां तक संविधान को पढ़ कर सुनाने की बात है, उसमें साफ लिखा हुआ है—

206. (*a*) To make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting of such grants and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure.

[श्री अध्यक्ष]

इसमें यह है कि जब तक बजट धारा २०३ के हिसाब से पास न हो जाय और एप्रोप्रिएशन बिल पास न हो जाय तब तक आप कितनी ही बार ले सकते हैं। कभी दो महीने कभी ३ महीने। बजट आपने पेश कर दिया और उसमें आप समझते हैं कि समय पर पास न हो पायगा और आप समय और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे आवश्यकता पड़े उसके अनुसार ओट आन पड़े उसके अनुसार ओट आन एकाउन्ट ले सकते हैं, उसके लिए इसमें कोई टाइम दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लिमिट इसलिए पसन्द करता हूं कि गवर्नमेंन्ट की एफीशिएन्सी इसी बात में है कि वह यह देखें कि नियत समय के अन्दर वह बजट पास करा ले। लेकिन यह स्टेबिल गवर्नमेंट में ही हो पाता है। लेकिन अगर स्टेबिल गवर्नमेंन्ट नहीं रहती है तो वह एफीशिएन्सी रह नहीं पाएगी। इन कारणों से जो आपत्ति उठाई गई है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जो वोट आन एकाउन्ट पेश किया गया है उसको आप पास कर सकते हैं। इसके ऊपर अब कल विचार होगा।

बंगला देश के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५६ और ५१ के बारे में प्रश्न रह गए हैं उनके बारे में आप मेरा फैसला सुन लीजिए। जहां तक बंगला देश का मामला है उसके बारे में आप सिफारिश कर सकते थे, वह आपने कर दी। लेकिन बंगला देश को मान्यता देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। अब सवाल केवल यह रह जाता है कि इस सरकार ने याद दिहानी क्यों नहीं की। सरकार जरूरत देखेगी तो वह याद दिहानी कर सकती है। अगर यह सरकार समझती है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता है। इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। मैंने दफा ५१ में इसको स्वीकार किया है। सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया और कल इसके ऊपर आध घंटे की चर्चा होगी।

सीतापुर के पी० ए० सी० के सूबेदार की लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय राम लाल राही तथा माननीय कृष्ण कान्त अवस्थी जी का सीतापुर के पी०ए०सी० के एक सूबेदार की लड़की को भगा ले जाने के संबंध में प्रश्न स्वीकार किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आपने लड़की के भगाने वाला तो स्वीकार कर लिया लेकिन यहां पर एक हजार व्यक्ति गिरफ्तार हो गये, उनके लिए क्या हुआ ? पंचायत मंत्री विधान सभा के सामने गिरफ्तार हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको बता दिया (व्यवधान)। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा।
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ जुलाई, १९७१।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

११ के०वी० हल्द्वानी–कालाडूंगी के मध्य लगाये गये ट्रान्सफार्मरों का विवरण

क्रम सं०	आबादी का नाम	ट्रांसफार्मर की शक्ति	पावर कनेक्शन संख्या
१	२	३	४
१	कुसुमखेड़ा एवं बिठरिया नं० १ ..	६३ के०वी०ए०	३
२	लोहरियासाल	२५ ,,	२
३	कटघरिया ..	२५ ,,	—
४	फतेहपुर	२५ ,,	१
५	लामाचौड़	१०० ,,	१
६	कालाडूंगी ..	२५ ,,	२

कुल अश्व शक्ति	बत्ती एवं पंखों के कनेक्शनों की संख्या	अन्य विवरण
५	६	७
२७.५ एच० पी	३२	..
२०	३	..
—	६	एक पावर कनेक्शन १० एच०पी० का तैयार है। कनेक्शन देने की कार्यवाही अब की जायेगी।
१० एच०पी०	१७	
८०	६	..
१५	३०	

११ के०वी० कालाडूंगी–हल्द्वानी लाइन पर ग्रामीण उपभोक्ताओं का विवरण

१—श्रीमती सुरईया बेगम, फतेहपुर	१५ के०वी०ए०	—	२ एच०पी०

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

संलग्नक

बिक्री-कर अधिनियम की धारा ८(१) के अन्तर्गत व्यापारी को कर निर्धारण आदेश पाने के ३० दिन के अन्दर पूरा कर जमा कर देना होता है। जहां पर व्यापारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता वहां बिक्री-कर अधिकारी बिक्री-कर की वसूली के हेतु जिलाधिकारी को प्रमाण पत्र शीघ्र भेज देते हैं कि वे उसे मालगुजारी की भांति वसूल कर लें।

व्यापारियों के हिसाब-किताब की जांच करने हेतु तथा उनके लेजर्स को सुचारु रूप से परीक्षण के हेतु शासन ने ४१ बिक्री-कर अधिकारियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुनाव करके नियुक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त शासन १३९ सहायक बिक्री-कर अधिकारियों को भी चयन के उपरान्त शीघ्र नियुक्ति कर देगा। शासन ने १२५ खाता लिपिकों के अतिरिक्त पदों को भी स्वीकृत किया है ताकि वे बिक्री-कर कार्यालय में व्यापारियों के हिसाब-किताब को भलीभांति से रख सकें, और इस प्रकार आशा है कि बिक्री-कर के बकाये की वसूली में प्रगति होगी।

बकाये की शीघ्र वसूली के लिए बिक्री-कर अधिनियम में संशोधन करके यह प्राविधान कर दिया गया कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जावेगी जब तक कि व्यापारी ने कम से कम उतनी धनराशि के जमा करने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो जो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी नक्शों में स्वीकृत विक्रय धन पर देय कर से अथवा यदि नक्शा न प्रस्तुत किया गया हो तो, निर्धारित कर के २० प्रतिशत से कम न हो।

साथ ही साथ अधिनियम में यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि सामान्यता विवादग्रस्त कर के मामलों में दो तिहाई से अधिक की वसूली स्थगित न की जा सकेगी और दो तिहाई का स्थगन भी उसी दशा में संभव होगा जब कि स्वीकृति कर के अतिरिक्त विवादग्रस्त कर का एक तिहाई धनराशि के जमा किए जाने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जावेगा। न्यायाधीश पुनरीक्षण को यह अधिकार होगा कि वह उचित कारणों से उपर्युक्त प्रतिबन्ध को शिथिल या निरस्त कर दें।

बकाया बिक्री-कर धनराशि का एक भाग ऐसा भी होता है जिसकी वसूली विशिष्ट कारणों से संभव नहीं हो पाती है। इन मामलों की जांच के लिए दस जिलों में संयुक्त जांच टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में एक डिप्टी कलेक्टर तथा एक बिक्री-कर अधिकारी को नियुक्ति की गई है। उनके द्वारा ऐसे मामलों में विस्तृत तथा व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है ताकि जांचे हुए बिक्री-कर की वसूली अथवा उसको बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

वसूली की कार्यवाही पर प्रगति के लिए समय-समय पर शासन के स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की जाती है, जिसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि वसूली की कार्यवाही में प्रगति लायी जावे।

———

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

जिन विद्युत् गृहों पर कार्य चल रहा है, उनका ब्योरा

जल विद्युत् प्रायोजनाएं—

	पावर स्टेशन चलने का लक्ष्य	क्षमता (मेगावाट)
(१) यमुना द्वितीय चरण—		
छिबरो	१९७२–७३	२४०
खोदरी	पांचवां प्लान	१२०
(२) मनेरी माली प्रथम चरण	तदेव	९०
(३) रामगंगा परियोजना	तदेव	१८०
(४) यमुना चतुर्थ चरण (आसन बद्ध) ..	तदेव	३०
वाष्प विद्युत् प्रायोजनायें—		
(१) ओबरा थर्मल पम्प यूनिट ..	१९७१–७२	५०
(२) ओबरा थर्मल विस्तार प्रथम चरण ..	१९७२–७३	३००
(३) हरदुआगंज थर्मल विस्तार चतुर्थ चरण	१९७१–७२	११०
(४) हरदुआगंज थर्मल विस्तार पंचम चरण ..	पांचवां प्लान	११०
(५) पनकी थर्मल विस्तार	तदेव	२२०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११६ एल० ए०—१९७३—८४५ ।